अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

शहरी विकास विभाग

2.1 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

दिल्ली को स्लम फ्री बनाने के उद्देश्य के साथ जुलाई 2010 में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अस्तित्व में आया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दर्शाए गए हैं:

विशिष्टताएं:

- *बोर्ड ने शहरी आश्रय परामर्श समिति एवं बस्ती विकास समितियों का निर्माण नहीं किया तथा झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों के पुनःस्थापन के लिए किसी नई आवासीय योजना की शुरूआत नहीं की।*

 (पैराग्राफ 2.1.2)

- *बोर्ड ने न तो कोई दीर्घ परिप्रेक्ष्य योजना और न ही वार्षिक योजना तैयार की थी।*

 (पैराग्राफ 2.1.3)

- *झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में सड़कें व नाले जीर्णावस्था में थे। बोर्ड सार्वजनिक शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाऐं भी प्रदान कराने में असफल रहा।*

 (पैराग्राफ 2.1.4.1 एवं 2.1.4.2)

- *रात्रि विश्राम गृहों के प्रबंधन एवं संचालन के लिए किए गए अनुबन्ध में अनियमितताएं पाई गई थीं।*

 (पैराग्राफ 2.1.5)

- *बोर्ड के पास अपनी संपत्तियों का पूरा एवं विश्वसनीय अभिलेख नहीं था जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड की संपत्तियों के आबंटियों पर ₹ 232.10 करोड़ बकाया थे।*

 (पैराग्राफ 2.1.6.2)

2.1.1 प्रस्तावना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या ₹ 1.67 करोड़ थी, शहरी विकास विभाग (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वर्ष 2001 के आकलन के अनुसार, 728 झुग्गी बस्तियों में, जिसमें से 78 *प्रतिशत* सरकारी जमीन पर बसी थी, के ₹ 21.48 लाख लोग रह रहे थे। जुलाई 2010 से पहले स्लम और झुग्गी-झोपड़ी स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती थीं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (अधिनियम) (अप्रैल 2010) के लागू होने के बाद दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (बोर्ड) दिल्ली को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से लिए जुलाई 2010 से प्रभाव में आया। तदन्तर में स्लम विभाग एवं झु.झो. विभाग के सभी क्रिया-कलाप व संपत्तियों को बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया।

2.1.1.1 संगठनात्मक ढांचा

अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार बोर्ड में एक अध्यक्ष (मुख्य मंत्री), एक उपाध्यक्ष (मंत्री, श.वि.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नामांकित किया गया एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), 13 अन्य सदस्य एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। बोर्ड के संरचनात्मक ढांचों को **अनुलग्नक 2.1** में दर्शाया गया है।

2.1.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिये थे कि क्या:

- बोर्ड ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं,
- बोर्ड के अधिदेशाधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अग्रदर्शी प्लान और वार्षिक प्लान बनाये गये हैं,
- वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त था,
- स्कीमों का कार्यान्वयन दक्ष था और इसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया,
- आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र प्रभावी था।

2.1.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में जुलाई 2010 में बोर्ड के गठन से लेकर मार्च 2013 तक के कार्यों को सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित पांच में से चार चालू स्कीमों को जांच के लिए चुना गया:

(i) शहरी स्लमों में पर्यावरण सुधार,

(ii) जन सुविधा समूहों का निर्माण,

(iii) निर्मित सुविधायें/बरात घर/बस्ती विकास केन्द्र उपलब्ध कराना, और

(iv) शिशु वाटिकाओं का निर्माण।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने सभी 298 बस्ती विकास केन्द्र (ब.वि.के), झु.झो. बस्तियों के सभी 229 शिशु वाटिका एवं कुल 175 में से 117 रैन बसेरों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए दौरा किया। दौरों के दौरान पायी जाने वाली विसंगतियां ब.वि.के., शिशु वाटिका तथा रैन बसेरों के देखभाल करने वालों या फिर उस क्षेत्र के जिम्मेदार निवासी को दिखाई गई और उनके द्वारा पृष्ठांकित करायी गई।

लेखापरीक्षा बोर्ड के सी.ई.ओ के साथ 17 मई 2013 को हुए प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र व क्रियाविधि पर विचार-विमर्श करने के साथ आरंभ हुई। 17 जनवरी 2014 को प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए निकासी सम्मेलन भी आयोजित हुआ और सरकार द्वारा दिए गए जवाबों को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर दिया गया है।

2.1.1.4 लेखापरीक्षा मानक

लेखापरीक्षा मानक निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये थे:

- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010,

- स्लम क्षेत्र (सुधार एवं निकासी) अधिनियम,1956,
- सामान्य वित्तीय नियम 2007 और प्राप्ति और भुगतान नियम,
- योजनागत स्कीमों के उद्देश्य, लक्ष्य, दिशानिर्देश, और
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश और निर्देश।

2.1.2 अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन

अधिनियम के विविध प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति की परवर्ती पैराग्राफ में परिचर्चा की गई है:

अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ-साथ एक पूर्णकालिक सदस्य (प्रशासन), सदस्य (अभियांत्रिकी) सदस्य (पावर) और सदस्य (वित्त) सभी भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के होने चाहिए। यद्यपि, दिसम्बर 2013 तक सदस्य (अभियांत्रिकी) की नियुक्ति नहीं हुई है। सदस्य (प्रशासन) का पद जनवरी 2012 से रिक्त पड़ा था। इसी प्रकार सदस्य (पॉवर) का पद भी इसके सृजन के समय से रिक्त पड़ा है।

बोर्ड ने अपने जवाब में उद्घृत किया (जनवरी 2014) कि रा.रा.क्षे.दि.स. में अधिकारियो की कमी थी। आरंभ में सदस्य (प्रशासन) एवं सदस्य (वित्त) तैनात किये गये किन्तु सदस्य (प्रशासन) का स्थानांतरण कर दिया गया।

अधिनियम की खण्ड 8 के अनुसार बोर्ड एक शहरी आश्रय परामर्शदाता समिति (श. आ.प.स.) का गठन करेगा जोकि जेजे बस्तियों की आवश्यकता और समस्याओं पर बोर्ड के पुनर्विकास और अन्य कार्यो की स्थिति पर अपना फीडबैक देगा तथा इन सेवाओं की मूलभूत अवसंरचना के प्रभावी प्रावधानों के लिये नीतियाँ प्रस्तावित करेगा। तथापि, कमेटी का गठन नहीं किया गया।

बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकारा (जनवरी 2014) एवं शीघ्र ही समिति गठित करने का आश्वासन दिया।

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार बोर्ड को झु.झो. बस्तियों से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देने तथा सहायता प्रदान करने के लिए झु.झो. बस्तियों के लिए बस्ती विकास समितियों (ब.वि.स.) का गठन करना था। यद्यपि जनवरी 2014 तक बोर्ड ने समितियों का गठन नहीं किया था।

जवाब में बोर्ड ने आश्वासन दिया (जनवरी 2014) कि जैसे ही इसके अधिदेश सदस्यों इत्यादि का विवरण पूर्ण होगा, ब.वि.स. का गठन कर दिया जायेगा।

अधिनियम के खण्ड 21 के अनुसार झु.झो. बस्तियों का पुनर्वास करने तथा इसके निवासियों को पुनर्स्थापित करने के लिये, जिन्हें झु.झो. बस्ती को हटाने पर खण्ड 10 या अधिनियम की खण्ड-12 के अन्तर्गत वैकल्पिक आवास की सुविधा प्रदान करनी है, के लिये बोर्ड को आवासीय योजना तैयार करनी चाहिये। खण्ड 21 की उपखण्ड 2 बोर्ड को गरीब वर्ग और निम्न आय वर्ग के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिये आवासीय योजना तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। तथापि, यह पाया गया कि बोर्ड द्वारा कोई भी आवासीय योजना तैयार नहीं की गयी।

बोर्ड ने अपने जवाब में कहा (जनवरी 2014) कि उसने पहले से ही चार जगहों पर ज.ला.ने.रा.श.ग्रा.मि. के तहत आवासीय परियोजना की पहल की हुई है। जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि ज.ला.ने.रा.श.ग्रा.मि. परियोजना विशेष रूप से झु.झो. वासियों के लिए नहीं बल्कि वह निश्चित मानकों को पूरा करने वाले शहरी गरीबों के

लिए थी। झु.झो. वासी जो इन निश्चित मानकों को पूरा नहीं करते इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। बोर्ड ने 4675 परिवारों में से 3282 परिवारों को आवासीय इकाईयां आबंटित की जो 27 जेजे बस्तियों में रह रहे थे बाकी 1393 बेघर परिवारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ज.ला.ने.रा.रा.ग्रा.मि. के तहत अयोग्य पाए गए थे एवं पुर्नवास नीति के तहत योग्य थे।

अधिनियम के खण्ड 24 (2) के अनुसार बोर्ड वास्तविक लेखा एवं दूसरे प्रासंगिक अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और जिस रूप में सरकार नियमतः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर निर्धारित करती है उसी रूप में बैलेन्सशीट सहित वास्तविक लेखा तैयार करेगा। धारा 24 (5) आगे प्रावधान करती है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके स्थान पर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रमाणित बोर्ड के लेखों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक रूप से सरकार को भेजा जाएगा और सरकार इसकी प्रतिलिपि को दिल्ली के विधान सभा में प्रस्तुत करेगी। फिर भी लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2013 तक पाया कि उपरोक्त व्यवस्था का पालन नहीं किया गया।

सितम्बर 2010 में ₹ 19.44 करोड़ के गबन का एक मामला देखा गया जहां रोकड़िया ने नामित बैंक में कैश जमा नहीं कराया जो कि आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

मामला रा.रा.क्षे.दि.स. की अपराध शाखा के अन्तर्गत विचाराधीन था (दिसम्बर 2013)।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014) कि घोटाला उस समय की स्लम एवं झु.झो. की कार्य प्रणाली की असफलता के कारण हुआ। लेखा पुस्तिकाओं के लेखन एवं पुनर्निरीक्षण का काम एक वेंडर को दे दिया गया है और पूरा होने के बाद लेखे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। फिर भी, लेखों के प्रारूप तथा नियमों के गठन के बारे में उत्तर मौन है।

अधिनियम की खण्ड 12 (1), बोर्ड को सामुदायिक पुनर्वास, पुनर्नियोजन या उन्नयन के लिए कार्यगत नीतियां बनाने का अधिकार देती है और निजी क्षेत्रों एवं झुग्गी सहकारी समितियों को बस्तियों के पुनर्विकास एवं रहन-सहन को सुधारने और इसके वातावरण के सुधार के लिए सहयोग लेती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि ग्यारहवीं योजना में ₹ 19.48 करोड़ का परिव्यय था किन्तु बोर्ड ने आरंभ से अब तक झु.झो. बस्तियों के स्वस्थाने विकास के लिए कोई योजना लागू नहीं की।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014) कि मई 2013 में हुई बैठक के दौरान पीपीपी मॉडल के आधार पर तीन समूहों के स्वस्थाने उन्नयन के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

यद्यपि अधिनियम के लागू होते ही बोर्ड स्लम और दि.न.नि. के झु.झो. विभाग की सभी संपत्तियों का मालिक हो गया। फिर भी इसके पास स्थानांतरित हुई संपत्तियों के उचित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि बोर्ड की अधिकतर संपत्तियां या तो पट्टे पर दी गयी थी, या विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आबंटित तथा किराये पर दी गयी थी, इन पट्टेधारकों या किरायेदारों से प्राप्त राजस्व संबंधी दस्तावेजों का सही रख-रखाव जरूरी है। वर्ष 2012 में, बोर्ड ने एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को एक निजी कंसलटैंट के रूप में दिल्ली में फैली अपनी संपत्तियों की सूची बनाने के लिए नियुक्त किया जबकि परामर्शदाता ने संपत्तियों की केवल अंतरिम सूची तैयार की।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014) कि संपत्तियों का विवरण विभिन्न अनुभागों में उपलब्ध था किन्तु समेकित रूप में व्यवस्थित नहीं किया गया। सम्पत्तियों के वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण को बाह्य स्रोत से कराने का प्रस्ताव विचाराधीन था। सम्पत्तियों के ब्यौरों पर समेकित सूचना के तैयार करने की जरूरत को पुनः आवश्यक बताया है।

2.1.3 भावी योजना का तैयार न किया जाना

झु.झो. बस्ती के निवासियों को बेहतर आवासीय सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से बोर्ड का गठन किया गया था। अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घगामी योजना बनाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बोर्ड ने न तो कोई दीर्घकालिक भावी योजना और न ही वार्षिक योजना बनाई। रा.रा.क्षे.दि.स. ने अगले 20 वर्षों के लिए दिल्ली के स्लमों के लिये भावी योजनाओं की तैयारी एवं अध्ययन के लिए वर्ष 2012-12 में ₹ 1.20 करोड़ जारी किये जिसमें से वर्ष 2010-13 के दौरान ₹ 15.58 लाख का खर्चा किया गया पर कोई भी भावी योजना तैयार नहीं की गई।

बोर्ड ने कहा (जनवरी 2014) कि भावी योजना तैयार की जा रही थी।

2.1.4 योजनागत स्कीमों/परियोजनाओं की उपलब्धियाँ एवं कार्यान्वयन

बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्वास को आश्रय की एक अनौपचारिक व्यवस्था माना गया है, अतः झु.झो. बस्तियों की समस्याओं को हल करने के लिये रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा त्रिआयामी नीतियों का गठन किया गया। यह है (i) झुग्गी के लोगों का पुनःस्थापन (ii) झु.झो. बस्तियों का स्वस्थाने उन्नयन और (iii) झु.झो. बस्तियों में न्यूनतम मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विस्तार। जिस समय बोर्ड का गठन किया गया था, दि.न.नि. का स्लम और झु.झो. विभाग चार मुख्य योजना स्कीमों को चला रहा था, जिसे बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया था। योजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न बोर्ड के किसी भी मंडल के पास उन चालू योजनाओं से संबंधित उद्देश्य, मानदण्ड, नियम एवं उपनियम उपलब्ध नहीं थे। बोर्ड द्वारा लागू की गई चार योजनागत स्कीमों के अभिलेखों की जांच पड़ताल करने पर निम्नलिखित पाया गयाः

2.1.4.1 शहरी स्लमों में पर्यावरण सुधार

इस योजना के अन्तर्गत झु.झो. बस्तियों में जलापूर्ति, सीवर एवं तीव्र गति वाले नाले, सामुदायिक स्नानागार, वर्तमान पथों पर खडंजा एवं उनको चौड़ा करना, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाऐं प्रदान की जानी थी। पिछले तीन वर्षों के लिये हर वर्ष का आबंटन तथा व्यय का ब्यौरा **तालिका 2.1.1** में दिया गया हैः

तालिका 2.1.1
बजट और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	उपलब्ध निधियाँ	विवरण
1	2010-11	6.00	5.04
2	2011-12	40.96	22.55
3	2012-13	21.91	21.49
कुल		**68.87**	**49.08**

685 झु.झो. बस्तियों में से केवल 158 में नल के पानी की सुविधा थी जहां पर 150 व्यक्तियों के अनुपात के विपरीत 250 से 300 व्यक्तियों की अनुपातिक जनसंख्या को सार्वजनिक नल द्वारा जल उपलब्ध कराया जा रहा था। सार्वजनिक नल पर 20 से 30

मिनट तक पानी के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी और केवल 72 बस्तियों में सीवर की सुविधाएं थी। झु.झो. बस्तियों में सड़कें और नालियां टूटी-फूटी अवस्था में थी जबकि गलियों की सड़कों और खुली नालियों पर सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ और ईंटों की फर्श बनाने की स्कीम के अंतर्गत ₹ 49.08 करोड़ का व्यय किया गया।




झु.झो. बस्ती में स्थित इन्दिरा कैम्प नं. 5, और काली बस्ती, (विकास पुरी) में सड़कों और गलियों की दशा

बोर्ड ने कहा (जनवरी 2014) कि झु.झो. कालोनियों में पांच वर्ष के अन्तराल के बाद सीमेंट कंक्रीट के फर्श, खडंजे एवं नालियां उपलब्ध करायी गयी थी इसलिए कुछ झु.झो. समूहों में सड़कों एवं नालियों की स्थिति जर्जर हो सकती है। बोर्ड ने इन सुविधाओं को भविष्य में प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

2.1.4.2 जन सुविधा काम्प्लेक्स का निर्माण

स्कीम कॉ मुख्य उद्देश्य झु.झो. बस्तियों के निवासियों द्वारा खुले में मल त्याग के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं की देख-भाल करना है। परियोजना के अंतर्गत झु.झो. बस्तियों के विभिन्न स्थानों पर जन सुविधा समूहों का निर्माण होना था। 11वीं योजना में ₹ 9.51 लाख स्लमवासी जो अधिसूचित स्लम क्षेत्रों में एवं 21 लाख लोगों को जो झु.झो. बस्तियों में रह रहे हैं को समावेशित करने की योजना के लिए ₹ 24.35 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान रखा गया था। बजट आबंटन का वर्षवार विवरण, वास्तविक व्यय, पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां **तालिका 2.1.2** में दी हुई हैं:

तालिका 2.1.2

बजट, व्यय, लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	आबंटन	खर्चा	लक्ष्य (डब्ल्यूसी)*	उपलब्धि (डब्ल्यूसी)*
1	2010–11	2.50	2.38	400	220
2	2011–12	5.12	3.62	200 एवं 10 एमटीवी"	20 एवं शून्य एमटीवी"
3	2012–13	3.50	3.44	300	54
कुल		**11.12**	**9.44**	**900 एवं 10 एमटीवी ****	**294 एवं शून्य एमटीवी****

'वाटर क्लोजैट, "मोबाईल टोयलेट वैन

पिछले तीन वर्षों में जोड़े गए सभी 294 वाटर क्लोजेट इस्तेमाल हुए।




उत्तम नगर और हरिजन बस्ती, (तिलक नगर) जेएससी उपयोग करने की हालत में नहीं थे

राष्ट्रीय मानदण्ड 20-25 लोगों के लिए एक (डब्ल्यूसी) वाटर क्लोजैट का प्रावधान करता है। बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 685 झु.झो. बस्तियों के लगभग 21 लाख लोगों के लिए आवश्यक 83687 वाटर क्लोजैट के विरूद्ध 605 बस्तियों में मात्र 17626 वाटर क्लोजैट थे जो पूर्णरूपेण अपर्याप्त थे।

इसलिए बोर्ड झु.झो. बस्तियों में 294 वाटर क्लोजैट के निर्माण के लिए तथा वर्तमान वाटरक्लोजैट के लिए 2010-13 के दौरान ₹ 9.44 करोड़ खर्च करने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014) कि दि.श.आ.स.बो. के गठन से पहले झु.झो. कलस्टर के काम्प्लेक्स का अनुरक्षण दि.न.नि. करता था। जोकि बोर्ड को दिन प्रतिदिन परिचालन अथवा अनुरक्षण के लिए स्थानांतरित नहीं किया गया और अभी तक दि.न.नि. के पास है। तथापि, निकासी सम्मेलन में सी.ई.ओ ने सूचित किया कि उन्होंने जैसा है और जहां है के आधार पर इन शौचालयों को दि.न.नि. से अपनी देख-रेख में लेने का फैसला लिया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इन शौचालयों को झु.झो. बस्तियों के साथ ही दि.न.नि. से अपने देख-रेख में लिया जाना था।

2.1.4.3 झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में शिशु वाटिका का निर्माण

इस स्कीम के तहत झु.झो. बस्तियों में खाली भूमि पर ग्रिल सहित बाउण्डरी वाल का निर्माण करवाना है और झु.झो. बस्तियों में रहने वाले बच्चों की मनोरंजन सुविधाओं के लिए खेल उपकरणों जैसे सी.सॉ., रिवाल्विंग प्लेटफार्म, झूले एवं स्लाइडस आदि उपलब्ध कराना था। 2010-13 के दौरान 13 नई शिशु वाटिकाओं का निर्माण हुआ (बोर्ड के द्वारा 12) और पहले से विद्यमान 216 के साथ शामिल किया। बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण **तालिका 2.1.3** में दिया गया है:

तालिका 2.1.3
बजट और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	वर्ष	आवंटन	खर्च	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2010-11	2.00	1.11	20	3
2	2011-12	5.89	1.06	40	4
3	2012-13	4.83	2.40	10	6
कुल		**12.72**	**4.57**	**70**	**13**

तालिका में दिए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बोर्ड पिछले तीन सालों में निर्धारित किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा ने शिशु वाटिकाओं से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की एवं उनकी वास्तविक स्थिति के निर्धारण के लिए सभी 229 स्थानों का प्रत्यक्ष दौरा भी किया। दौरे का निष्कर्ष **तालिका 2.1.4** में प्रस्तुत है:

तालिका 2.1.4

शिशु वाटिकाओं के सर्वेक्षण के नतीजे

शिशु वाटिकाओं (शि.वा.) की संख्या जिनका प्रत्यक्ष दौरा किया गया-229		
1	पर्याप्त खेल उपकरण उपलब्ध नहीं थे।	167
2	चारदिवारी का निर्माण नहीं हुआ या वह अब विद्यमान नहीं थी।	23
3	साफ–सफाई का स्तर पर्याप्त नहीं था।	120

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वाटिकाओं के उपकरण टूटे हुए थे या कार्यरत नहीं थे। अपर्याप्त रखरखाव के कारण इन वाटिकाओं के स्थान कूड़े का ढेर बन चुके हैं जो बोर्ड के द्वारा निगरानी के अभाव का सूचक है।



शिशु वाटिका, विकास पुरी, अतिक्रमण के अधीन कूड़ा डालने के उपयोग में लाई जा रही है।



आशा डिस्पेंसरी के नजदीक शिशु वाटिका, टिकरी कैंप

बोर्ड ने कहा (जनवरी 2014) जहां भी कचड़े का ढेर पाया जायेगा, हटाया जाएगा और झु.झो. बस्तियों के लोगों की भलाई के लिए योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा। यद्यपि, खेल उपकरण एवं वाटिकाओं की स्थिति पर सामान्यतः उत्तर मौन है।

2.1.4.4 निर्माण सुविधाऐं/बारात घर/बस्ती विकास केन्द्र का प्रबन्ध करना

इस योजना के अन्तर्गत, बोर्ड अधिसूचित स्लमों में बहुद्देशीय सुविधाऐं/बारात घर, झु. झो. बस्तियों में बस्ती विकास केन्द्र एवं पुनः स्थापित कॉलोनियों का प्रबन्ध करता है। व्यय के साथ-साथ आबंटन का वर्ष-वार विवरण **तालिका 2.1.5** में दिया गया है:

तालिका 2.1.5

बजट और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	आबंटन	व्यय
1	2010-11	2.80	2.76
2	2011-12	6.04	4.35
3	2012-13	17.20	15.17
कुल		**26.04**	**22.28**

तालिका में दिए आंकड़े ये दर्शाते हैं कि बोर्ड द्वारा ₹ 26.04 करोड़ में से ₹ 22.28 करोड़ (86 *प्रतिशत*) का उपयोग किया। इस खर्चे में बस्ती विकास केन्द्रों और विद्यमान बारात घरों की मरम्मत और रख-रखाव पर किया खर्चा ₹ 12.81 करोड़ और नवनिर्माण पर ₹ 9.47 करोड़ का खर्च शामिल है। बस्ती विकास केन्द्रों और बरात घरों से संबंधित लेखों की जांच पड़ताल में निम्नलिखित दर्शाया है:

(अ) बस्ती विकास केन्द्र

बोर्ड के गठन के समय 284 बी.वी.के. थे एवं वर्ष 2010-13 के दौरान झु.झो. बस्तियों के निवासियों को अनौपचारिक शिक्षा, चिकित्सा सुविधाऐं, कार्योन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 14 बी.वि.के. और निर्मित किये गये। लेखापरीक्षा में पाया गया था कि बी.वी.के. निजी एजेन्सियों द्वारा चलाये जा रहे थे तथा इन बि.वि.के. के आवंटन, इसे चलाने के क्रियाकलाप एवं आबंटिती से किराया या लाइसेंस शुल्क वसूल करने के लिए बोर्ड में कोई निर्धारित नीति नहीं थी। बोर्ड के पास ऐसा कोई तन्त्र नहीं था जो यह सुनिश्चित करे कि जिस कार्य के लिए बी.वि.के. आबंटित किये गये थे उसी उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। सभी 298 बी.वि.के. के दौरों में निम्नलिखित पाया गया:

तालिका 2.1.6
बस्ती विकास केन्द्रों का सर्वे निष्कर्ष

निरीक्षण किए गए बस्ती विकास केन्द्रों की संख्या-298		
1	बी.वि.के. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जा रहे बस्ती विकास केन्द्र	6
2	बी.वि.के. जो खाली या उपयोग में नहीं हैं	9
3	बी.वि.के. नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहे	16
4	बी.वि.के. जिनमें पर्याप्त जल सुविधा नहीं है	57
5	बी.वि.के. जिनमें पर्याप्त विद्युत सुविधा नहीं है	21
6	व्यापारिक या निजी मामलों में प्रयोग हो रहे बीवीके	13
7	रात्री शिविरों के रूप में प्रयोग हो रहे बस्ती विकास केन्द्र	13

बोर्ड ने जबाव दिया कि सामाजिक उपभोक्ता सैक्टर के अन्तर्गत सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की दृष्टि से बोर्ड ने 298 बस्ती विकास केन्द्रों में 336 विभिन्न एन.जी.ओ. और ट्रस्टों या सरकारी अभिकरणों को स्थान आबंटित किये। ये अभिकरण स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं नारी सशक्तिकरण कार्यक्रमों का इनपुट प्रदान करते हैं जिससे कि झु.झो. समूहों में रहने वाले स्लमवासी अपनी आजीविका कमा सकें। हालांकि जवाब लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ब) बारात घर (सामुदायिक केन्द्रों) का निर्माण

बोर्ड की सामुदायिक केन्द्र शाखा (सा.के.शा.) सामुदायिक केन्द्रों की देखभाल करती है एवं यह सामुदायिक केन्द्रों को उपभोक्ताओं को किराये पर देने, लाइसेन्स फीस की वसूली, केन्द्र के क्रियाकलापों का ध्यान रखना, बकायादारों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होती है।

बोर्ड के पास सामुदायिक केन्द्रों की संख्या के बारे में विसंगतियां थी जैसे कि सा.के. शाखा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 162 सामुदायिक केन्द्र थे जबकि बोर्ड की अभियांत्रिकी विंग तथा परामर्शदाता ने बताया कि क्रमशः 165 और 140 सामुदायिक केन्द्र थे। लेखापरीक्षा की जांच के अनुसार समुदायिक केन्द्रों की उपयोगिता का ब्यौरा **तालिका 2.1.7** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.1.7

सामुदायिक केन्द्रों की स्कीम में कमियाँ

162 सामुदायिक केन्द्रों के परिणाम		
1	विशेष रूप से रैन बसेरों के रूप में प्रयुक्त सामुदायिक केन्द्र	13
2	सरकारी कार्यालय, स्कूल, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में प्रयुक्त सामुदायिक केन्द्र	39
3	अनुपयुक्त अवस्था में सामुदायिक केन्द्र	17
4	निजी पार्टियों के अधिकार में सामुदायिक केन्द्र	8
5	अन्य उद्देश्य जैसे सरकारी कार्यालय, रैन बसेरों आदि के रूप में प्रयुक्त सामुदायिक केन्द्र परन्तु कुछ स्थान सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध	52
6	विशेष रूप से सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध सामुदायिक केन्द्र	33

सामुदायिक केन्द्रों के लिए निर्मित 162 भवनों में से केवल 85 ही वांछित उद्देश्य के लिए पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में किसी तरह उपलब्ध थे। बाद में यह भी संज्ञान में आया कि सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध 85 सामुदायिक केन्द्रों में से 8 में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं थी एवं 36 में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं थी।





भलस्वा डेयरी पर सामुदायिक केन्द्र दयनीय अवस्था में थे। दायीं ओर की तस्वीर इसके आस-पास के वातावरण को व्यक्त करती है।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया है (जनवरी 2014) और व्यक्त किया कि उनके पास सम्पत्तियों के केन्द्रीय समेकित अभिलेख या सम्पत्तियों का विवरण नहीं था।

2.1.5 रैन बसेरों का प्रबंधन

2.1.5.1 स्थायी रैन बसेरों के प्रबंधन के कार्य को अनियमित रूप से सौंपना

बोर्ड ने 44 रैन बसेरों के प्रबंधन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये एवं निजी पार्टियों को ₹ 31,646 प्रति रैन बसेरा प्रति माह (वर्ष 2012-13 से संशोधित ₹ 35,087) की दर से आबंटित (दिसंबर 2011) किये। जांच दर्शाती है कि कार्य के लिए निजी पार्टियों का चयन करने वाले आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये। किसी भी चयनित पार्टी के पास बेघर लोगों से संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं था। आगे, सा.वि.नि. का नियम 204, जो अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों को परिभाषित करता है के अनुसार अनुबंध की शर्तें संक्षिप्तए निश्चित एवं विसंगतियों रहित होनी चाहिए। शर्तें किसी संदिग्ध या अनिश्चित उत्तरदायित्व से मुक्त होनी चाहिए। यद्यपिए जांच में पाया गया किः

- एस.एल.ए. में रैन बसेरों के उपभोक्ताओं को उनके चलाने वालों के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं था; और

- दिया जाने वाला मासिक शुल्क रात्रि शिविरों में नियुक्त अभिरक्षकों की संख्या और उन्हें देय वेतन का उल्लेख किये बगैर निर्धारित किया गया।

बोर्ड ने बताया (जनवरी 2014) कि उसने रैन बसेरों को चलाने के लिए आवेदन उचित रूप से सुझाये हुए प्रारूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित किये हैं और गैर-सरकारी संगठनों में उनकी दक्षता के आधार पर एवं अनुभव के आधार पर चुना गया। बोर्ड ने घोषित किया कि यूँ तो करार में अभिरक्षकों की संख्या विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था किन्तु मासिक शुल्क रैन बसेरों को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम श्रम शक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो समाचार पत्र की अधिसूचना में और न ही आवेदन के आरूप में आवेदकों के लिए किसी कसौटी का उल्लेख यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल व्यवसायी ही अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं और रैन बसेरों में आवश्यक संख्या में अभिरक्षक उपलब्ध थे।

2.1.5.2 रात्रि शिविरों के लिए पोर्टा कैबिनों पर अनियमित व्यय

एक सोसाईटी (मदर एन.जी.ओ. सैंटस्टीफन हास्पिटल) ने बोर्ड को नवम्बर 2011 में एक प्रस्ताव यह बताते हुए कि वे शिविरों के लिए पोर्टा कैबिन का उन्मूलन और संचालन पहले तीन महीने के लिए ₹ 1.00 लाख के मासिक शुल्क पर तथा उसके पश्चात् ₹ 2500 प्रति माह पर करेंगे। तीन साल का कुल किराया ₹ 1.86 करोड़ परिकलित किया गया। सोसाईटी ने (तीसरी पार्टियों के द्वारा) ₹ 31,646 प्रति शैल्टर मासिक शुल्क पर इन ढांचों में ही चलाने का भी प्रस्ताव दिया।

बोर्ड ने दिसम्बर 2011 से जनवरी 2012 के बीच ₹ 1.26 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया और फरवरी 2012 में सोसाईटी के साथ सहमति पत्रक (एमओए) पर हस्ताक्षर किया, संस्था के ज्ञापन के अनुसार मजबूत जी.आई शीटों से बना जल एवं अग्नि अभेद्य ढांचा जोकि हर मौसम के अनुकूल हो, हवादार पोर्टा केबिन बनाने थे जिसमें यह नहीं बताया गया कि इन रैन बसेरों में क्या सेवायें दी जानी थी। 5 दिसम्बर 2011 एवं 30 जनवरी 2012 के बीच 62 ढांचे तैयार हुए एवं बोर्ड ने नवम्बर 2012 में ₹ 60 लाख का बकाया भुगतान कर कुल ₹ 1.86 करोड़ की अदायगी की। लेखापरीक्षा ने जांच में पाया कि अदायगी पोर्टा केबिनों के किराये के नाम पर की गई थी परन्तु व्यवहारिक रूप में यह अदायगी ₹ 3 लाख प्रति केबिन की कीमत पर पोर्टा केबिनों को स्थापित करने के लिए की थी जिसके लिए सरकार द्वारा सा.वि.नि. के अनुसार प्रतिस्पर्धी कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जानी थी।

बोर्ड ने कहा (जनवरी 2014) कि विक्रेताओं की दरों को रा.रा.क्षे.दि.स. के मण्डलायुक्त की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दरों से तुलना करने के बाद एवं उच्च न्यायालय की सतत निगरानी के कारण समय की कमी की वजह से कार्य सोसाइटी को सौंपा गया उसने आगे बताया किया कि प्रथम तीन माह के लिए ₹ 3.00 लाख प्रति माह सोसाइटी को किराया दिया गया था न कि यह एक पोर्टा केबिन की कीमत थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दरों की विभिन्न संगठनों की दरों के साथ तुलना बोर्ड को उसकी संहिता के प्रावधानों को निभाने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। इसके अतिरिक्त पोर्टा केबिन में रैन बसेरे चलाने का आदेश न्यायालय का नहीं था अपितु पोर्टा केबिनों में रैन बसेरे चलाने का प्रस्ताव गैर-सरकारी संस्था का था।

2.1.5.3 असंगत मूल्य पर टेंटों को किराये पर लेना

7 जनवरी 2013 को 40 मेजों के साथ-साथ 1000 स्क्वेयर फीट क्षेत्रफल के परस्पर 5 टिन के ढांचे एवं अन्य वस्तुऐं ₹ 2667.43 प्रतिदिन के हिसाब से मुहैया कराने के लिए एक निजी पार्टी को आपूर्ति आदेश दिया गया था। यद्यपि, आपूर्तिकर्ता ने एक टिन ढांचा एवं 400 वर्ग फीट के चार कपड़े के तम्बू मुहैया कराये।

इसके अतिरिक्त 20 और ढांचे खड़े करने के लिए सी.ई.ओ. के अनुमोदन के लिए लिखी टिप्पणी में यह प्रस्तावित किया गया था कि क्योंकि टिन के ढांचे खड़े करने में काफी समय लगता जो आपात स्थितियों में संभव नहीं था इसलिए अल्प समय में पगोड़ा टाइप पूर्व गठित एल्यूमिनियम के ढांचे स्थापित किये जाएंगे। सी.ई.ओ. ने प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि जहां अधिक आवश्यक हो टिन के ढांचे खड़े करने चाहिए जबकि जहां कम संख्या में लोगों के समायोजन की आवश्यकता हो पगोड़ा टाइप शेड उपयोग में लाने चाहिए थे एवं शेड के प्रकार का यह निर्णय ओ.एस.डी. (रैन बसेरे), क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा बनी एक समिति को लेना था। हालांकि ऐसी कोई समिति नहीं बनी किन्तु लगाये जाने वाले पगोड़ा किस्म के टेंट एवं टिन संरचना की संख्या स्पष्ट किये बिना तीन एजेंसियों को 11 जनवरी 2013 को 20 ढांचों का आपूर्ति आदेश जारी हुआ जिससे आपूर्तिकर्ताओं को उनकी इच्छानुसार शेड़ खड़ी करने की खुली छूट दी गई। आपूर्ति आदेश के अनुसार टिन शेड का क्षेत्र 1000 वर्ग फीट एवं कपड़े के टेंटों का क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट था। किन्तु दोनों तरह के टेंटों का किराया बराबर था जो ₹ 2667.43 प्रतिदिन या ₹ 82,690 प्रतिमाह था। ठेकेदारों ने केवल 15 पैगोड़ा टाईप कपड़े के तम्बू एवं 5 टिन संरचनाऐं खड़ी कीं। क्योंकि बोर्ड ने दोनों तरह के टेंटों (भिन्न-भिन्न क्षेत्र के लिए) के किराये को नियोजित नहीं किया इसलिए बोर्ड को वित्तीय हानि हुई जो कि टाली जा सकती थी।

बोर्ड ने जनवरी 2014 में घोषणा की कि 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल के तम्बू उपलब्ध नहीं थे और यह प्रयास किये जा रहे थे कि उन तम्बुओं को पूर्व गठित पोर्टा केबिन या टिन शेड से बदला जाय। हालांकि यह वर्णित नहीं था कि उनके आकार के हिसाब से कपड़े के तम्बुओं का किराया कम क्यों नहीं किया गया था।

2.1.5.4 रैन बसेरों का भौतिक सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा ने यादृच्छिक चयन के आधार पर दिसम्बर 2013 में प्रथम-दृष्ट्या एवं उनकी क्रियात्मक स्थिति देखने के लिए 58 रैन बसेरों का दौरा किया। दौरे के परिणामों का विवरण **तालिका 2.1.8** में है:

तालिका 2.1.8

रैन बसेरों के सर्वेक्षण का विवरण

प्रकार	कुल संख्या	दौरे	जल सुविधा का न होना	बिजली के बिना	बिना शौचालय के	नियमित सफाई का अभाव
स्थायी	66	22	-	-	1	6
पोर्टा केबिन	84	28	5	1	5	8
अस्थायी	25	8	1	8	5	6

यह देखा गया कि:

- सभी रैन बसेरों में कम्बल हालांकि पर्याप्त थे किन्तु गन्दी स्थिति में थे,

- कपड़े के तम्बुओं में पूर्ण रूप से अस्थायी रैन बसेरे चल रहे थे जो सर्दियों के लिए अनुपयुक्त थे,
- तम्बुओं वाले रैन बसेरे चारदिवारी से घिरे हुए नहीं थे यहां तक कि लावारिस पशुओं एवं गैर सामाजिक तत्वों को रोकने के लिए टिन की शीट भी नहीं लगी थी,
- सभी 58 रैन बसेरों की सफाई की स्थिति स्वास्थ्यकर नहीं थी, एवं
- आठ अस्थायी रात्रि शिविरों में से किसी में भी प्रकाश की व्यस्था नहीं की गई थी।




चांदनी चौक और आदर्श नगर में बिना बाउंड्री कपड़ों से निर्मित रैन बसेरे

2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

2.1.6.1 निधियों का मण्डलों के लिए अनाधिकृत स्थानांतरण

बोर्ड ने जनवरी 2011 में हुई अपनी मीटिंग में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पालन किये जाने वाले वित्तीय प्रावधान को अपनाने का निर्णय लिया। इस पद्धति के अन्तर्गत, ठेकेदारों के बिल की सदस्य (वित्त) के नेतृत्व में बोर्ड के वित्तीय स्कंध द्वारा संवीक्षा की जाती है तथा पारित बिल कार्यकारी अभियंता के बैंक खाते में ठेकेदार को भुगतान करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रक्रिया का मार्च 2013 तक पालन किया गया। उसके बाद वित्तीय स्कंध ने एकमुश्त निधियों को अग्रिम रूप से बोर्ड के सभी 17 मंडलों की कार्यकारी अभियंताओं के खाते में डालना आरंभ कर दिया। नई प्रक्रिया में बदलने के लिए बोर्ड का अनुमोदन (सक्षम प्राधिकारी) नहीं लिया गया था। इसलिए नई वित्तीय पद्धति को अपनाना अनाधिकृत था एवं कमजोर वित्तीय व्यवस्थ का द्योतक इस प्रकार था:

(i) नई प्रणाली के अन्तर्गत, कार्यकारी अभियंता ठेकेदार के बिल को संवीक्षा के लिए वित्त स्कंध को प्रस्तुत नहीं करता अपितु सीधे ठेकेदारों को भुगतान करता है। वित्तीय स्कंघ के पास मंडल के अन्तर्गत भुगतान किये जाने वाले बिलों की प्रमाणिकता को जांचने का कोई साधन या प्रणाली नहीं थी, और

(ii) मंडल के खाते में अगस्त 2013 को ₹ 118.11 लाख की राशि बेकार पड़ी हुई थी जो मंडल की निधियों का अवास्तविक स्थानांतरण दर्शाती है।

अपने जवाब में बोर्ड ने कहा कि ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान में देरी से बचने के लिए एवं मंडल स्तर पर अबाध क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए अनुमोदित योजना कार्यक्रम के अनुसार आवश्यकताओं पर आधारित मंडलों को त्रैमासिक अनुदान जारी किये गये।

2.1.6.2 राजस्व संग्रहण में सुधार के लिये पहल की कमी

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना और दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि अगस्त 2013 तक, बोर्ड की संपत्तियों के 4034 आबंटितों से पट्टा किराये के

₹ 232.10 करोड़ वसूल किए जाने थे। बकाया किराये की अनिवार्यता 57 साल तक की परिधि में थी। बकाया राशि के विवरण का सारांश **तालिका 2.1.9** में दिया है:

तालिका 2.1.9

बकाया राजस्व का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुभाग	आबंटन का उद्देश्य	केसों की संख्या	राशि
1	सामुदायिक भवन	कार्यालय	12	96.53
2	बस्ती विकास केन्द्र	कार्यालय	51	6.99
3	आर.पी.सेल	दुकानें	51	23.91
4	लीज़ और परिसमापन	आवासीय	30	6.54
5	एस.सी.पी.	दुकानें	61	10.13
6	संस्थात्मक आबंटन	संस्थान	18	138.26
7	पशु डेयरी	डेयरी फार्म	1250	834.75
8	आबंटन सैल	आवासीय	52	23.04
9	संपति सैल	आवासीय	60	2.16
10	हाउसिंग	आवासीय	2449	22067.61
कुल			**4034**	**23209.92**

चूँकि बोर्ड ने समेकित मांग पंजिका नहीं बनाई थी इसलिए बकाया राशियों की निगरानी व्यक्तिगत फाइलों के द्वारा की जा रही थी। जिस कारण वसूल की जाने वाली सही राशि का निर्धारण नहीं हो सकता था। बकाया राशि इसकी वसूली के लिए बोर्ड द्वारा ठोस कदम उठाने में लापरवाही को इंगित करती है।

बोर्ड का कहना था कि (जनवरी 2014) बकाया राशि दि.न.नि. के स्लम एवं झु.झो. विभाग के कार्यकाल से संबंधित थी और अब उन्हें प्राप्त हुई थी। आगे यह भी कहा गया कि बकाया राशि की वसूली के लिए कुछ कदम उठाये गये और राजस्व के नये साधन बनाये गये।

2.1.6.3 पार्किंग स्थल के आबंटन में देरी के कारण नुकसान

जुलाई 2010 में गठित बोर्ड के परिणाम स्वरुप स्लम और झु.झो. विभाग की सारी संपत्तियाँ बोर्ड की संपत्ति हो गयी और इस प्रकार इनको उपरोक्त वर्णित पार्किंग साइट से प्राप्त होने वाली पूर्ण लाइसेंस फीस पर अधिकार प्राप्त हो गया।

(अ) दि.न.नि. की स्लम बस्ती और झु.झो. विभाग ने (सितंबर 2007) राजा गार्डन, जिला केन्द्र के भू-खण्ड को पार्किंग हेतु एक ठेकेदार को ₹ 13.53 लाख वार्षिक की दर से आबंटित किया था। करार 10 सितंबर 2007 से 5 वर्ष के लिये प्रभावी था। सितंबर 2009 में तय किया गया था कि लाइसेंस शुल्क को बराबरी से स्लम और झु. झो. विभाग तथा दि.न.नि. मे बाँटा जायेगा। यद्यपि भूमि का स्वामित्व दि.न.नि. ने बोर्ड को जुलाई 2010 में परिवर्तित कर दिया गया था, 9 सितम्बर 2012 तक ठेका लागू रहा तथा बोर्ड द्वारा लाइसेंस फीस की राशि को नवम्बर 2010 तक दि.न.नि. के साथ साझा किया। जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को इस गणना पर ₹ 11.07 लाख का नुकसान हुआ।

(ब) करार की शर्त की समय सीमा की समाप्ति के उपरांत भी बोर्ड ने ₹ 2.05 लाख प्रति माह की उसी दर से करार में समय वृद्धि को 10 जनवरी 2013 तक बढ़ा दिया। इसके बाद खुली निविदा के माध्यम से बोर्ड ने भूखण्ड को 13 जून 2013 को

₹ 1.26 करोड़ सालाना की दर पर दूसरे ठेकेदार को दो वर्ष के लिये आबंटित किया। इस प्रकार, भू-खण्ड 11 जनवरी 2013 से 12 जून 2013 तक बगैर आबंटन के रहा। यदि बोर्ड ने सितंबर 2012 में पहले के करार की समाप्ति के तुरंत बाद पार्किंग स्थान के आबंटन के लिए खुली निविदाओं का तरीका चुना होता तो उसे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता।

बोर्ड ने बताया कि (जनवरी 2014) अनजाने में लाइसेंस शुल्क को नवंबर 2010 तक दि.न.नि. के साथ बाँटा गया एवं वसूली का मामला दि.न.नि. के साथ उठाया जा चुका है। बोर्ड ने आगे कहा है कि उसे पार्किंग के नये आबंटन की निबंधन एवं शर्तें तैयार करने के लिए समय चाहिए था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के सितंबर 2012 में समाप्त होने की बोर्ड को जानकारी थी। बोर्ड को नये आबंटनों की प्रक्रिया समय रहते आरंभ करनी चाहिए थी।

2.1.7 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग में एक डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एकांउट, एक एकाउंट ऑफिसर और दो जूनियर एकाउटेंट हैं। यह अनुभाग विभिन्न विभागो और शाखाओं, जिसमें बोर्ड के निर्माण मण्डल भी शामिल हैं के नमूना लेखा परीक्षण का कार्य करता है। बोर्ड की स्थापना के समय से सिर्फ एक मंडल के लेखाओं की लेखापरीक्षा अगस्त 2013 में की गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय रा.रा.क्षे.दि.स. के द्वारा भी बोर्ड की जनवरी 2014 तक कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

इस प्रकार आंतरिक लेखा परीक्षण की अनुपस्थिति और आंतरिक गड़बडियों एवं कमियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया कमजोर थी और बोर्ड के कार्य को नियंत्रित करने के साधन अपर्याप्त थे।

बोर्ड का कथन है कि (जनवरी 2014) स्टाफ की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं था तथा इस स्कंध को मजबूत करने के प्रयास किये जा रहे थे।

2.1.8 निष्कर्ष

बोर्ड अभी तक पूर्ण रुप से गठित नही हुआ है क्योंकि बोर्ड के शीर्ष पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जानी शेष थी। बोर्ड ने सोच-विचार के साथ नियमों के मूलभूत वैधानिक प्रावधानों के प्रतिपादन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपायों की पहल नहीं की और परियोजना को प्रस्तुत नहीं किया बोर्ड का दृष्टिकोण उसके लेखे, लेखों संबंधी नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति लापरवाही पूर्ण था। पूर्ववत् दि.न.नि. द्वारा पहल की गई कार्यरत परियोजनाओं का कार्यान्वयन विसंगतियों, कमियों एवं वित्तीय अनियमितताओं से बाधित हुआ। बोर्ड द्वारा चलाई जा रही रैन बसेरों की योजना दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से कार्यान्वित नहीं हो सकी निविदाओं के बिना संविदा दिए जाने से ठेकेदारों को अवांछित लाभ पहुँचाया गया।

अपनी संपतियों के प्रबंधन और राजस्व वसूली में बोर्ड के प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है क्योकि इसके पास अपनी संपतियों से संबंधित पर्याप्त और विश्वसनीय अभिलेख नहीं थे।

2.1.9 अनुशंसायें

सरकार और बोर्ड निम्न सुझावों पर विचार कर सकते है:

- वर्तमान लेखा विधि पद्धति का पुनरावलोकन किया जाए और कोई भी नई पद्धति जिसको उचित समझें को लागू करें;

- बोर्ड को अतिरिक्त आय प्राप्ति के स्त्रोतों की खोज करना चाहिए उसके पास अपनी सम्पत्तियों के उचित अभिलेख होने चाहिए। और आबंटितों से बकाये की वसूली के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए; और
- इस प्रकार के कार्य करने वाले निपुण संगठनों को इनको सौंप कर रात्रि शिविरों के प्रबंधन में सुधार करें।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

2.2 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को औद्योगिक उत्पादन, सेवाओं, उत्पादकता, नवीनीकरण और दिल्ली की अर्थव्यवस्था के नियोजित सुधार के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति मुहैया कराता है। कुछ मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैः

मुख्य बिन्दुः

- *योजनागत व्यय में बचत थी जो कि 2008.09 में ₹ 2.21 करोड़ (7.43 प्रतिशत) से 2012-13 में ₹ 21.41 करोड़ (30.58 प्रतिशत) बढ़ गयी।*

(पैराग्राफ 2.2.2)

- *2008-12 के दौरान विद्यार्थियों की प्रशिक्षण छोड़ने की दर 16 से 23 प्रतिशत थी।*

(पैराग्राफ 2.2.3)

- *आईटीआई में 1140 संस्वीकृत पदों में से 292 पद रिक्त थे। पॉलिटेक्निको में 1080 तकनीकी पदों में से 309 रिक्त थे। प्रधानाचार्यों के नौ में से आठ तथा विभागाध्यक्षों के 25 संस्वीकृत पदों में से 21 पद रिक्त थे। शिल्प प्रशिक्षकों तथा समूह प्रशिक्षकों की दो प्रमुख श्रेणियों में रिक्तियाँ (31 व 62 प्रतिशत तक) बहुत अधिक थीं।*

(पैराग्राफ 2.2.4 एवं पैराग्राफ 2.2.4.1)

- *आईटीआई में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित 'मानक उपकरण सूची'' के अनुसार आवश्यक औजारों तथा उपकरणों का अभाव था।*

(पैराग्राफ 2.2.5.2)

- *शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में, आवश्यक अवसंरचना तथा संकाय सदस्य सुनिश्चित किए बिना ही नए ट्रेड तथा वर्तमान ट्रेडों में अतिरिक्त 106 नई इकाईयाँ (प्रवेश क्षमता 2236 सहित) प्रारंभ की गई। सीओई के अंतर्गत आरंभ किए गए किसी भी ट्रेड को एनसीवीटी से सम्बध्दता प्राप्त नहीं हो सकी।*

(पैराग्राफ 2.2.7.2 एवं पैराग्राफ 2.2.10.1)

- *2008-13 के दौरान 17 आईटीआई के 170 लक्षित निरीक्षण के प्रति निदेशक द्वारा केवल दो आईटीआई में प्रत्येक में एक-एक निरीक्षण किया गया।*

(पैराग्राफ 2.2.7.3)

2.2.1 भूमिका

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय (निदेशालय), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार दिल्ली में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा हेतु नियंत्रक विभाग है। निदेशालय को औद्योगिक उत्पादन, सेवाएँ, उत्पादकता, नवाचार के उन्नयन की अर्थव्यवस्था के

योजनाबद्ध विकास में सहयोग हेतु प्रशिक्षित तकनीकी श्रमशक्ति प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निदेशालय का लक्ष्य नवीन शैक्षणिक प्रणालियों का प्रयोग कर तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा में अग्रणी बनना और उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने हेतु छात्रों को तकनीकी तथा नवाचार के छात्रों को कौशल से लैस करना है।

2.2.1.1 संगठनात्मक ढांचा

निदेशालय सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन कार्य करता है और एक निदेशक तीन उप निदेशक, तीन सहायक निदेशक, एक नियंत्रक और एक रजिस्ट्रार इसकी सहायता करते है। निदेशालय के अधीन तकनीकी शिक्षा बोर्ड (त.शि.बो.) नौ पॉलिटेक्निक संस्थान (पॉलिटेक्निक) और 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कार्यरत हैं। यह दिल्ली में पाँच प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों पर भी प्रशासकीय नियंत्रण रखता है।

2.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- निदेशालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वित्तीय स्रोत दक्षतापूर्ण, प्रभावी ढंग से तथा मितव्ययतापूर्वक प्रबंधित किये गये थे;
- संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु अवसंरचना तथा योग्य श्रम शक्ति उपलब्ध है; और
- समुचित आन्तरिक नियन्त्रण तथा निगरानी प्रणाली है जो निदेशालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले आईटीआई, पॉलिटेक्निकों तथा महाविद्यालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है।

2.2.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2008-13 की अवधि को सम्मिलित करने वाली निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2013 से सितम्बर 2013 के बीच आयोजित हुई। लेखापरीक्षा ने छः योजनाओं (आईटीआई की 13 में से चार और पॉलिटेक्निकों की 14 में से दो) को किए गए व्यय के आधार पर चुना। चयनित योजनाओं की नमूना जाँच पाँच आईटीआई[1] तथा चार पॉलिटेक्निको[2] में की गई, जिनका चयन इन योजनाओं के तहत किए गए व्यय के आधार पर किया गया। इसके अतिरिक्त निदेशालय (मुख्यालय), बीटीई और दो प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों[3] के अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गई।

मई 2013 में किए गए एक प्रवेश सम्मेलन में निदेशक के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्डों, क्षेत्र तथा कार्यपद्धति की चर्चा की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा पर ड्राफ्ट रिपोर्ट सचिव, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा विभाग रा.रा.क्षे., दि.स. को 14 नवम्बर 2013 में जारी की गई। सरकार का उत्तर जनवरी 2014 को प्राप्त किया गया था

[1] पूसा, सिरीफोर्ट, अरब की सराय, शाहदरा और धीरपुर

[2] आर्यभट्ट, पूसा, गुरू नानकदेव और इन्टीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी द्वारका।

[3] अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, गीता कॉलोनी और जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, ओखला।

तद्नुरूप इसे सम्मिलित किया गया। एक समापन सम्मेलन निदेशक डीटीटीई के साथ 21 जनवरी 2014 को हुआ तथा विभाग के उत्तर को उचित रूप से रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया।

2.2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न स्त्रोतों से प्राप्त किए गए हैः

- निदेशालय की पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाएँ;
- भा.स. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी नीतियाँ, दिशानिर्देश व आदेश;
- प्रशिक्षुता अधिनियम 1961;
- महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईटी) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी), और बीटीई के मानक; और
- सामान्य वित्तीय नियम और अन्य सरकारी नियम।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.2 वित्तीय प्रबन्ध

2008-13 की अवधि के लिए निदेशालय (मुख्यालय, आईटीआई व पॉलिटेक्निक) का बजट आवंटन तथा व्यय **तालिका 2.2.1** में दिया गया हैः

तालिका 2.2.1

2008-13 के लिए बजट आबंटन व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर–योजनागत				योजनागत				कुल			
	बजट	व्यय	बचत	बचत (%)	बजट	व्यय	बचत	बचत (%)	बजट	व्यय	बचत	बचत (%)
2008-09	74.85	61.37	13.48	18.00	29.71	27.50	2.21	7.43	104.56	88.87	15.69	15.00
2009-10	80.81	75.64	5.17	6.40	37.84	29.08	8.76	23.15	118.65	104.72	13.93	11.74
2010-11	98.92	95.43	3.49	3.52	40.04	30.24	9.80	24.48	138.96	125.67	13.29	9.56
2011-12	93.53	90.14	3.39	3.62	45.55	32.17	13.38	29.37	139.08	122.31	16.77	12.05
2012-13	107.60	103.92	3.68	3.42	70.00	48.59	21.41	30.58	177.60	152.51	25.09	14.12
कुल	**455.71**	**426.50**	**29.21**	**6.40**	**223.14**	**167.58**	**55.56**	**24.89**	**678.85**	**594.08**	**84.77**	**12.49**

(1) स्त्रोतः सूचना निदेशालय द्वारा प्रदत *(2)* **आंकड़ों में कॉलेजों के बजट तथा व्यय सम्मिलित नहीं हैं।**

निदेशालय को 2008-13 के दौरान योजनागत बजट पर ₹ 223.14 करोड़ तथा गैर-योजनागत बजट के लिये ₹ 455.71 करोड़ आबंटित किया था। इसमें से ₹ 167.58 करोड़ (75 *प्रतिशत*) योजनागत के अन्तर्गत खर्च किये गये। तालिका प्रदर्शित करती है कि योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत बचत 2008-09 में ₹ 2.21 करोड़ (7.43 *प्रतिशत*) से बढ़कर 2012-13 में ₹ 21.41 करोड़ (30.58 *प्रतिशत*) हो गयी थी। लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

2.2.2.1 अनावश्यक प्रावधान

निदेशालय ने 14 उप-शीर्षो (योजनागत) के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया, जिनमें इसे ₹ 6.63 करोड़ का कुल बजट आबण्टित हुआ था **(अनुलग्नक 2.2)**। इन

उप-शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण बजट को या तो इन शीर्षों के अन्तर्गत या अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया अथवा वह अप्रयुक्त रह गया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि अवसंरचना की अनुपलब्धता के कारण बजट का उपयोग नहीं किया जा सका तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में निधियों के उपयोग पर सावधानी रखी जायेगी।

2.2.2.2 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय

(क) घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू टैरिफ स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक पुस्तकालयों आदि पर लागू होती है। उत्तरी दिल्ली विद्युत लिमिटेड गैर-घरेलू आपूर्ति हेतु कालेजों के लिये ₹ 12 प्रति के.वी.ए. की तुलना में ₹ 150 प्रति के.वी.ए. की दर पर मांग प्रभार लगाती है। पूसा पॉलीटेक्निक के पास दो विद्युतीय कनेक्शन थे-एक पॉलीटेक्निक भवन (संस्वीकृत भार 414 के.डब्ल्यू. तथा अनुबंध भार 295 के.डब्ल्यू.) तथा दूसरा मुद्रण तकनीकी भवन (संस्वीकृत भार 255 के.डब्ल्यू. तथा अनुबंध भार 300 के.डब्ल्यू.)। बिलों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि उ.दि.वि.लि. ने पूसा पॉलीटेक्नीक के दोनों कनेक्शनों पर घरेलू दरों के स्थान पर गैर-घरेलू दर लगाया था। यह अप्रैल 2006 से जनवरी 2012 की अवधि के लिए ₹ 56.64 लाख के परिहार्य व्यय में परिणत हुआ।

(ख) लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी पता चला कि 2006-13 के दौरान पूसा पॉलटेक्निक में पहले कनेक्शन के लिए अधिकतम वास्तविक उपभोग 170 कि.वा. (मई 2010) था और दूसरे कनेक्शन के लिए 110 कि.वा. (अक्तूबर 2010), जो दोनों संविदागत भारों क्रमशः 295 कि.वा. व 300 कि.वा. से कम था। यदि भविष्य में विस्तार के लिये 20 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन जोड़ा जाता है तो अधिकतम वास्तविक माँग 204 कि.वा. तथा 132 कि.वा. की आती है जोकि क्रमशः 91 कि.वा. तथा 168 कि.वा. से कम है। चूँकि एनडीपीएल ने संविदागत माँग पर नियत प्रभार लगाए, इसलिए पॉलिटेक्निक को वास्तविक आवश्यकता से ऊँचे नियत प्रभारों का भुगतान करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2006 से अगस्त 2013 की अवधि हेतु ₹ 28.31 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2014) कि मामले को टाटा पॉवर (पहले एनडीपीएल), लो.नि.वि. प्राधिकारियों तथा पॉवर विभाग के समकक्ष उठाया गया है।

2.2.2.3 कॉशन-मनी के लिये अलग से कैश-बुक का न बनाया जाना

डीजीईटी नियमावली के मैनुअल के पैरा 13 के परिशिष्ट 5 के अनुसार प्रत्येक छात्र से ₹ 500 की धनराशि 'कॉशन-मनी' के रुप में प्रवेश के समय ली जाती है तथा इसकी प्रविष्टि एक अलग कैश-बुक में की जाती है। यह कॉशन-मनी प्रशिक्षण की समाप्ति पर देयता, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद उसे लौटा दी जानी चाहिए। उन्हें लौटा दिये जाने की पहली तिथि से तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक दावा न किए गए सभी अधिशेषों को प्रत्येक वर्ष में मार्च के अंत में सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए।

चयनित आईटीआई में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धीरपुर और अरब की सराय (ए.के.एस.) आईटीआई को छोड़कर अन्य सभी आईटीआई द्वारा कोई पृथक कैश-बुक का रखरखाव नहीं किया जाता था अतः लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वापसी से संबंधित अन्य प्रावधानों की अनुपालना की गयी थी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को सुधारत्मक उपाय अपनाने की सलाह दे दी गयी है।

2.2.2.4 विद्यार्थी निधियों का कम उपयोग

निदेशालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निधियों का उपयोग विद्यार्थियों की कल्याणकारी क्रियाओं जैसे खेलकूद, सह-पाठचर्या एवं पाठ्येत्तर क्रियायें, प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट क्रियाओं तथा वार्षिक संगोष्ठी आदि में किया जायेगा। इस निधि के लिये प्रत्येक प्रशिक्षक से प्रवेश के दौरान ₹ 200 प्रभारित किये जाते हैं।

2008-13 के दौरान चयनित आईटीआई में विद्यार्थी निधि के लिये प्रचालन का विवरण **तालिका 2.2.2** में दिया गया है:

तलिका 2.2.2

चयनित आईटीआई में विद्यार्थी निधियों का उपयोग

(₹ लाख में)

आईटीआई का नाम	संग्रहित राशि	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
अरब की सराय	21.44	12.46	8.98	42
धीरपुर	12.47	1.70	10.77	86
शाहदरा	10.47	2.56	7.91	76
सिरीफोर्ट	8.42	4.88	3.54	42
कुल	**52.8**	**21.6**	**31.2**	**59**

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि बचतें 42 से 86 *प्रतिशत* तक थी जो कि निर्दिष्ट उद्देश्य के लिये धनराशि का व्यय न किया जाना प्रदर्शित करती है। आगे यह भी पाया गया कि 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान अधिकतर व्यय आईटीआई बाउचर की छपाई तथा नौकरी मेला, ''सोपान'' की तैयारियों में किया गया था। आईटीआई पूसा में विद्यार्थी निधि से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2014) कि संस्थानों को विद्यार्थी निधि का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

2.2.3 आईटीआई में प्रशिक्षकों का प्रवेश व प्रशिक्षण बीच में छोड़ना

दिल्ली में आईटीआई विभिन्न ट्रेडों (इंजीनियरिंग व गैर-इंजीनियरिंग) में एक से तीन वर्षों की अवधि के पाठ्यक्रम चलाते हैं। प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 8वीं से उच्चतर माध्यमिक (बारहवीं) और न्यूनतम आयु सीमा सभी श्रेणियों के लिए 14 वर्ष है, यद्यपि कोई उच्चतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। प्रवेश वार्षिक रूप से योग्यता के आधार पर होते हैं। 2008-12 के दौरान चयनित आईटीआई में प्रवेश व प्रशिक्षण बीच में छोड़ने वालों का विवरण **तालिका 2.2.3** में दिया गया हैं:

तालिका 2.2.3

प्रवेश तथा प्रशिक्षण छोड़ने वाले छात्रों का विवरण

	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		कुल (*4 वर्ष*)	
आईटीआई	(क)	(ख) *(%)*	क	ख *(%)*	क	ख *(%)*	क	ख *(%)*	क	ख *(%)*	क	ख *(%)*
अरब की सराय	1005	221 (22)	1004	178 (18)	1211	289 (23)	1239	249 (20)	1071	87 (8)	4459	937 (21)
धीरपुर	999	266 (27)	1128	304 (27)	1160	270 (23)	1436	240 (17)	1092	लाग.	4723	1080 (23)
पूसा	1093	196 (18)	1089	201 (18)	1255	283 (23)	1308	279 (21)	1371	294 (21)	4745	959 (20)

शाहदरा	640	164 (26)	696	56 (8)	729	122 (17)	689	97 (14)	479	लाग.	2754	439 (16)
सिरीफोर्ट	526	90 (17)	514	202 (39)	430	71 (17)	681	142 (21)	664	लाग.	2151	505 (23)

क–प्रवेश; ख–प्रशिक्षण छोड़ना

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि छात्रों की प्रशिक्षण बीच में छोड़ने की दर 16 से 23 *प्रतिशत* थी। यद्यपि पिछले पांच वर्षों के दौरान धीरपुर व शाहदरा आईटीआई के मामले में प्रशिक्षण छोड़ने की दर में कुछ कमी आयी फिर भी अन्य आईटीआई के मामले में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निदेशालय ने प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण छोड़ने की प्रतिशतता को कम करने के लिये परामर्श तथा जागरूकता लाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। पाँच चयनित आईटीआई में से मात्र आईटीआई, सिरीफोर्ट ने अकादमिक सत्र 2013-14 के लिये प्रशिक्षकों व उनके अभिभावकों को संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों व ट्रेडों तथा तत्सम्बन्धी प्लेसमेंट के अवसरों पर परामर्श व जागरूकता प्रदान करना प्रारंभ किया (जुलाई 2013)।

विभाग ने आईटीआई में प्रवेश लेने के बाद प्रशिक्षण बीच में छोड़ने का कारण प्रशिक्षुओं के मध्य जागरूकता की कमी (जनवरी 2014) तथा उनके अपने व्यक्तिगत कारण बताये और कहा कि आईटीआई के सभी प्रधानाचार्यों को "प्रवेश की मुहिम" पर एक कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्देश जारी कर दिया गया था, जोकि प्रशिक्षण छोड़ने की दर को कम करने के लिये आईटीआई सीरीफोर्ट में पहले ही प्रारंभ हो चुका था।

2.2.4 मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च 2013 को निदेशालय जिसमें निदेशालय (मुख्यालय), आईटीआई व पॉलिटेक्निक शामिल हैं, में संस्वीकृत कार्मिक संख्या तथा तैनात कार्मिकों की सम्पूर्ण स्थिति **तालिका 2.2.4** में दी गई है:

तालिका 2.2.4

संस्वीकृत कार्मिकों की संख्या की तुलना में तैनात कार्मिकों की स्थिति

संवर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	तैनात कार्मिक	कमी (%)
तकनीकी स्टाफ-(आईटीआई)	1140	848	292(26)
तकनीकी स्टाफ-पॉलिटेक्निक)	1080	771	309(29)
लिपिकीय पद	671	353	318(47)
कुल	**2891**	**1972**	**919 (32)**

स्रोतः निदेशालय की प्रशासन शाखा द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका निदेशालय में 919 स्टॉफ (32 *प्रतिशत*) की कमी दर्शाती है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, दो चयनित इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टॉफ की कमी पर समग्र रूप से चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

2.2.4.1 आईटीआई में शैक्षणिक स्टाफ की कमी

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) ने अपनी 37वीं बैठक (दिसम्बर 2008) में आईटीआई में प्रति ट्रेड प्रति ईकाई एक प्रशिक्षक के वर्तमान मानदण्डों के अतिरिक्त 20 *प्रतिशत* अतिरिक्त प्रशिक्षकों की अनुशंसा की, जिससे उन्हें संस्थान के

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित किए बिना नियमित आधार पर प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियोजित किया जा सके। तदनुसार सभी राज्यों के सचिवों तथा निदेशकों को प्रशिक्षण रिजर्व के रूप में 20 *प्रतिशत* अधिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

31 मार्च 2013 को शिल्प प्रशिक्षक (शि.प्र.) व समूह प्रशिक्षक (स.प्र.) की कार्मिक स्थिति **तालिका 2.2.5** में दी गई है:

तालिका 2.2.5

मार्च 2013 को संस्वीकृत पद तथा तैनात कार्मिकों की स्थिति

संवर्ग	संस्वीकृत पद	20% जोड़कर कार्मिक संख्या	तैनात कार्मिक	रिक्ति (%)
शिल्प प्रशिक्षक	824	989	679	310 (31)
समूह प्रशिक्षक	96	115	44	71 (62)

दो प्रमुख श्रेणियों, शिल्प प्रशिक्षकों (शि.प्र.) तथा समूह प्रशिक्षकों (स.प्र.) में रिक्तियां (क्रमशः 31 तथा 62 *प्रतिशत*) विशेष चिंता का विषय थीं। वस्तुतः, शिल्प प्रशिक्षकों की वास्तविक कमी 55 *प्रतिशत* थी क्योंकि 230 प्रशिक्षकों को इस श्रेणी में संविदागत आधार पर नियुक्त किया गया था। चयनित आईटीआई की नमूना जांच में पता चला कि छः *प्रतिशत* शैक्षणिक स्टाफ को निदेशालय मुख्यालयों या अन्य संस्थानों में दूसरे कामों पर नियुक्त किया गया था और 12 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त प्रशासकीय कार्य भी सौंप दिया गया था।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों की भर्ती के लिये डीएसएसएसबी के साथ मिलकर प्रयास किया जा रहा है। भर्ती नियमों में परिवर्तन द्वारा बाजार से सेवायें प्राप्त करने व संवीदा पर नियुक्ति की संभावनाओं की खोज की जा रही थी।

2.2.4.2 आईटीआई में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी

एनसीवीटी मानदण्डों के अनुसार, प्रशिक्षकों को सभी माड्यूलों में प्रशिक्षित होना चाहिए, उनके पास प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का दर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) होना चाहिए और उन्हें एनसीआईसी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने पर ही ऊँचे पद पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए। एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई को प्रतिवर्ष 'प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक कार्यक्रम' हेतु 20 से 30 *प्रतिशत* प्रशिक्षकों को प्रतिनियोजित करना चाहिए जिससे तीन वर्षों के एक चक्र में सभी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हो जाए। तथापि पांच चयनित आईटीआई में इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। पांच चयनित आईटीआई में प्रशिक्षकों की स्थिति **तालिका 2.2.6** में दी गई है:

तालिका 2.2.6
प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की उपलब्धता

आईटीआई का नाम	कुल प्रशिक्षक	प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक	प्रशिक्षण प्राप्त न किए हुए प्रशिक्षक	प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का %
अरब की सराय	81	11	70	14
धीरपुर	90	8	82	9
पूसा	107	14	93	13
शाहदरा	42	5	37	12
सिरीफोर्ट	25	2	23	8
कुल	**345**	**40**	**305**	**12**

उपरोक्त तालिका के अनुसार 345 प्रशिक्षकों में से मात्र 40 (12 *प्रतिशत*) प्रशिक्षित थे। अतः, निदेशालय आईटीआई में अध्यापकों की क्षमता तथा मानक को ऊँचा उठाने हेतु एनसीवीटी द्वारा निर्धारित कसौटी को पूर्ण नहीं कर पाया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा प्रशिक्षण को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के द्वारा आयोजित किया गया था।

2.2.4.3 पॉलीटेक्निकों में स्टॉफ की कमी

पॉलीटेक्निकों में 1080 संस्वीकृत तकनीकी पदों में से 309 (29 *प्रतिशत*) रिक्त थे। यहां तक कि प्रधानाचार्यों के आठ पद और विभागाध्यक्षों के 21 पद क्रमशः नौ और 25 संस्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त थे। व्याख्याताओं के मामले में 579 संस्वीकृत पद थे और मात्र 470 पद भरे गए थे जिनमें संविदागत आधार पर भरे गये 124 पद सम्मिलित है। इसके अलावा लैब टैक्निशियन के 57 संस्वीकृत पदों में से 45 पद तथा तकनीकी सहायक के 168 संस्वीकृत पदों में से 53 पद भी रिक्त थे।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों की भर्ती के लिये डीएसएसएसबी के साथ मिलकर प्रयास किया जा रहा है। भर्ती नियमों में परिवर्तन द्वारा बाजार से सेवायें प्राप्त करने तथा संवीदा पर नियुक्ति की संभावनाओं की खोज की जा रही थी।

2.2.4.4 लिपिकीय स्टाफ की कमी

आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटीई सहित निदेशालय में लिपिकीय स्टाफ की भी कमी थी, क्योंकि 671 पदों में से 318 (47 *प्रतिशत*) पद रिक्त थे। विशेषतः लिपिकीय संवर्ग में 281 में से 141 पद (50 *प्रतिशत*) रिक्त थे। इसी प्रकार, शैक्षणिक व तकनीकी स्टाफ को मुख्यालय व अन्य संस्थानों में प्रशासकीय कार्यों पर लगाया गया था।

इस प्रकार, शैक्षणिक स्टाफ की कमी के साथ-साथ उपलब्ध शैक्षणिक स्टाफ द्वारा प्रशासकीय कार्य किए जाने से प्रशिक्षुओं को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता स्पष्टतः प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, स्टाफ की कमी से समुचित अभिलेख व सूचना के अनुरक्षण में भी गतिरोध हुआ जो कि विभिन्न प्रशासकीय उपायों तथा योजनाओं के नियोजन व क्रियान्वयन का आधार है।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

2.2.4.5 जी.बी. पंत कॉलेज में तकनीकी स्टाफ हेतु भर्ती नियमों का निर्धारण न होना

जी.बी. पंत कॉलेज के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि नवम्बर 2007 में सृजित 98 तकनीकी पदों पर नियमित भर्तियाँ नहीं की जा रही थीं क्योंकि भर्ती नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। भर्ती नियमों के निर्धारण हेतु ठोस प्रयत्न करने के बजाय कॉलेज ने अपवर्तन, संविदा गत या आउटसोर्सिंग के आधार पर 57 पद (58 *प्रतिशत*) भरे, जबकि 41 पद (42 *प्रतिशत*) रिक्त थे। इसके अतिरिक्त, 32 लिपिकीय पदों (53 *प्रतिशत*) में से 17 पद भी मार्च 2013 तक रिक्त थे।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि तकनीकी स्टॉफ के लिये भर्ती नियमों का निर्धारण प्रगति पर है।

2.2.4.6 अम्बेडकर कॉलेज में तकनीकी स्टाफ की कमी

109 संस्वीकृत शैक्षणिक व तकनीकी पदों में से 60 (55 *प्रतिशत*) रिक्त थे। विशेषतः प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 74 पदों में से 45 पद (61 *प्रतिशत*) रिक्त थे। कॉलेज ने बताया कि इस कमी की पूर्ति अतिथि अध्यापकों और संविदागत आधार पर नियुक्त अध्यापकों को बुलाकर की जा रही है।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि इन पदों को भरने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

2.2.5 योजनागत स्कीमों का क्रियान्वयन और देखरेख

निदेशालय आईटीआई के लिए 13 एवं पोलिटेक्निक के लिए 14 योजना स्कीमें चला रही हैं। निदेशालय की योजना शाखा योजनाओं के क्रियान्वयन और देखभाल के लिए नोडल शाखा का कार्य करती है। यह विभिन्न पोलिटेक्निक और आईटीआई में चल रही योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन करती है। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि योजना शाखा ने बिना स्पष्ट विभेद किए विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन तकनीकी शिक्षा सामुदायिक सहायता योजना तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान कल्याण समिति और सामान्य लेखा शीर्षकों जैसे मशीनरी और उपकरण (एमएंडई), सामग्री और आपूर्ति (एमएंडएस) आदि के नाम से किया। अंतिम बिंदु पर जहां पर फंड का उपयोग होना था वहां योजनाओं के स्पष्ट रूप से विभेद न होने के कारण बजट में स्पष्टता नहीं थी। योजनाओं के क्रियान्वयन पर उपयोग होने वाले बजट के लिए निदेशालय द्वारा इन आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों को कोई पृथक निर्देश या नियमावली नहीं दिए गए थे। अतः आईटीआई तथा पालिटेक्निक कालेजों द्वारा केवल नियमित शीर्षों के तहत खर्च किया तथा बुक किया गया। चूँकि निधियों का आबंटन स्कीम वार नहीं किया गया था। अतः संस्थान को यह पता भी नहीं था कोई योजनागत स्कीम भी चल रही थी जिससे संस्थानों द्वारा स्कीमों के लिये विशिष्ट रूप से कोई फाइल या रिकार्ड नहीं बनाया गया था। योजनाओं पर होने वाले खर्च का निर्धारण अंतिम रूप से योजनागत शाखा के द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत किया जाता है। यद्यपि लेखापरीक्षा जाँच में यह पता नहीं चल सका कि विभिन्न स्कीमों में किस आधार पर योजनागत शाखा के द्वारा बजट का आबंटन किया गया और खर्च बुक किया गया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि लेखा शीर्ष मशीनरी तथा उपकरण के अन्तर्गत किया गया व्यय नयी मशीनरी की खरीद तथा पुरानी मशीनरी को नये के द्वारा बदले जाने पर किये गये व्यय पर बुक किया गया है। आगे यह भी देखा गया कि संस्थान को योजनागत स्कीमों का ज्ञान है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संस्थानों द्वारा निधियां स्कीम-वार आबंटित करने के बजाय उप-शीर्षवार आबंटित की गयी तथा उप-शीर्षवार ही व्यय बुक किया गया। संस्थानों ने स्कीम-वार अभिलेख नहीं रखे थे। यद्यपि विभाग ने कहा कि निदेशालय के अन्तर्गत चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जागरूक बनाने के बारे में संस्थानों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जाँच हेतु लेखापरीक्षा ने योजनागत स्कीम से आईटीआई के लिए चार एवं पॉलिटेक्निक के लिए दो योजनाओं का चयन किया। वर्ष 2008-13 की अवधि के लिए इन छः चयनित योजनाओं के मद में बजट का आबंटन एवं कार्यों का विवरण नीचे **सारणी 2.2.7** में दिया गया:

तालिका 2.2.7

चयनित योजनाओं का बजट और व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजनाऐं	बजट	व्यय
	आईटीआई		
1.	आईटीआई/बीटीसी का आधुनिकीकरण एवं पुनर्संरचना	1347.48	945.87
2.	नये आईटीआई स्थापना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का पुनरोद्धार	995.00	299.86
3.	प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधार के लिए उन्मेषी कौशल विभिन्न रूपों में नये पाठ्यक्रम को शामिल करना	2515.52	2327.78
4	आईटीआई को 'उत्कृ□ केन्द्र के रूप में उन्नत करना"	913.00	491.02
	पोलिटेक्निक्स		
5.	पोलिटेक्निक में उपलब्ध सुविधाओं का पुर्नस्थापना एवं पुर्नसंरचना	3537.50	2894.35
6	मशीनों तथा उपकरणों का पुर्नविस्थापन और आधुनिकीकरण	1022.50	747.92

लेखापरीक्षा ने चयनित पाँच आईटीआई और चार पोलिटेक्निक में चलायी जा रही चयनित योजनाओं के चलाये जाने में निदेशालय के निष्पादन का निर्धारण किया जिसका विवरण नीचे के पैराग्राफों में दिया गया है।

2.2.5.1 आईटीआई का आधुनिकीकरण और पुनर्संरचना

योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने मशीनों और उपकरणों को हटाना और कार्य में न आ सकने वाले औजारों की जगह नये औजार मुहैया कराना था ताकि कमियों को पूरा किया जा सके। निदेशालय के द्वारा इन पांच चयनित आईटीआई की स्कीमों हेतु वर्ष 2008-13 के दौरान ₹ 7.10 करोड़ खर्च किए।

2.2.5.2 औजारों और उपकरणों की कमी

एनसीवीटी के नियमानुसार, आईटीआई कॉलेजों में संबंधित व्यवसाय की मानक औजार सूची (एसटीएल) में विनिर्दिष्ट उपकरण एवं औजार होने चाहिये। प्रत्येक संकाय के प्रशिक्षणार्थियों को 16 और एक अतिरिक्त औजार सैट मुहैया कराया जाना था। लेखापरीक्षा ने एसटीएल के मानदंड के अनुरूप औजार और उपकरणों की उपलब्धता में कमियां पायी जिसका सारांश नीचे दिया गया है:

- आईटीआई पूसा के पास प्रत्येक संकाय के लिए एसटीएल मानदंड के अनुरूप पूर्ण औजार और उपकरण नहीं थे। उपकरण जैसे कि स्क्रू डाइवर, रिंग स्पॉनर, कटिंग प्लायर, प्लायर कांबिनेशन, सोल्डिग आयरन, मल्टीमीटर, टांग टेस्टर, आदि या तो उपलब्ध नहीं थे या उपयोग योग्य नहीं थे। औजारों और उपकरणों को विद्यमान संकायों के साथ साझा करके पूरा किया जा रहा था।

- आईटीआई धीरपुर में डिजिटल फोटोग्राफी संकाय को वर्ष 2009 में शामिल किया गया जबकि इसके लिए एसटीएल मानदंड के अनुरूप (फोटोग्राफी बैकग्राउंड कम्प्लीट स्टैंड, स्टूडियो वीडियो लाइट, क्रोम लाइट आदि) औजार सितम्बर 2013 तक नहीं खरीदे गए थे।

- आईटीआई सीरीफोर्ट में विभिन्न संकायों जैसे स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), सिलाई और कढ़ाई टेक्सटाईल डिजाइन, कम्प्यूटर आपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट (कोपा),

सूचना प्रोद्योगिकी और इएसएम, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, फूड प्रोडक्सन और हेयर और स्कीन फैशन टेक्नोलॉजी के लिए एसटीएल के मानदंड के अनुरूप उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार निदेशालय ने एसटीएल के मानदंड के अनुरूप उपकरणों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि योजनागत निधियों को बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही थी जिससे कि कच्चा माल तथा अन्य मदें मानकों के अनुरूप उपलब्ध करायी जा सके।

2.2.5.3 डीजल जेनरेटर सैट की अनुपलब्धता

एनसीवीटी ने डीजल जेनरेटर सैट के बैक-अप का प्रावधान किया ताकि बिजली जाने की स्थिति में भी प्रशिक्षण कार्य प्रभावित न हो। यद्यपि चयनित आईटीआई के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लोड शेडिंग के दौरान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तीनों आईटीआई (शाहदरा, सीरीफोर्ट, पूसा) में डीजी सैट उपलब्ध नहीं थे।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को डीजी सैट को स्थापित करने हेतु स्थान की उपलब्धता के निर्धारण तथा इस संबंध में आगे कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2.2.5.4 प्रशिक्षण के लिए कच्चे माल एवं उपभोज्य की कमी

आईटीआई पूसा के वर्ष 2012-13 के दस्तावेजों के जांच यह पता चला कि तात्कालिक आधार पर प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्य के लिए 667 मदों (कच्चे माल एवं उपभोज्य) की आवश्यकता थी और जिन पर ₹ 22.93 लाख व्यय होने थे। वर्ष 2011-12 से संकाय ईंचार्ज द्वारा सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाला जा रहा था क्योंकि प्रशिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। हालांकि अगस्त 2013 तक इन 667 मदों में से सिर्फ 204 मदें ही ₹ 8.99 लाख में खरीदी गयी। संस्थान ने बताया कि बोलीकर्ताओं/आपूर्तिकर्ताओं ने सिर्फ 204 मदों के लिये ही मूल्य उदृत किए।।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वह प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिये पहले से ही कच्चे माल/उपभोज्य की आवश्यकता का निर्धारण करे।

2.2.6 नये आईटीआई की स्थापना और आईटीआई का पुनरूद्धार

इस योजना के अंतर्गत नये आईटीआई की स्थापना और पूर्व स्थापित आईटीआई का पुनरूद्धार किया जाना था। वार्षिक योजनाओं (2008-13) के अनुसार निदेशालय में पांच नये आईटीआई की स्थापना क्रमशः रनहोला, द्वारका, छतरपुर, बवाना और मंगोलपुरी में करने की योजना थी। इसके अतिरिक्त, आईटीआई शाहदरा के पुराने भवन की जगह एक नये भवन का भी निर्माण करने की योजना मार्च 2008 में बनाई गई थी।

यद्यपि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि निदेशालय ने इन कार्यों के पूर्ण करने के लिए कोई नियत समय सीमा निर्धारित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप भवन निर्माण का कार्य सितंबर 2013 तक भी प्रारंभ नहीं हो सका। आईटीआई बवाना एवं द्वारका के मामले में विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि निर्माण कार्य के बारे में शुरूआत तक नहीं की गई तथा इसकी वर्तमान स्थिति भी

उपलब्ध नहीं है। मंगोलपुरी आईटीआई के बारे में विभाग ने कहा कि प्रशासनिक अनुमोदन एवं ₹ 51.53 करोड़ की व्यय की संस्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष दो आईटीआई में इन कार्यों की वर्तमान स्थिति और विलंब के कारणों पर नीचे के उप-पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

2.2.6.1 आईटीआई छतरपुर

नेब सराय के भूखण्ड के स्थान पर निदेशक (पंचायत) ने (जून 2006) ₹ 1.16 करोड़ के मूल्य की (4.18 एकड़ भूमि) ग्राम सभा की आईटीआई (छतरपुर) के निर्माण के लिए आबंटित की जिसका भौतिक स्वामित्व अक्टूबर 2006 में लो.नि.वि. को सौंप दिया गया। नेब सराय के भूखण्ड की लागत (₹ 40.69 लाख) को समायोजित कर ₹ 75.31 लाख की राशि का भुगतान किया जाना था। ड्राइंग को अंतिम रूप दिये जाने तथा प्रारंभिक संरचना पर वित्त विभाग की आपत्तियों के पश्चात् लो.नि.वि. ने परामर्श हेतु ₹ 91.11 लाख का तथा मुख्य परियोजना हेतु जनवरी 2012 में ₹ 58.64 करोड़ का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया। तदनुरूप भूखण्ड उपयोग के परिवर्तन के संबंध में फरवरी और मई 2012 में दि.वि.प्रा. को और फरवरी 2012 एवं फरवरी 2013 में प्रखंड विकास पदाधिकारी (दक्षिण) को भेजा गया।

निदेशालय ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि भूमि को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित किया जाना था जो कि उस पर पैरा-मेडिकल कोर्स के लिए आईटीआई का निर्माण करती। अतः दो विभागों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण आईटीआई का निर्माण नहीं हो सका, जिसकी आवश्यकता 2006 में ही समझी गयी थी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आईटीआई के निर्माण का प्रस्ताव अभी भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/दिल्ली कैंसर सोसाइटी से अभी तक प्रतीक्षित है। यह भी कहा गया कि मामलों को उप-आयुक्त (दक्षिण) के साथ भूखण्ड उपयोग की स्थित सुनिश्चित करने के लिये उठाया गया।

2.2.6.2 आईटीआई रनहोला

ग्राम सभा की 6.22 एकड़ भूमि ₹ 1.01 करोड़ की राशि पर आईटीआई के निर्माण के लिए (जुलाई 1999) निदेशक (पंचायत) द्वारा निदेशालय को आबंटित की गई तथा भूमि का स्वामित्व अगस्त 2002 में लो.नि.वि. को सौंप दिया। नवंबर 2002 में लो.नि. वि. के वरिष्ठ परामर्शदाता की नियुक्ति भवन योजना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिये की गयी। अप्रैल 2003 में लो.नि.वि. के द्वारा भूमि से संबंधित मुद्दों को उठाया गया जिसमें जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य से बदलकर संस्थानिक कार्य हेतु किया जाना था, इस मुद्दे को दि.वि.प्रा. के समक्ष भेजा गया। जब अक्टूबर 2007 में एक वास्तुशिल्पीय परामर्शदाता को नियुक्त किया गया तो परामर्शदाता ने स्वामित्व, प्रारंभिक योजना व भूमि उपयोग में किये बदलाव प्रदान करने का अनुरोध किया। यद्यपि अभिलेखों से पता चला कि भूमि उपयोग को सुलझाया नहीं गया। अतः भूमि के आबंटन के 13 वर्षों के बाद भी निर्माण आरंभ नहीं कराया गया (सितम्बर 2013)।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि भूमि सीमांकन के ले-आउट प्लान, बी.डी.ओ. (नांगलोई) तथा लो.नि.वि. से प्रतीक्षित है। तथ्य यह है कि आईटीआई का निर्माण नहीं किया जा सका जिसके कारण निर्माण कार्य कराने का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

2.2.6.3 शाहदरा में नए आईटीआई भवन का निर्माण

आईटीआई, शाहदरा में एक नए भवन का प्रस्ताव 2007 में किया गया, क्योंकि वर्तमान भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। पुराने भवन में एक प्रशासन खण्ड और तीन कार्यशालाएँ थीं। निदेशालय ने लो.नि.वि. को फरवरी 2009 में नए भवन हेतु आवश्यकताएँ भेजीं। इसी बीच आईटीआई, शाहदरा को "सेंटर ऑफ एक्सिलेंस" योजना के तहत चुना गया और इसे सार्वजनिक निजी भागिदारी (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से उन्नत बनाया जाना था। तदनुसार प्रधान सचिव, डीटीटीई ने संस्थान प्रबंधन समिति (सं.प्र.स.) को हास्पीटिलिटी सैक्टर में पाठ्यक्रम प्रारंभ कर विश्वस्तरीय सुविधाओं युक्त विश्वस्तरीय संस्थान तैयार करने का निर्देश दिया (नवंबर 2010) जिसमें नए ट्रेड प्रारंभ किए जाने थे। निदेशालय ने लो.नि.वि. को संशोधित भवन आवश्यकताएँ अग्रेषित कीं (सितम्बर 2011)। लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.नि.वि. ने जुलाई 2013 तक भी निर्माण कार्य हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की थी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु निविदा की प्रक्रिया लो.नि.वि. में प्रक्रियाधीन है।

2.2.7 आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने हेतु उभरते कौशलों और अनुशासनों में नए पाठ्यक्रम का प्रारंभ व पाठ्यक्रमों का वैविध्यकरण

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य नए ट्रेड प्रारंभ करना, अनुपयोगी ट्रेडों के स्थान पर रोजगार की संभावनाओं व बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए नए ट्रेड रखना और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारना, पुस्तकालयों का उन्नयन, तथा आईटीआई का निरीक्षण, इत्यादि थे। चुने हुए संस्थानों की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

2.2.7.1 नए ट्रेडों को प्रारंभ करने में कमी

निदेशालय की वार्षिक योजना 2008-09 के अनुसार डीजीईटी द्वारा चिन्हित 32 नए ट्रेड प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने हेतु आरंभ किए जाने थे जिसके लिए ₹ 3.25 करोड़ का परिव्यय भी निश्चित किया गया। तथापि यह देखा गया कि 2012-13 तक मात्र 13 पाठ्यक्रम ही प्रारंभ किए गए थे।

विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि उपलब्ध अवसरंचना तथा वर्तमान बाजार माँग के आधार पर नये व्यापारों के आरंभ की सिफारिशों के लिए समिति का गठन किया गया था।

2.2.7.2 समान बुनियादी ढांचे के बगैर ट्रेडों में 106 नई इकाईयों का प्रारंभ

एक नए ट्रेड अथवा वर्तमान ट्रेड में अतिरिक्त इकाईयों हेतु मान्यता चाहने वाले आईटीआई को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। आईटीआई के लोकप्रिय तथा विशेष मांग वाले ट्रेडों में प्रशिक्षकों की वर्तमान प्रवेश क्षमता को कम से कम 20*प्रतिशत* बढ़ाने का निर्णय लिया गया (अगस्त 2011)। तदनुसार शैक्षणिक वर्ष 2011-12 हेतु प्रवेश के लिए विभिन्न आईटीआई में वर्तमान ट्रेडों में 2236 प्रवेश क्षमता के साथ 106 नई इकाईयाँ प्रारंभ की गईं। इसके लिए निदेशालय की प्रशासन शाखा को संकाय सदस्य सुनिश्चित करने थे तथा योजना विभाग को आवश्यक बुनियादी ढांचे की खरीद हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्यों से बातचीत करनी थी। लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित कमियां पायी गयी:

शिल्प प्रशिक्षकों (शि.प्र.) की संस्वीकृत कार्मिक संख्या 824 को 2010-11 से 2012-13 के दौरान संशोधित नहीं किया गया, जो यह दर्शाता है कि नई इकाईयों के लिए अतिरिक्त संकाय सदस्य हेतु आवश्यकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि जनवरी 2012 में 123 संविदागत शि.प्र. की भर्ती की गई परंतु 2010-11 से 2012-13 में कार्मिकों की स्थिति 690 से 679 हो गयी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निदेशालय ने विद्यमान रिक्तियों को नहीं भरा तथा शि.प्र. की रिक्तियों को नयी स्थापित इकाई के लिये छोड़ दिया।

- आईटीआई द्वारा उपकरण व बुनियादी ढांचे की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव निदेशालय को अगस्त 2011 में प्रवेश लिए जाने के बाद ही प्राप्त हुए। इस प्रकार सत्र आवश्यक मशीनरी व उपकरण की उपलब्धता के बगैर ही प्रारंभ हुए। उदाहरणस्वरूप, आईटीआई, पूसा ने बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित किए बगैर सात नई इकाईयों को प्रारंभ किया। ट्रेडों के सम्बन्धित प्रभारियों ने प्रधानाध्यक से तात्कालिक आधार पर 56 ड्यूअल डेस्कों की खरीद हेतु अनुरोध किया (अगस्त 2011), इसकी प्राप्ति दिसम्बर 2012 (अर्थात् नए सत्र के प्रारंभ के 15 माह बाद) में ही हो सकी।
- आईटीआई, अरब की सराय में 16 नई इकाईयाँ प्रारंभ की गईं। तथापि यह देखा गया कि नवीन प्रारंभ की गई इकाईयों हेतु शिल्प प्रशिक्षकों के पास वांछित अर्हता नहीं थीं। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निरीक्षक के ट्रेडों हेतु शिल्प प्रशिक्षकों के पद अब भी रिक्त थे।
- आईटीआई, धीरपुर में निधियों, स्थान व संकाय सदस्यों की कमी के कारण नई कक्षाओं का प्रबंध विद्यमान सुविधाओं के साथ ही किया गया।
- आईटीआई, शाहदरा में 2011-12 में प्रारंभ किए गए छः नए ट्रेडों में से चार को 2012-13 में उनके लोकप्रिय न होने के आधार पर, जैसा कि संस्थान ने बताया, बंद कर दिया गया।

अतः निदेशालय ठोस नीति एवं एक कार्यात्मक ढांचे के बगैर ही आईटीआई में नई इकाइयों की संख्या बढ़ाता गया जिसके परिणामस्वरूप वह उसी के समान आवश्यक बुनियादी ढांचे तथा संकाय सदस्यों की सुनिश्चितता में विफल रहा।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आईटीआई के प्रधानाचार्यों को उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिये संस्थानों को दो शिफ्टों में चलाने का निर्देश दिया गया।

2.2.7.3 आईटीआई का निरीक्षण

डीजीईटी नियमावली के अनुसार, राज्य प्रशिक्षण निदेशालय के निरीक्षण अधिकारियों को अपने प्रभार में आने वाले आईटीआई का जितनी बार संभव हो, निरीक्षण करना चाहिए और प्रशिक्षण पर सलाह देनी चाहिए और राज्य निदेशक को प्रत्येक आईटीआई में प्रत्येक वर्ष में दो बार निरीक्षण करना चाहिए। मानक के अनुसार 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 17 सरकारी आईटीआई में 170 निरीक्षण किए जाने अपेक्षित थे। जबकि निरीक्षक ने इस अवधि में मात्र दो आईटीआई में प्रत्येक में एक-एक निरीक्षण किया।

इसके अतिरिक्त, एक संस्थान का नियमित आन्तरिक निरीक्षण समूह प्रशिक्षक व प्रधानाचार्य के स्तर पर किया जाना चाहिए। यह निरीक्षण एक समय में एक अनुभाग तक सीमित होना चाहिए व सघन व सम्पूर्ण होना चाहिए जिसमें अनुभाग की

गतिविधियों के सभी पहलू और प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले सभी घटक सम्मिलित हों तथा अधिमानतः रूप से प्रति सप्ताह में चार दिन किया जाना चाहिए। यद्यपि चुने गये आईटीआई में से किसी में भी ये निरीक्षण नहीं किए गए।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आईटीआई का निरीक्षण तत्काल प्रभाव से निरंतर किया जायेगा।

2.2.8 पॉलीटेक्निकों में विद्यमान सुविधाओं की पुर्नव्यवस्था तथा पुनर्गठन

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य पॉलीटेक्निकों को उन्नत कर डिग्री कॉलेज बनाना, बुनियादी ढांचे में सुधार, पॉलीटेक्निकों में प्रशिक्षण के स्तर व गुणवत्ता में सुधार करना, इत्यादि है।

2.2.8.1 पॉलिटेक्निकों का डिग्री कॉलेज के रूप में उन्नयन न किया जाना

इस योजना के अन्तर्गत, कस्तूरबा महिला पॉलीटेक्निक व अम्बेडकर पॉलिटेक्निक को 2008-09 में उन्नत करके डिग्री कॉलेज बनाने का प्रस्ताव किया गया था परंतु सितम्बर 2013 तक यह नहीं किया जा सका था। निदेशक ने कहा (जून 2013) कि पॉलिटेक्निकों का उन्नयन नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिये अतिरिक्त अवसंरचना तथा कार्मिकों के उन्नयन की आवश्यकता है।

2.2.9 मशीनरी व उपकरण का प्रतिस्थापन व आधुनिकीकरण

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुपयोगी मशीनरी तथा उपकरण जोकि पुराने हो चुके हैं, को आधुनिक उपकरण से बदलना, सभी संस्थानों में नेटवर्किंग तथा प्रापण किए गए उपकरण से मेल खाती सहायक सुविधाओं से कार्यशालाओं को सुसज्जित करना, इत्यादि है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि पॉलीटेक्निकों में वहाँ चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु मानक औजार सूची (एसटीएल) नहीं थी। इसलिए पॉलीटेक्निकों ने विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा दी गईं आवश्यकताओं के आधार पर मशीनरी व उपकरण को क्रय किया। अतः एसटीएल न होने के कारण लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वर्तमान या नवीन क्रय की गई मशीनरी तथा उपकरण छात्रों की संख्या हेतु पर्याप्त थे।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि पॉलिटेक्निक के मामले में मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर आधारित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विवाद की स्थिति से बचने के लिये मानक औजार सूची होनी चाहिये।

2.2.10 आईटीआई का 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में उन्नयन

भा.स. ने (2004-05) आगामी पाँच वर्षों में भारत भर के 500 आईटीआई का उन्नयन कर 'उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)' बनाने की योजना प्रारंभ की। इस योजना हेतु निधीय दो स्रोतों-विश्व बैंक सहायता (400 आईटीआई के लिए) और घरेलू निधीयन (100 आईटीआई के लिए) से प्राप्त होना था। 2007-08 में भा.स. ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 1396 अतिरिक्त आईटीआई का उन्नयन कर सीओई बनाने की घोषणा कर इस योजना में वृद्धि की। इस योजना का उद्देश्य आईटीआई को नवीनतम औजारों, उपकरण, मशीनरी, शिक्षण विधि, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता के उपयोग द्वारा उन्नत कर विश्वस्तरीय बनाना था जिससे प्रशिक्षकों को उद्योग में उपयुक्त रोजगार मिल सके। इसके लिए इस उद्योग से घनिष्ठ सम्बन्ध आवश्यक है जिससे प्रशिक्षकों को अपने प्रशिक्षण के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में 'ऑन द जॉब' प्रशिक्षण और अन्ततः सुरक्षित रोजगार सुलभ हो सके।

दिल्ली में तीन आईटीआई (धीरपुर, अरब की सराय और जेल रोड) को विश्व बैंक सहायता के माध्यम से उन्नयन हेतु चुना गया और इस योजना पर व्यय को भा.स. तथा राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में बांटा जाना था। आईटीआई, पूसा को घरेलू निधीयन के अन्तर्गत तथा नौ आईटीआई (चयनित आईटीआई, शाहदरा सहित) को पीपीपी के अन्तर्गत चरणवार ढंग से उन्नत किया जाना था। लेखापरीक्षा में आईटीआई की नमूना जांच के लिये सीओई के अन्तर्गत बजट व व्यय **तालिका 2.2.8** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 2.2.8

सीओई हेतु आबंटित निधियॉं तथा व्यय

(₹ लाख में)

आईटी आई	क्षेत्र	केन्द्र अंश	राज्य अंश	कुल निधियॉं	व्यय (केन्द्र)	व्यय (राज्य)	कुल व्यय	बचत	बचत का %
अरब की सराय	उत्पादन व निर्माण	223	69	292	207	69	276	16	5
धीरपुर	वैद्युत	174	99	273	88	29	117	156	57
पूसा	ऑटोमोबाईल	73	25	98	73	25	98	0	0
शाहदरा	हास्पिटिलिटी	250	0	250	0.02	0	0.02	249.98	99
कुल		**720**	**193**	**913**	**368.02**	**123**	**491.02**	**421.98**	**46**

तालिका से यह देखा जा सकता है कि अरब की सराय तथा पूसा के अतिरिक्त आवण्टित निधियों में 57 से 99 प्रतिशत की बचत थी। इस प्रकार आईटीआई धीरपुर तथा शाहदरा समुचित नियोजन के अभाव के कारण इस योजना के क्रियान्वयन में उपलब्ध निधियों का उपयोग करने में विफल रहे, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में बताया गया है।

2.2.10.1 विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत सीओई के क्रियान्वयन में कमियॉं

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि एनसीवीटी के साथ ट्रेडों से मान्यता हेतु मानकों के अनुसार मशीनरी तथा उपकरण, संकाय, कार्यशालाओं इत्यादि में आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने से पहले ही प्रशिक्षकों को प्रवेश दे दिया गया। विवरण निम्नलिखित है:

- किसी भी आईटीआई में सीओई के अन्तर्गत प्रारंभ किया गया कोई ट्रेड एनसीवीटी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मशीनरी, उपकरण, श्रमशक्ति जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता न होने के कारण एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त नहीं कर सके,

- आईटीआई, अरब की सराय में सम्बन्धित ट्रेड में प्रवेश जुलाई 2006 में प्रारंभ किए गए, जबकि इस योजना के लिए औजारों तथा उपकरण (अनुमानित लागत ₹ 1.48 करोड़) की खरीद हेतु प्रस्ताव फरवरी 2007 में अनुमोदित किया गया। आगे, 2007-13 के दौरान ₹ 2.75 करोड़ की लागत पर खरीदे गए यन्त्र व औजार अक्टूबर 2013 तक कार्यशाला सं. 2 में आवश्यक सिविल व विद्युत कार्य पूरे न होने के कारण प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे;

- आईटीआई, पूसा में 2012-13 में 81 मशीनरी एवं उपकरण मदों (अनुमानित लागत ₹ 11.57 लाख) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यद्यपि कोई भी मद 2012-13 में क्रय नहीं की गई,

- आईटीआई, धीरपुर में कक्षाएं चल रही थीं जबकि एसटीएल के अनुसार मशीनरी व उपकरणों की 61 मदों की कमी थी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सीओई के उन्नयन के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्य सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए जा रहे थे। यह भी कहा गया कि मशीनों एवं उपकरणों की कमी को मदों की खरीद के द्वारा दूर किया जा रहा था।

2.2.10.2 आईटीआई, शाहदरा को सीओई के रूप में उन्नत न किया जाना

पीपीपी प्रणाली के अन्तर्गत आईटीआई के उन्नयन की प्रक्रिया का नेतृत्व करने हेतु एक उद्योग भागीदार को सहयोगी बनाया जाता है तथा एक संस्थान प्रबन्धन समिति (सं.प्र.स.) का गठन व एक सोसाईटी के रूप में पंजीकरण किया जाता है जिसका अध्यक्ष उद्योग भागीदार होता है। भा.स. द्वारा ₹ 2.50 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण आईटीआई में प्रशिक्षण अवसंरचना के उन्नयन हेतु सीधे स.प्र.स. को जारी किया जाता है तथा सं.प्र.स. को आईटीआई में प्रवेशों के 20*प्रतिशत* तक का निर्धारण करने की भी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। आईटीआई का स्वामित्व पूर्ववत् राज्य सरकार के ही पास रहता है और प्रवेशों का नियंत्रण वही करती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि दिसम्बर 2010 में भा.स. से आईटीआई, शाहदरा को हास्पिटिलिटी क्षेत्र की प्रशिक्षण सुविधाओं के उन्नयन हेतु ₹ 2.5 करोड़ प्राप्त हुए। तथापि आईटीआई के उन्नयन की दिशा में कोई प्रगति नहीं की जा सकी और यह धन बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ा था। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आईएमसी के चेयरमैन ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर ₹ 7.00 लाख की लागत पर एक परामर्शदाता नियुक्त किया जिसके कारण चेयरमैन एवं संस्थान/निदेशालय के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया क्योंकि आईएमसी एवं निदेशालय के मध्य विवाद के कारण सीओई से संबंधित कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी, इसलिए प्रस्ताव ठप हो गया।

2.2.11 गैर-सम्बद्ध ट्रेड तथा इकाईयाँ

सम्बद्धता हेतु मानदण्ड के अनुसार आईटीआई के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य करते हुए प्रभावशाली प्रबंधन तथा परिणाम आधारित प्रशिक्षण हेतु रूपरेखा तैयार करना है। प्रशिक्षण नियमावली के अनुसार किसी प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाए जाने वाले ट्रेडों के लिए प्रस्ताव सामान्यतः राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदों (एससीवीटी), जो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्राधिकृत है, द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि एनसीवीटी के अन्तर्गत नामित ट्रेड तथा लंबे समय से विभिन्न आईटीआई में चलने वाले विभिन्न ट्रेड (उदाहरण के लिए स्वास्थ्य व स्वच्छता निरीक्षक, फ्रंट ऑफिस असिस्टेण्ट, मेकेनिक-मेडिकल, इलेक्ट्रानिक्स, सेक्रिटेरियल प्रैक्टिस, आर्किटेक्चरल असिस्टेण्ट इत्यादि) एनसीवीटी से सम्बद्ध नहीं हैं। कुछ सम्बद्ध प्राप्त ट्रेडों में असम्बद्ध ईकाईयों की कक्षाएं (जैसे टर्नर, ड्राफ्टस्मैन-सिविल व मैकेनिकल, मशीनिस्ट, इत्यादि) चल रहीं थीं। आईटीआई में आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव नईं ट्रेडों व ईकाईयों के एनसीवीटी से सम्बद्धता प्राप्त न होने का प्रमुख कारण है। सिरीफोर्ट में 18 (35 ईकाईयों) में से नौ ट्रेड (18 ईकाईयाँ) एनसीवीटी से सम्बद्ध नहीं थे परंतु एससीवीटी के अन्तर्गत चल रहे थे। इसी प्रकार धीरपुर में 28 (76 इकाईयॉ) में से पांच ट्रेड (25 ईकाईयॉ) गैर सम्बद्ध थीं तथा एससीवीटी के अन्तर्गत चलाई जा रही थीं।

इसके अतिरिक्त, कुछ ट्रेडों के अन्तर्गत चलने वाली ईकाईयों को एससीवीटी से अनंतिम रूप से सम्बद्धता प्राप्त थी, जबकि उनमें भी एनसीवीटी से सम्बद्धता प्राप्त

करने के मानदंडों के अनुसार बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यकताओं की कमी थी। 2008-12 के दौरान आठ आईटीआई ने ट्रेडों व ईकाईयों के लिए मान्यता हेतु आवेदन किया तथा उन्हें शर्तबद्ध सम्बद्धता प्राप्त हुई। जबकि इन संस्थानों ने इन कमियों को दूर करने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की। एनसीवीटी द्वारा गैर सम्बद्ध पाठ्यक्रम चलाने से प्रशिक्षकों के रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं क्योंकि एनसीवीटी प्रमाणपत्र के बगैर वे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र परीक्षा, जो अधीनस्थ पदों पर भर्ती हेतु भा.स. द्वारा सम्बद्धता प्राप्त योग्यता मापदण्ड हैं, में बैठने के योग्य नहीं होंगे।

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2104) कि सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये गये थे कि कोई भी ट्रेड गैर-सम्बद्ध न रहें।

2.2.12 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का क्रियान्वयन

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना को प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाता है जो इस उद्योग में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयोग द्वारा प्रशिक्षित शिल्पकार हेतु उद्योग की आवश्यकता को नियंत्रित करता है, जिससे प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों की उपलब्धता में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण की सुविधाओं युक्त प्रत्येक उद्योग व संस्थान का यह सांविधिक उत्तरदायित्व है कि वह राज्य प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा सौंपे गए निश्चित संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करें। प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय प्रशिक्षुओं को नियोजित करने में विफलता अधिनियम की धारा 30(1) के अन्तर्गत एक अपराध होगा। नए और आईटीआई उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी दोनों इस योजना में भाग ले सकते हैं और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय के अनुसार छः माह से चार वर्षों के बीच होती है। आईटीआई उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी आईटीआई में उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण की तत्सम्बन्धी अवधि हेतु छूट के लिए योग्य है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी निदेशालय द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रवर्तित किए जाते हैं। निदेशालय के अन्तर्गत उप-प्रशिक्षुता परामर्शदाता (उ.प्र.प.) के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्न तथ्य सामने आए:

शिक्षार्थी प्रशिक्षण योजना उन उम्मीदवारो को अवसर प्रदान करती है जो दसवीं क्लास की जरूरी प्रतिशतता लिए बगैर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आईटीआई में दाखिले के लिये न्यूनतम आवश्यकता है। तथापि वर्ष 2005 के बाद नवीन उम्मीदवारों को इस स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया है और केवल तकनीकी शिक्षा पास प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशासनिक कारणों से पंजीकृत किया गया। विभिन्न सर्कलों में शिक्षार्थी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत खाली सीटों के साथ-साथ दाखिले की विवरणी **तालिका 2.2.9** में दी गई है:

तालिका 2.2.9

शिक्षार्थी योजना के अन्तर्गत रिक्तियों एवं प्रवेश की विवरणी

वर्ष	पंजीकृत प्रतिष्ठान	रिक्तियाँ	आईटीआई पास छात्रों की संख्या	नामांकित छात्र	% सापेक्षित रिक्तियाँ
2008-09	867	3033	3761	137	5
2009-10	867	3033	4127	186	6
2010-11	867	3033	3611	207	7
2011-12	867	3033	3823	119	4
अप्रैल-दिसम्बर 12	867	3033	-	157	5
जनवरी-अप्रैल 13	615	2210	-	45	2
कुल	**-**	**17375**	**-**	**851**	**4.90**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि इस स्कीम के अंतर्गत दाखिलों का स्तर और स्पांसरशिप, रिक्तियों का केवल पांच प्रतिशत था।

अधिनियम की धारा 29 के अनुसार राज्य शिक्षार्थी परियोजना परामर्शदाता किसी भी उपयुक्त समय किसी स्थापना की निरीक्षण एवं जांच के लिये अधिकृत है। यह नियुक्त प्रशिक्षार्थियों की जाँच कर सकता है तथा आवश्यक समझे गये रजिस्टर, रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए और एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है।

तथापि डीएए ने अधिनियम की धारा 29 में निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया। डीएए ने जून 2013 में सूचित किया कि उसके पास वर्ष 2013 के पहले के दस्तावेजों का कोई रिकार्ड नहीं था तथा इसने अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिष्ठानों प्रशिक्षकों से फोन कर कार्य रूप में परिणित किया। और इसे इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि जवाब तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थे क्योंकि निदेशालय को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत फर्जी संस्थानों के विद्यमान होने के बारे में शिकायत मिली थी (जुलाई 2012)। इसलिए शिकायत में दर्ज आपत्तियों को संतुष्ट करने के लिए डीएए ने एक सर्वे किया जिसमें प्रारंभ में 31 संस्थानों का सर्वे किया गया जिसमें 22 अस्तित्व में थे ही नहीं। इसके उपरांत सूचीबद्ध 867 स्थापनाओं को नोटिस भेजे गए जिसमें से डीएए को 200 नोटिस वापिस आ गये क्योंकि ये संस्थाऐं अस्तित्व में नहीं थी। मई 2013 तक केवल 50 स्थापनाओं से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जबकि 617 स्थापनाओं की वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

निदेशालय ने पंजीकृत संस्थाओं तथा शिक्षार्थियों की सीटों की संख्या के बारे में न तो सही ढंग से स्थापनाओं का भौतिक परीक्षण किया और न ही चीफ इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली के साथ मिलकर दस्तावेजों को अद्यतन किया।

विभाग ने (जनवरी 2014) सूचित किया कि स्टॉफ की कमी के कारण यथोचित भौतिक परीक्षण नहीं किया गया इसलिये डाटा अप-डेटेड नहीं था। वर्तमान तथा नये उद्योगों की सर्वे प्रक्रिया जारी थी यह भी सूचित किया गया कि इस विषय में अग्रिम कार्रवाई करने के बारे में उप-प्रशिक्षण परामर्शदाता उद्योग विभाग दिल्ली सरकार के निरंतर संपर्क में थे।

अन्य अभ्युक्तियां

2.2.13 प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट

आईटीआई स्नातकों का उद्योगों में प्लेसमेंट करने हेतु एनसीवीटी ने अपने 36वें सम्मेलन (17 दिसम्बर 2007) में प्रत्येक आईटीआई में एक प्लेसमेंट सेल की स्थापना की अनुशंसा की। इन सैलों द्वारा यहां से स्नातक हुये प्रत्येक प्रशिक्षुओं का विवरण (नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आदि) रखा जाना था तथा कैम्पस सेलेक्शन की व्यवस्था करना था जिससे कि कोई भी उद्योग आवश्यक योग्यताओं वाले व्यक्ति की नियुक्ति कर सके।

पांच चयनित आईटीआई दस्तावेजों के लेखाओं की जांच से पता चला कि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा स्वतंत्र स्टॉफ वाले प्लेसमेंट सैल की स्थापना नहीं की गई थी।

चयनित संस्थानों ने प्लेसमेंट संबंधी दस्तावेजों को सही ढंग से नहीं रखा था और रखा भी था तो वह सही ढंग से नहीं थे। उदाहरण के रूप में आईटीआई अरब की सराय ने कुछ प्रशिक्षुओं के नाम और उनके संकाय के अलावा कोई रिकार्ड नहीं

बनाया गया था। आईटीआई शाहदरा के पास वर्ष 2011 और 2012 को छोड़कर प्लेसमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आईटीआई धीरपुर में केवल वर्ष 2012 से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध था। उचित रिकॉर्ड के उपलब्ध न होने के कारण प्लेसमेंट की संख्या को लेखापरीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, एनसीवीटी की प्रशिक्षुओं की प्लेसमेंट के लिये सिफारिशों को योजनाबद्ध प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया।

विभाग ने (जनवरी 2014) सूचित किया कि ट्रेनिंग और प्लेसमेंट आफिसर के पद की पूर्ण उपलब्धता न होने से सफल प्रशिक्षुओं की प्लेसमेंट में दिक्कतें थी। फिर भी कैम्पस साक्षात्कार द्वारा प्रत्याशियों को स्पोन्सर करके, उद्योगों को आमंत्रित कर, रोजगार मेलों का आयोजन करके पासआउट प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट के लिये प्रयास किये गये। इसके साथ-साथ यह भी कहा कि प्लेसमेंट आफिसर के पद के सृजन हेतु प्रस्ताव भी किया गया है।

2.2.14 कम्प्यूटर लैब का गैर-स्थापन

एनसीवीटी के 40वें अधिवेशन (दिसम्बर 2011) में यह प्रस्ताव पारित किया कि प्रत्येक आईटीआई इंटरनेट सुविधा से युक्त कम्प्यूटर लैब की स्थापना करेगा। इसके पश्चात् अप्रैल 2012 में डीजीइटी ने प्रत्येक आईटीआई में अक्टूबर 2012 तक कम से कम 10 कंप्यूटर वाले कंप्यूटर लैब तथा इंटरनेट सुविधा युक्त वर्क स्टेशनों की स्थापना करना अनिवार्य कर दिया। सौ सीटों की क्षमता वाले सभी आईटीआई में ट्रेड से संबंधित कम्प्यूटर उपकरणों की उपलब्धता होने पर भी ये लैब स्थापित किए जाने थे।

लेखों की जाँच में यह पाया गया कि किसी भी चयनित आईटीआई में ऐसे लैब की स्थापना नहीं हुई थी। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि कम्प्यूटर लैब को स्थापित करने की प्रक्रिया जारी थी।

2.2.15 आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि

आंतरिक नियंत्रणों को किसी विभाग के लक्ष्यों को प्रभावी, दक्ष एवं मितव्यतापूर्वक ढंग से प्राप्त करने के लिये तार्किक आश्वासन प्रदान करने के लिये तैयार किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी आपत्तियों की अनुपालना विभाग में बनायी गयी प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सूचक है। आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कमियों को पिछले पैराग्राफों में इंगित किया गया है।

निदेशालय की आंतरिक लेखापरीक्षा, रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है। मार्च 2013 तक निदेशालय के 34 यूनिट से संबंधित, आंतरिक लेखापरीक्षा के कुल 1010 पैराग्राफ बकाया थे, उनमें से कुछ पैरे 1976 से बकाया थे (लम्बित मामलों का वर्षवार ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया)।

इसके अतिरिक्त 2000-13 की अवधि के लिये सांविधिक लेखापरीक्षा की 50 निरीक्षण प्रतिवेदन के 158 पैरे निदेशालय द्वारा अनुपालना के अभाव में लंबित थे।

लेखापरीक्षा पैरों का लम्बे समय से लंबित रहना, वित्तीय अनियमिततायें, निर्धारित मानकों का पालन न होना तथा पिछले पैराग्राफों में दर्शायी गयी अन्य कमियां एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को प्रदर्शित करता है जिसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है ।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा पैरों के निपटान हेतु उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया (जनवरी 2014)।

2.2.16 निष्कर्ष

आईटीआई में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण छोड़ने की दर 16 से 23 प्रतिशत थी । प्रशिक्षणार्थियों के लिये पेशेवरों एवं दक्ष लोगों द्वारा, साक्षात्कार में शामिल होने के लिये कोई सलाह या मार्गदर्शन नहीं प्रदान किया गया था। निदेशालय में स्टॉफ, विशेषकर प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी थी। यह प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव डाल रहा था। आईटीआई और पॉलीटेक्निक दोनों ही उनके लिये चलाई जा रही योजनाओं से अनभिज्ञ थे। नये आईटीआई खोलने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें से अधिकतर अभी भी निर्माणाधीन है जबकि कार्य प्रारंभ हुये पांच वर्ष हो चुके हैं। चयनित आईटीआई में मूलभूत आधारभूत सुविधाओं जैसे मशीनों, उपकरणों, जगह आदि की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप कई ट्रेड और कुछ इकाइयां एनसीवीटी के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकी, जिससे कई ट्रेड और इकाईयों के प्रशिक्षणार्थी एनसीवीटी से योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असफल रहे।

आईटीआई में एक औपचारिक प्लेसमेंट सैल आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ स्थापित नहीं किया गया था तथा विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली थी।

2.2.17 सिफारिशें

निदेशालय को विचार करना चाहिए:

- सभी आईटीआई, पॉलीटेक्निक और कालेज द्वारा भुगतान किये गये बिजली एवं टैरिफ दरों की संविदा मांगों की संवीक्षा करनी चाहिये,
- बच्चों के मध्य विभिन्न ट्रेडों के क्षेत्र के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिये तथा सभी संस्थानों में आईटीआई छोड़ने की दर की जांच के लिये प्रवेश लेने के पहले एवं बाद में काऊंसलिंग का प्रबंध किया जाना चाहिए;
- गुणवत्ता प्रशिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एनसीवीटी तथा डीजीई टी के मानकों के अनुरूप आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये; और
- ट्रेड एवं इकाइयों की संबद्धता को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

लोक निर्माण विभाग

2.3 रा.रा.क्षे.दि.स. के लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली

लोक निर्माण विभाग के अधिदेश में सरकारी आवासीय तथा गैर-आवासीय इमारतों तथा सड़कों की योजना बनाना, डिजाइन करना, निर्माण तथा अनुरक्षण करना है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियॉ इस प्रकार हैं:

मुख्य बातें:

- *ई-इन-सि कार्यालय तथा उन वेतन एवं लेखा कार्यालय के बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय के आंकड़ों को समायोजित नहीं किया गया था।*

(पैराग्राफ 2.3.2.1)

- *विभाग ने वित्त विभाग के अनुदेशों के अनुसार डी एस आर 2012 (-) 12 प्रतिशत की बजाए डी एस आर 2012 (+) 8 प्रतिशत अथवा डी एस आर 2012 (-) 12 प्रतिशत (+) 8 प्रतिशत को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप 75 कार्यों में अनुमानित लागत ₹ 58.72 करोड़ तक बढ़ गई।*

(पैराग्राफ 2.3.3.1)

- *₹ 3.72 करोड़ की निविदाओं में जस्टीफिकेशन लागत के वैट, ई पी एफ तथा ई एस आई के अग्राह्य तत्व को सम्मिलित किया गया।*

(पैराग्राफ 2.3.4.2)

- *अनुमानों को बनाने में मात्राओं के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप*
- *₹ 17.73 करोड़ की राशि के 107 कार्यों में लागत बढ़ गई।*

(पैराग्राफ 2.3.5.7)

2.3.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स). के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के अनुरक्षण क्षेत्रों को सरकारी इमारतों (आवासीय तथा गैर-आवासीय), के अनुरक्षण, लो.नि.वि. के क्षेत्र के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों तथा ₹ 30 करोड़ तक की लागत से नयी इमारतों के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

2.3.1.1 संगठनात्मक ढांचा

लो.नि.वि. का मुख्य नियंत्रक अधिकारी सचिव है जिसके सहायक इंजीनियर इन-चीफ अभियंता, चीफ अभियंता, अधीक्षक अभीयंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता है। लो.नि.वि. के चार अनुरक्षण क्षेत्रों (अनु.क्ष.) दो भवन परियोजना क्षेत्रों तथा एक फ्लाईओवर क्षेत्र में विभाजित है प्रत्येक में अध्यक्ष एक मुख्य अभियंता है। क्षेत्रों को सर्किलों में विभाजित किया जाता है जिनके अध्यक्ष पर्यवेक्षक अभियंता होते हैं जिन्हें आगे डिविजनों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक का प्रभारी एक कार्यकारी अभियंता (ई.ई.) होता है सिवाय होर्टीकल्चर (बागवानी) डिविजनों जिनके अध्यक्ष उप-निदेशक (डी.डी.) होते हैं।

दिल्ली में कुल 59 अनुरक्षण डिविजन हैं जिनमें से 46 ऐसे डिविजनों के अध्यक्ष ई.ई. अथवा डी.डी. होते हैं जो आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) भी हैं।

2.3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्यों में निर्धारित करना था कि क्या अनु.क्षे. में:

- बजट अनुमान वास्तविक थे तथा वित्त प्रबंधन प्रभावी था;
- कार्य पूर्व अनुमानित थे तथा लागू नियमों के अनुरूप स्वीकृत थे; तथा
- स्थल पर एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र था।

2.3.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2012-13 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा मई तथा अक्टूबर 2013 के बीच की गई। लेखापरीक्षा में 46 में से 23 अनुरक्षण डिविजनों को किए गए व्यय के आधार पर चयन किया गया। इसके अतिरिक्त लो.नि.वि. सचिवालय, इंजीनियर इन चीफ (ई.इन.सी.), दो क्षेत्रों[4] के मुख्य अभियंता कार्यालयों तथा चार सर्किलों[5] के पर्यवेक्षक अभियंताओं को भी कवर किया गया था चयनित डिविजनों में उच्च निविदा मूल्य रखने वाले कार्यों का चयन किया गया था जैसे (i) ₹ 2.50 करोड़ और उससे अधिक निविदा मूल्य रखने वाले 50 *प्रतिशत* कार्य (ii) ₹ 2.50 करोड़ से नीचे और ₹ 30 लाख से ऊपर के निविदा मुल्य के 15 *प्रतिशत* कार्य तथा (iii) ₹ 30 लाख तक के निविदा मूल्य के 10 *प्रतिशत* कार्य।

प्रवेश सम्मेलन 17 अप्रैल 2013 को सचिव (लो.नि.वि.) के साथ तथा 18 अप्रैल 2013 को ई-एन-सी के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली तथा कसौटी पर चर्चा करने के लिए किया गया। समापन सम्मेलन 22 जनवरी 2014 को सचिव (लो.नि.वि.) साथ किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उपलब्धियों, निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर सरकार के विचारों पर चर्चा की गई थी। प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को दिसंम्बर 2013 में जारी किया गया। फरवरी 2014 में प्राप्त उनके उत्तर को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया।

2.3.1.4 लेखापरीक्षा कसौटी

लेखापरीक्षा उपलब्धियों को निम्नलिखित स्त्रोतों से ली गई कसौटी के प्रति चिन्हित किया गया:

- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) वर्क मैनुअल तथा केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा (के.लो.नि.ले.) कोड;
- दिल्ली दर सूची (डी.एस.आर.) तथा सरफेस परिहवन मंत्रालय (एम.ओ.एस.टी.) की मानक डाटा बुक;
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.) तथा प्राप्ति एवं भुगतान नियम;
- ठेके की सामान्य शर्तों में सम्मिलित प्रावधान; और

[4] एम–I तथा एम–II

[5] एम–11, तथा एम–13 एम–21 व एम–23

- रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेस मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच.) तथा इंडियन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी.) के विनिर्देश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.2 वित्तीय प्रबंधन

2012-13 के दौरान योजनागत तथा गैर-योजनागत शीर्षों के अंतर्गत लोक निमार्ण विभाग का कुल व्यय ₹ 2031.99 करोड़ था जिसमें से ₹ 1516.86 करोड़ चार अनु. क्षेत्रों द्वारा किया गया जैसाकि **तालिका 2.3.1** में दिया गया है।

तालिका 2.3.1
अनु.क्षे. का बजट व वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	बजट अनुमान		संशोधित अनुमान		व्यय		बचतें / अधिकता	
	योजनागत	गैर–योजनागत	योजनागत	गैर–योजनागत	योजनागत	गैर–योजनागत	योजनागत	गैर–योजनागत
एम-I	242.83	130.42	390.70	131.12	375.95	128.75	(-) 14.75	(-) 2.37
एम -II	179.99	129.02	195.05	134.06	190.23	127.40	(-) 4.82	(-) 6.66
एम -III	795.52	143.56	728.75	131.08	309.34	103.34	(-) 419.41	(-) 27.74
एम-IV	220.69	137.29	171.08	124.41	154.45	127.40	(-) 16.63	(+) 2.99
कुल	**1439.03**	**540.29**	**1485.58**	**520.67**	**1029.97**	**486.89**	**(-) 455.61**	**(-) 33.78**

तालिका में आंकड़ों के विश्लेषण तथा अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित पाया गया:

- चार अनु.क्षे. के योजनागत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1439.03 करोड़ के आरंभिक बजट को संशोधित करके ₹ 1485.58 करोड़ कर दिया गया जबकि वास्तविक व्यय केवल ₹ 1029.97 करोड़ था जिससे यह संकेत होता है कि जहाँ बचत ₹ 455.61 करोड़ थी वहाँ वर्ष के अंत में संशोधन अनावश्यक था।
- गैर-योजनागत के अंतर्गत चार क्षेत्रों में कुल ₹ 33.78 करोड़ की बचत थी, विशेषकर क्षेत्र III में यह ₹ 27.74 करोड़ थी जबकि क्षेत्र IV में ₹ 2.99 करोड़ का अधिक व्यय था।
- एम.जेड़- II में एक ओर व्यय संशोधित आवंटन की अपेक्षा कम था और दूसरी ओर होर्टीकल्चर डिविजन 214–(एम) में बजट के अभाव में ₹ 10.48 करोड़ की देयताएं वर्ष के अंत में बकाया रह गई।

2.3.2.1 वे.व.ले.का. तथा ई-इन-सी कार्यालय के आंकड़ों में अंतर

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 50.1 में निर्धारित है कि विभागाध्यक्ष तथा लेखा अधिकारी विभाग द्वारा रखे गए खातों में दिए गए आंकड़ों को लेखा अधिकारी की पुस्तिकाओं में दिखाए गए आंकड़ों के साथ समन्वय के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। सूचना की नमूना जांच में दर्शाया गया कि ई-इन-सी कार्यालय के बजट एवं व्यय के आंकड़े उनके वेतन एवं लेखा कार्यालय से भिन्न थे । विवरण **तालिका 2.3.2** में दिए गए हैं।

तालिका 2.3.2

ई-इन-सी तथा वे.व.ले.का. के बजट आंकड़ों में अंतर

(₹ करोड़ में)

जोन	ई–इन–सी के आंकड़े				वे.ले.का. के आंकड़े				टंतर			
	बजट आवंटन		व्यय		बजट आवंटन		व्यय		बजट आवंटन		व्यय	
	योजना –गत	गैर– योजना गत	योजना– गत	गैर– योजना गत	योजना– गत	गैर– योजना गत	योजना– गत	गैर– योजना गत	योजना– गत	गैर– योजना गत	योजना– गत	गैर– योजना गत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1-5)	10 (2-6)	11 (3-7)	12 (4-8)
एम -I	390.70	131.12	375.95	128.75	403.38	91.22	386.02	91.00	12.68	39.9	10.07	37.75
एम -II	195.05	134.06	190.23	127.40	199.28	102.57	193.07	102.19	4.23	31.49	2.84	25.21
एम -III	728.75	131.08	309.34	103.34	566.43	100.34	501.73	100.02	162.32	30.74	192.39	3.32
एम -IV	171.08	124.41	154.45	127.40	220.12	101.72	156.16	100.77	49.04	22.69	1.71	26.63

अंतरों को समायोजित नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि वर्ष 2012-13 के लिए क्षेत्र-I तथा उनके ई-इन-सी कार्यालय के बजट तथा व्यय आंकड़ों में अंतर थे जिनका चित्रण **तालिका 2.3.3** में किया गया है।

तालिका 2.3.3

क्षेत्र-I तथा ई-इन-सी के आंकड़ों में अंतर

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र 1				ई–इन–सी			
योजनागत		गैर–योजनागत		योजनागत		गैर–योजनागत	
बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
388.99	377.86	100.49	106.49	390.70	375.95	131.12	128.75

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत व्यय के आंकड़ों में अंतर मुख्यतः वेतन, चिकित्सा तथा या.भ. पर व्यय जिन्हें वे. व ले. का. द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया, के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि ई-इन-सी कार्यालय गैर योजनागत शीर्षों के बजट तथा व्यय के उप-शीर्षवार ब्यौरे को प्रस्तुत करने में विफल रहा। उत्तर में भी योजनागत शीर्ष के अंतर्गत आंकड़ों के अंतर के मामले में नहीं बताया गया।

2.3.2.2 गैर-योजनागत व्यय का योजनागत शीर्षों में नियमित रूप से प्रभारित किया जाना प्रतीक्षित

यह निर्णय लिया गया (अक्तूबर 2012) कि योजनागत निधि के 15 *प्रतिशत* को आवश्यक प्रचालन लागतों जैसे गली की रोशनी का विद्युत प्रभार, कार्य प्रभारित स्टॉफ की मजदूरियों, पौधों को पानी देना इत्यादि के सिवाए गैर-योजनागत प्रकृति के अनुरक्षण तथा मरम्मत व्यय पर खर्च किया जा सकता है। ऐसे योजनागत व्यय को गैर-योजनागत शीर्षों में स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी से ए.ए एवं ई.एस प्राप्त करनी चाहिए।

ई.एम. डिविजन (एम-451) ने योजनागत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 4.11 करोड़ की हस्तांतरण प्रविष्टियों को एए व ई.एस प्राप्त किए बिना गैर-योजनागत व्यय की बुकिंग से पास किय। इसी तरह होर्टीकल्चर डिविजन (एम-214) ने ₹ 2.63 करोड़ के गैर-योजनागत व्यय को योजनागत शीर्ष में हस्तांतरित किया, जबकि व्यय में प्रभारित स्टॉफ वेतन, टेलीफोन बिल, मिनरल वॉटर के बिल, फोटोकॉपीयर प्रभार इत्यादि शामिल हैं। इस प्रकार योजनागत शीर्ष के अंतर्गत एए व ई एस के बिना ₹ 6.74 करोड़ की राशि के अग्राह्य प्रकृति के गैर-योजनागत व्यय की बुकिंग में सुधार आवश्यक है।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि ई.ई.एस. को ऐसे व्यय के लिए कार्योत्तर अनुमोदन लेने हेतु निर्देश दिए जा रहे थे।

2.3.2.3 ₹ 35 लाख की बचतों का अनियमित पुनर्विनियोजन

के.लो.नि.वि मैनुअल की धारा 48.6 (3) (ख) के अनुसार मुख्य अभियंताओं ने बजट के एक समान उप-शीर्ष के अंतर्गत एक से दूसरे क्षेत्र में निधियों के पुनः आवंटन की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ई.ई. (सी. बी.एम.डी.एम-132) ने मुख्य अभियंता के अनुमोदन के बिना हस्तान्तरण प्रविष्टियों के जरिए ₹ 25 लाख को 'भूमिगत जलाशय व पंप हाउस के निर्माण तथा संसाधित जल के ग्रिड का वितरण' के कार्य को 'तिहाड़ जेल के एस.टी.पी. का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना' के कार्य में तथा ₹ 10 लाख को 'केन्द्रीय जेल सं-4 के वार्ड सं.-2 में एस. पी.एस. टाइप बैरक की असाधारण मरम्मत' के कार्य से केन्द्रीय जेल संख्या-2 और 6 के बीच मार्ग को चौड़ा करने के कार्य में हस्तान्तरित कर दिए, जो कि अनियमित था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि ई.ई. को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर अनुमोदन लेने के लिए निर्देश दिया जा रहा था।

2.3.2.4 व्ययगत जमा को सरकारी खाते में जमा न कराना

के.लो.नि.ले. संहिता के पैरा 15.41 के अनुसार प्रतिभूति जमाएं पूरे तीन लेखा वर्षों से अधिक जिनके पश्चात वे भुगतान के लिए देय हो जाती हैं, के लिए अदावित रहने पर व्ययगत जमाएं मानी जाती हैं और उन्हें सरकारी खाते में जमा करना आवश्यक होता है। पांच डिविजनों ने ₹ 2.74 करोड़[6] की व्यपगत प्रतिभूति जमाओं को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के समय उप-निदेशक (एम-214) ने ₹ 6.98 लाख को अगस्त 2013 में सरकारी खाते में जमा किया। सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सभी कार्यकारी अभियंताओं को अदावित व्यपगत जमाओं को जमा कराने के अनुदेश जारी किए गए थे।

2.3.2.5 बजट आवंटन पर डिविजन-वार सूचना का अभाव

रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए बजट को बाद में विधान सभा द्वारा पास किया जाता है, मु.अ. बजट का आवंटन क्षेत्रों को करते हैं जो आगे सर्किलों को आवंटित करते है जहां से इसे आगे संबंधित डिविजनों में आवंटित किया जाता है। अभिलेखों की संवीक्षा ने

[6] एम–111 (₹ 1.18 करोड़), एम–132 (₹ 0.24 करोड़), एम–211 (₹ 0.11 करोड़), एम–214 (₹ 0.07 करोड़), तथा एम–313 (₹ 1.14 करोड़),

दर्शाया कि ई-इन सी कार्यालय तथा मुख्य अभियंता कार्यालय ने बजट एवं व्यय की सूचना को डिविजन-वार नहीं रखा।

2.3.3 कार्य अनुमानों का बनाना

प्रारंभिक प्रतिवेदन तथा कच्चे अनुमान किए गए कार्य प्रस्तावों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु बनाए जाने चाहिए। उसके पश्चात पूर्ण विवरणों जैसे सभी मदों की अनुसूची, मात्रा, दर, लागत, ड्राइंग्स, विशेष निर्देश, दर विश्लेषण मापन ब्यौरे इत्यादि से समर्थित विस्तृत अनुमान सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिए बनाये जाने आवश्यक हैं। तकनीकी संस्वीकृति सुनिश्चित करती है कि प्रस्ताव आधारभूत रूप से सुदृढ़ है तथा अनुमान मितव्ययी हैं। इस क्षेत्र में देखी गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी उप-पैराग्राफों में की गई है।

2.3.3.1 बढ़े हुए अनुमान तथा तकनीकी संस्वीकृति

सितम्बर 2012 में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग ने पूँजीगत कार्यों के लिए डी.एस.आर. 2007 के स्थान पर डी.एस.आर. 2012 को अपनाने हेतु आदेश जारी किए। आदेशों में निर्धारित था कि लो.नि.वि. सहित कार्यकारी एजेन्सियों को दिल्ली अनुसूचित दर (डी. एस.आर) 2012 (-)12 *प्रतिशत* विकास कार्य (सड़क तथा नाले) पर करने चाहिए।

10[7] सी.आर.एम. डिविजनों तथा दो[8] सिविल भवन अनुरक्षण सी.बी.एम. डिविजनों ने एए एंड ईएस प्राप्त करने के लिए 'डी.एस.आर 2012 (-) 12 *प्रतिशत* को अपनाकर प्रारंभिक अनुमान तैयार किए परन्तु विस्तृत अनुमानों की गणना हेतु डिविजनों ने वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन में 'डी.एस.आर. 2012 (+) आठ *प्रतिशत* ' अथवा 'डी.एस.आर 2012 (-)12 *प्रतिशत* (+) आठ *प्रतिशत* को अपनाया और इसके परिणामस्वरूप 75 कार्यों के अनुमान ₹ 58.72 करोड़ तक बढ़ गए थे।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि निविदाओं में ली गई अनुमानित लागतों की गणना के.लो.नि.वि. के मानकों के अनुसार लागत सूचकांक से अनुसूचित मदों की अनुमानित लागत के समायोजन द्वारा की गई थी। आगे यह कहा कि कार्यों को कार्य की न्यायोचित लागत तैयार करने के बाद सौंपा गया था जो प्रचलित बाजार दरों के अनुसार है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग जारी आदेश बहुत विशिष्ट तथा स्पष्ट थे कि कार्यकारी एजेन्सियों को विकास कार्य डी.एस.आर. 2012 (-) 12 *प्रतिशत* पर करने चाहिए। समापन सम्मेलन में लो.नि.वि. के सचिव ने कहा कि के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के संबंध में लागत सूचकांक में बदलाव से संबंधित मामले को वित्त विभाग के साथ आगे बढ़ाया जायेगा।

2.3.4 निविदा प्रक्रिया तथा कार्य सौंपना

जी एफ आर के नियम 21 में निर्धारित है कि लोक धन से व्यय करने अथवा व्यय के लिए प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी वित्तीय उपयुक्तता के उच्च मानकों से निर्देशित किया जाना चाहिए तथा लोक धन से किए व्यय के संबंध में उसी सतर्कता की आशा की जाती है जैसे साधारण विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करेगा।

7 एम–111, एम–112, एम–113, एम–141, एम–142, एम–311, एम–312, एम–313, एम–412 तथा एम–413

8 एम–121 तथा एम–341

2.3.4.1 मैनुअल में निर्धारित अवधि से परे कार्य के सौंपने में विलंब

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 20.3.1 के अनुसार निविदाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्यवेक्षण अभियंता के अधिकार के अंतर्गत निविदाओं के मामले में निविदाओं की समीक्षा तथा निपटान हेतु कार्यकारी अभियंता के लिए सात दिन और पर्यवेक्षण अभियंता के लिए 15 दिन निर्धारित किए गए हैं।

दो सी.आर.एम. डिविजनों (एम-412 तथा एम-413), दो ई.एम. डिविजनों (एम-251 तथा एम-351) और एक सी.बी.एम. डिविजन (एम-132) ने 24 कार्यों में निर्धारित अवधि के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया परिणामस्वरूप पाँच से 70 दिनों की रेंज में विलंब हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि निविदा की वैधता निविदा के खुलने की तिथि से 90 दिन है तथा सभी कार्य निर्धारित अवधि के भीतर सौंपे गए थे तथा धारा में उल्लिखित अवधि संवीक्षा के लिए है और निविदा के निपटान हेतु अगले प्राधिकारी के लिए है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में इंगित सभी मामलों को पर्यवेक्षक अभियंता द्वारा स्वीकृत किया जाना था जिसके लिए संवीक्षा में शामिल प्रत्येक प्राधिकारी के लिए अवधि तथा निविदा का सौंपना सम्मिलित था।

2.3.4.2 कार्य को अनियमित सौंपना

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 20.4.3.1 में प्रावधान है कि वैट के तत्व ठेकों की जस्टीफिकेशन लागत तथा सेवा के कार्य आदेशों जैसे कम्प्यूटर सेवाओं का संचालन अथवा अनुरक्षण, वाहनों का चलना तथा अन्य समान ठेकों में लागू नहीं होंगे। धारा 20.4.3.2 आगे बताती है कि निविदा दरों में जस्टीफाइड दरों से पांच *प्रतिशत* तक का विचलन नजर अंदाज किया जा सकता है।

क) ई.एम. डिविजनों (एम-251 व एम-252) ने लागत में ₹ 1.27 करोड़ की निविदा लागत वाले छः कार्यों (जैसे इलैक्ट्रीकल अधिष्ठापन, जल आपूर्ति, पंप सैट, डीजी सैट, फायर सिस्टम तथा लिफ्ट इत्यादि का संचालन) के मामले में वैट के तत्व को शामिल किया।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि तदनुसार ई ईस को भविष्य में सुधारक कार्रवाई करने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

ख) नवम्बर 2012 में कार्यों के महा-निदेशक (डी.जी.डब्ल्यू.) द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार ठेके के अंतर्गत मजदूरों को देय ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. के घटकों को न्यायोचित लागत में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ईएम डिविजनों (एम-252 व एम-253) के ₹ 2.45 करोड़ की निविदा लागत वाले तीन कार्यों में न्यायोचित लागत में ई.पी.एफ, ई.एस.आई, तथा वैट के घटकों को निविदा लागत को सम्मिलित किया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि (फरवरी 2014) कि सभी ई.ईस को कार्य की न्यायोचित लागत की गणना करते समय सख्ती से मैनुअल निर्देश के अनुपालन के निदेश जारी किए जा रहे थे।

2.3.5 कार्यों का निष्पादन

ठेका प्रबंधन में आवश्यक है कि कार्य को अति महत्वपूर्ण तथा व्यावसायिक ढंग से निर्देशों के संबंध में तथा कार्य के संबंध में लिखित डिजाइन, ड्रांइग्स व अनुदेशों के अनुरूप पूरी तरह से पूर्ण व विश्वसनीय तथा इंजीनियर प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठेकेदार को सभी कार्यों की पर्याप्तता, उपयुक्तता तथा सुरक्षा और निर्माण के

तरीके के लिए पूरा उत्तरदायित्व लेना चाहिए। वर्ष 2012-13 के दौरान 2330 कार्य चयनित डिविजनों में सौंपे गए थे। नमूना जांच के लिए चयनित ₹ 494.72 करोड़ के 445 कार्यों में से 183 कार्य (₹ 406.63 करोड) समय पर पूरे नहीं किए गए थे, प्रगति पर थे तथा 107 कार्यों में (₹ 55.65 करोड़) लागत बहुत बढ़ गई थी। ₹ 32.44 करोड़ के शेष 155 कार्यों को या तो समय पर पूरा किया गया अथवा किसी बढ़ोतरी का भुगतान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा उत्तरवर्ती में की गई हैं।

2.3.5.1 तकनीकी संस्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 2.1 (2) में निर्धारित है कि सामान्यतः कोई कार्य तब तक आरंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके लिए तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त न हो जाए। ई.एम डिविजन (एम 153) में वर्ष 2012-13 के दौरान शीर्ष 2059 तथा 2216 के अंतर्गत ₹ 5.42 रोड़ के 63 गैर-योजनागत कार्यों के संबंध में तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि संबंधित ई.ई. को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व प्रभावी तकनीकी संस्वीकृति लेने के लिए निर्देश दिया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने मैनुअल के प्रावधान का पालन नहीं किया तथा पूर्व प्रभावी तकनीकी संस्वीकृति संलग्न होगी तथा अभीष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी।

2.3.5.2 तकनीकी संस्वीकृति का गैर-संशोधन

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 2.5.2 में निर्धारित है कि तकनीकी संस्वीकृति वास्तविक व्यय से 10 *प्रतिशत* तक बढ़ सकती हे इससे अधिक के लिए संशोधित तकनीकी संस्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। होर्टीकल्चर डिविजन (एम 214) तथा दो सी.आर.एम. डिविजन (एम 412 व एम 413) में 17 कार्यों के बिलों ने तकनीकी संस्वीकृति को 10 *प्रतिशत* से अधिक (₹ 1.61 करोड़ तक) कर दिया।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि संबंधित ई ईस को संशोधित तकनीकी संस्वीकृति लेने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे थे और भविष्य में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी सामान्य अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

2.3.5.3 अनुमोदित कार्यों के अलावा कार्यों का निष्पादन

अनुमान कार्य की आवश्यकताओं तथा निष्पादन के स्थान का संकेत देते हुए एक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए जाने थे। यह देखा गया कि दो सी.आर.एम. डिविजनों (एम 211 व एम 213) और एक ई एम डिविजन (एम 252) के पाँच कार्यों में ₹ 1.95 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों को निष्पादित किया गया। मूल कार्य फुटपाथ का सुधार, रोड का प्रोफाइल सुधार तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित थे परन्तु विपथन तथा अतिरिक्त मदों का संबंध डी बी एम, डी बी सी तथा मास्टिक वीयरिंग कोर्स को उपलब्ध कराने तथा बिछाने, वोल्टेज स्टैबलाइजरों को लगाना तथा अधिष्ठापन व आपूर्ति तथा आऊटडोर टाइप वैदर प्रूफ होस कैबिनेट व अग्नि शमन यंत्रों की स्थापना तथा आपूर्ति से संबंधित था जैसाकि सौंपे गए कार्य तथा अतिरिक्त व विपरित मदों के निष्पादन के बीच कोई संबंध नहीं था, अतः यह अनियमित था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि अतिरिक्त कार्य मूल कार्य के साथ जोड़ दिए गए थे जबकि उनकी आवश्यकता कार्य के निष्पादन के दौरान बढ़ गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी कार्य पृथक प्रकृति के थे और मूल कार्य से भिन्न थे तथा पृथक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति के लिए भेजे बिना मुख्य समझौते/संस्वीकृतियों के अंतर्गत निष्पादित किए गए।

2.3.5.4 कार्यक्षेत्र में पहले से आने वाले कार्य के लिए अग्राह्य भुगतान

स्थल के शर्तों की संबंध में ठेके (2) की सामान्य शर्तों के अनुसार ठेकेदार स्थल की शर्तों के सभी पहलुओं से स्वयं संतुष्ट होगा और इस अनुरोध पर कोई दावा नहीं किया जाएगा कि विभाग द्वारा दी गई सूचना गलत अथवा अपर्याप्त थी।

एम 2 क्षेत्र के अंतर्गत 'पटरी के सुधार' का कार्य में स्थलों में नाली पर विद्यमान आर.सी.सी. स्लैबों के विघटन, ईंटें लगाकर नाली ऊपर करने के पश्चात उस की पूर्व लागत तथा नाली से कीचड़ व गाद निकालने सहित पुताई के कार्य की अतिरिक्त मदों के लिए ₹ 54.83 लाख का भुगतान किया गया जो अग्राह्य था जैसाकि ये मदें मूल कार्य क्षेत्र के भीतर शामिल की जानी चाहिए थी।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सलैबों के विघटन की मद को मात्रा अनुसूची में नहीं लिया गया परन्तु स्थल की आवश्यकता के अनुसार कुछ सलैबों का विघटन किया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं माना कि मद की आवश्यकता स्थल की आवश्यकता के अनुसार थी जिससे लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि होती है कि इसे मूल कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

2.3.5.5 खण्ड 10 सी.ए. के अंतर्गत अग्राह्य भुगतान

बैठक की सामान्य शर्ते-2010 के खण्ड 10 सी.ए. के अनुसार यदि निविदा की प्रस्तुति के पश्चात अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट सामग्री की कीमत निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि के समय पर प्रचलित कीमतों से परे बढ़ती अथवा कम होती है तब ठेके की राशि तदानुसार भिन्न हो जाएगी। दो कार्यों नामतः (i) न्यू रोहतक रोड के गुरुरवि दास मार्ग से पूरा रोड तथा डी.बी. गुप्ता रोड के मिलिटरी रोड से न्यू रोहतक रोड, करोल बाग का सुदृढ़ीकरण तथा (ii) नजफगढ़ रोड (राजा गार्डन से सुभाष नगर चौक) के सुदृढ़ीकरण के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि अनुसूची 'एफ' में केवल बिटुमिन सी.आर.एम.बी.-60 तथा बिटुमिन इमलशन ठेकदार को बिटुमिन 85/25 के लिए ₹ 6.37 लाख और ₹ 14.49 लाख वापिस किए जो अनुसूची 'एफ' में निर्दिष्ट नहीं था। इस प्रकार बिटुमिन 85/25 के लिए ₹ 20.86 लाख का भुगतान अग्राह्य था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि भुगतान अग्राह्य था और ठेकदारों से वसूली की जा रही थी।

2.3.5.6 बढ़ी हुई कीमत के भुगतान हेतु गलत आधार दर को अपनाना

ठेका की सामान्य शर्तें 201 के खण्ड 10 सी.ए. (संशोधित)) के अनुसार कीमत विभिन्ता के उद्देश्य से मदों की आधार कीमत अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित होनी चाहिए। सी.आर.एम. डिविजन (एम 111) के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि चार कार्यों में अनुसूची 'एफ' में उल्लिखित बिटुमिन की आधार कीमत 'आई.ओ.सी., पानीपत के अनुसार' थी और उसमें उत्पाद शुल्क अथवा वैट के सम्मिलन का कोई उल्लेख नहीं था। तथापि यह देखा गया कि खण्ड 10 सी.ए. के अंतर्गत बिटुमिन की कीमत नियत करते समय डिविजन ने आधा कीमत में उत्पाद शुल्क तथा वैट की राशि शामिल की जिससे ₹ 42.83 लाख का अधिक भुगतान का भार पड़ गया

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सभी मुख्य अभियंताओ को अनुसूची 'एफ' में स्पष्टतः उल्लेख करते हुए अनुदेश जारी किए जा रहे थे कि सभी करों इत्यादि में दर शामिल होगी।

2.3.5.7 अवास्तविक अनुमानों के कारण अधिक भुगतान

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 4.2.1(2) निर्धारित करती है कि विस्तृत अनुमान पूर्ण तथा जितने संभव हो व्यापक होने चाहिए और शामिल कार्य के विभिन्न घटकों विस्तृत ड्राइंग्स] प्रारंभिक ढांचागत योजनाओं, विभिन्न सेवाओं की प्रारंभिक योजना ड्राइंग्स तथा विनिर्देशन इत्यादि द्वारा समर्थित होने चाहिए।

(क) सात[9] सी.आर.एम. डिविजन, पांच[10] ई.एम. डिविजन तथा दो[11] सी.बी.एम. डिविजनों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि 106 कार्यों में ₹ 31.50 करोड़ की निविदा राशि के प्रति ₹ 48.60 करोड़ का भुगतान किया गया। ₹ 17.18 करोड़ (54.54 *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः कार्य के क्षेत्र में वृद्धि, अतिरिक्त कार्य के निष्पादन व निष्पादन के दौरान ड्राइंग्स और डिजाइनों में बदलाव के कारण थी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थे। इस प्रकार निविदा राशि तथा वास्तविक व्यय की राशि के बीच भारी अंतर लो.नि.वि. द्वारा अनुमान तैयार करने के समय पर उचित रूप से संख्याओं के निर्धारण की विफलता के कारण था।

इस अनियमितता को मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 3 में भी दर्शाया गया था फिर भी अनियमितता निरन्तर बनी रही।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सभी ई.ई. को वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित अनुमान तैयार करने तथा मदों की आवश्यक मात्रा का जितना संभव हो उचित निर्धारण करने के निर्देश दिए जा रहे थे।

(ख) एक अन्य कार्य कॉमन वेल्थ गेम्स (एम-313) के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के मालरोड से छत्रसाल स्टेडियम तक (3.60 कि.मी.) गलियां बिछाने के कार्य में यह देखा गया कि नौ मदों में वास्तविक मात्राओं में 21 से 3870 प्रतिशत की रेंज तक विपथन हुआ था। ठेकेदार को भुगतान अनुसूची 'एफ' में प्रदत्त सीमा तक समझौता दरों पर और अधिकतम सीमा से अधिक मात्राओं के लिए बाजार दरों पर किया गया था। जब से बजार दरें उच्चतर थी, डिविजन ने अशुद्ध अनुमानों के कारण ₹ 55.20 लाख का अधिक भुगतान कर दिया था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि विपथन किसी समय स्थल आवश्यकता के कारण भी हुआ जिसका निर्धारण प्रारंभिक अनुमान तैयार करते समय नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लो.नि.वि. अनुमान तैयार करते समय आवश्यकता तथा कार्य की मात्रा का विश्लेषण करने में विफल रहा परिणामस्वरूप विपथित मात्राओं के कारण अधिक परिहार्य भुगतान किया गया।

2.3.5.8 कार्य सौंपने के पश्चात विनिर्देशों में परिवर्तन

तीन[12] सी.आर.एम. डिविजनों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि मदों के विनिर्देशों में कार्य सौंपने के पश्चात परिवर्तन किया गया जैसा कि **तालिका 2.3.4** में संकेतिक है:

[9] एम-111, एम-112, एम-211, एम-213, एम-311, एम-412 तथा एम-413

[10] एम-251, एम-351, एम-352, एम-451, तथा एम-453

[11] एम-121 तथा एम-132

[12] एम-213, एम-312 तथा एम-313

तालिका 2.3.4

कार्यों के सौंपने के बाद विनिर्देशों के बदलाव वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

कार्य का नाम/एजेन्सी सं.	मद	अधिक व्यय	टिप्पणी
सड़क सं. 59 की मरम्मत एवं रखरखाव, उप कार्यः डोवल के निर्माण से यमुना विहार तथा बृजपुरी के बीच दक्षिण की ओर सी.सी. पेवमेंट को जोड़ा गया (78/एम-213/11-12)।	(i) आर.एम.सी., स्थिति में पी/एल, और (ii) तैयार सब–बेस पर एम 35 के कमजोर डॉवल जोड़ प्लेन सी.सी. पेवमेंट का निर्माण।	0.52	मद की सतह की मोटाई (i) 0.08 मी. से 0.15 मी. (ii) 0.25 मी. से 0.30 मी. तक बढ़ गई।
रोहणी में 'अहिंसा मार्ग' पर फुटपाथ के एस/आई तथा पी एंड एफ रिटरों–रिफ्लैक्सिव रोड सिगनेचर, उप कार्यः सड़क का सुदृढ़ीकरण व फुटपाथ का सुधार (57/एम-312/12-13)।	इंटरलोकिंग टाइल्स।	1.02	इंटरलोकिंग टाइल्स के स्थान पर रोड़ी मिक्सड कंक्रीट एम-25 लगाई गई।
माल रोड एक्सटेंशन पर कैरिजवे का सुधार उप कार्यः मुख्य कैरिजवे का सुदृढ़ीकरण व पुनः सतहीकरण तथा सी. सीः सड़कों व फुटपाथ इत्यादि का निर्माण (45/एम-313/12-13)	सड़क व पटरी पर एम-40 ग्रेड की गुण्वत्ता के डॉवल ज्वाइंटेड का निर्माण।	0.20	सतह की मोटाई 20 मी. मी. से 30 मी. मी. तक बढ़ गई।
कुल		**1.74**	

इस प्रकार सौंपने के पश्चात विनिर्देशनों के बदलाव के परिणामस्वरूप ₹ 1.74 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि विनिर्देशनों में बदलाव स्थल की स्थितियों के अनुसार तकनीकी रूप से आवश्यक थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमान तैयार करते समय आवश्यकता का निर्धारण किया जाना चाहिए। कार्य सौपंने के पश्चात किए गए बदलाव पारदर्शिता, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना के विरूद्ध तथा अन्य निविदाकारों के प्रति अनुचित था।

2.3.5.9 डबल टैक कोट प्रदान करने पर परिहार्य व्यय

एम.ओ.आर.टी.एच. विनिर्देशनों के खण्ड 503.1 में विद्यमान बिटुमिनीयस सड़क सतह जिस पर प्रारंभ में बिटुमिनीयस मिक्स लगा था, के लिए निम्न विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनीयस सामान (टैक कोट) के एक कोट के उपयोग की व्यवस्था है। आगे खण्ड 503.4.3 में प्रावधान है कि जहां एक सतह का सामान नयी वृद्धि बिटुमिनीयस सतह है जो ट्रैफिक अथवा धूल के प्रदूषण से संबंधित है, टैक कोट अनिवार्य नहीं है। पांच[13] सी.आर.एम. डिविजनों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि 27 कार्यों (**अनुलग्नक 2.3.1**) में सभी नयी वृद्धि हुई बिटुमिनीयस सतहों पर टैक कोट प्रदान किया गया था जबकि टैक कोट केवल विद्यमान बिटुमिनीयस सतह पर आवश्यक था परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि बिटुमीनियस कार्य एक लेन में कार्य का निष्पादन ट्रैफिक को जुड़ी हुई लाइनों में विपथित करके किया गया तथा ट्रैफिक की भीड़भाड़

[13] एम-111, एम-113, एम-142, एम-312 व एम-313

को रोकने के लिए ट्रैफिक को नयी बिछी बिटुमीनियम सरफेस पर जितनी जल्दी संभव हो खोला जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार ने डबल टैक कोट के मामले में उत्तर नहीं दिया यदि बिटुमिनीयस सतहें 48 घंटों के भीतर बिछाई जाती। आगे समापन सम्मेलन में विभाग ने कहा कि मामले को दिल्ली में निष्पादित कार्यों के संबंध में होने वाले बदलावों के लिए सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

2.3.5.10 मुख्य एवं गौण उत्पादकों के स्टील की लागत के गैर-सामंजस्य के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ

के.लो.नि.वि. की गुणवत्ता आश्वासन इकाई की टिप्पणी तथा इसके का.ज्ञा.डी.जी. डब्ल्यू/एम.ए.एन./168 की शर्तों के अनुसार मुख्य उत्पादकों से गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में गौण उत्पादकों से स्टील केवल लागत समायोजन के साथ अनुमत किया जाना चाहिए। आगे इसमें निर्धारित है कि गौण उत्पादकों के नाम अनुमोदित सूची में मुख्य उत्पादकों के साथ निर्दिष्ट नहीं किए जाने चाहिए।

एम-2 क्षेत्र के अंतर्गत 'विभिन्न सड़कों पर रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस का प्रबंध व अधिष्ठापन' के कार्य से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि ठेके की सामान्य शर्तों के अनुसार ठेकेदार को थर्मो मैकेनिकल ट्रीटिड (टी.एम.टी.) बार तथा स्टील रि-इनफोर्समेंट बार मुख्य उत्पादकों अथवा गौण उत्पादकों से तथा ढांचागत स्टील केवल मुख्य उत्पादक से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि ठेकेदार ने सभी टी.एम.टी. बार तथा ढांचागत स्टील गौण उत्पादकों से प्राप्त तथा उपयोग किया। तथापि लो.नि.वि. ने गौण उत्पादकों तथा मुख्य उत्पादकों से प्राप्त स्टील की लागत में अंतर को समायोजित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 21.78 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि मुख्य और गौण उत्पादकों दोनों से प्राप्त स्टील के उपयोग को एक साथ निर्धारित नहीं करना चाहिए। जस्टीफिकेशन में तथा समझौते के खंड़ 42 में अपनाई गई स्टील की दर ₹ 37000 प्रति एमटी थी, जो गौण स्टील की दर है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ई ई (एम–211) ने अन्य कार्य 'लो.नि.वि. के एम–2 क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर केन्दीय मेडियन उपलब्ध कराना' को गौण उत्पादकों से प्राप्त स्टील का उपयोग करते हुए ठेकेदार से वसूली का प्रस्ताव रखा।

2.3.5.11 कार्य का पूरा न होना

के.लो.नि.वि. वर्ष मैनुअल की धारा 29.1 में निर्धारित है कि ठेके में शामिल कार्य के लिए अनुमत समय का सख्ती से पालन करेगा और ठेकेदार की तरफ से कार्य को ठेके की पूरी निर्धारित अवधि में पूरे परिश्रम से आगे बढ़ाना चाहिए। आठ[14] सी.आर. एम. डिविजनों, सात[15] ई.एम. डिविजनों, दो सी.बी.एम. डिविजनों (एम-121 तथा एम-132) और होर्टीकल्चर डिविजन (एम-214) के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि 181 कार्य सितम्बर 2013 तक पूरे नहीं हुए थे जबकि उनकी निर्धारित अविध पहले ही बीत चुकी थी और पाँच दिन से 1610 दिन की रेंज में विलंब था।

[14] एम-111, एम-112, एम-211, एम-311, एम-312, एम-313, एम-412 व एम-413
[15] एम-253, एम-351, एम-252, एम-353, एम-451, एम-452, व एम-453

सरकार ने स्वीकार किया (फरवरी 2014) कि विलंब के कारणों को अवरोध रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए तथा ई.ई. को निर्देश दिए जा रहे थे कि लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर अभिलेख दिखाएं जाए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलंब के कारणों को अवरोध रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था।

2.3.5.12 कार्यों में विलंब के लिए प्रतिपूर्ति का गैर-उद्ग्रहण

ठेके की सामान्य शर्तों के खण्ड 2 के अनुसार यदि ठेकेदार कार्य की आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है, विभाग को विलंब के लिए 1.5 *प्रतिशत* प्रति माह की दर से प्रतिपूर्ति उद्ग्रहीत करनी चाहिए जिसकी गणना कार्य के निविदा मूल्य के 10 *प्रतिशत* प्रतिदिन के आधार पर की जानी थी।

चार[16] ई.एम. डिविजनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 156 कार्यों में ई.ई. ने ₹ 11.57 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति को उद्ग्रहीत नहीं किया यद्यपि कार्य निर्धारित तिथियों के भीतर पूरे नहीं किए गए थे।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कार्यों की समाप्ति के पश्चात यदि यह पाया गया कि कार्य की समाप्ति में विलंब ठेकेदार की ओर से था, जुर्माना उद्ग्रहीत किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब निर्धारित अवधि बीत गई तो भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

2.3.5.13 लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति के लिए भुगतान को रोकना

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल की धारा 2.9.1 (4) के अनुसार निष्पादन के दौरान कार्य की अच्छी प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु ठेकेदार इन सभी मामलों में अनुसूची 'एफ' में दिए लक्ष्यों के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य होगा। वित्तिय प्रगति से निर्धारित आवश्यक प्रगति, कार्य के दिए गए मूल्य का प्रतिशत जोकि अनुसूची 'एफ' में उल्लेखित है कि प्रत्येक माईलस्टोन के उपार्जन की असफलता के लिए रोका जाएगा तथापि, यद्यपि वहां छः कार्यों में माईलस्टोन के उपार्जन में देरी थी, ई.ई. (एम 311) ने ₹ 0.82 करोड़ नहीं रोके गए। (**अनुलग्नक 2.3.2**) माईलस्टोन के खंड को लागू न करने से, लो.नि.वि. ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्या की प्रगति पर कोई नियंत्रण करने में सक्षम नहीं था, जो कार्य की निगरानी की कमी दर्शाता है।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि लक्ष्यो की गैर-उपलब्धि के लिए आवश्यक राशि को रोक लिया गया। आगे यह कहा गया कि सभी ई.ई. को लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के मामले में राशि रोकने के लिए अनुदेश जारी किए जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि वास्तव में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात रोकी गई जिससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सभी छः कार्य लेखापरीक्षा की तिथि तक अपूर्ण थे।

2.3.5.14 विचलनों तथा अतिरिक्त मदों की संस्वीकृति

तीन[17] सी.आर.एम. डिविजनों तीन[18] ई.एम. डिविजनो तथा दो[19] सी.बी.एम. डिविजनों के अभिलेखों के नमूना जांच ने दर्शाया कि 95 कार्यों में बिना किसी विशेष कारण और नित्य निगरानी व स्थान की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विपथन तथा

[16] एम-253, एम-352,, एम-353 व एम-451

[17] एम-311, एम-412 व एम-413

[18] एम-251, एम-252 व एम-351,

[19] एम-121 व एम-132

अतिरिक्त मदों पर कुल ₹ 5.60 करोड़ संस्वीकृति थे, अनुमोदित प्रतिवेदन में इस प्रकार इन मदों की वास्तविक आवश्यकता पर एक विश्वसनीय आश्वासन नही दिया जा सकता था। सामान अनियमित्ताओं को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की मार्च 2012 वर्ष में समाप्त प्रतिवेदन सं. 3 में दर्शाया गया था, तथापि लो.नि.वि. ने कोई उपचारी कार्रवाई नही की तथा अनियमित्ताए बिना जाँच के जारी रही।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि सभी ई.ई. को जितनी संभव हो उतनी ठीक कार्य की आवश्यकता निश्चित करने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे थे। उत्तर विचलनों तथा अतिरिक्त मदों के लिए उचित न्यायोचित दर्ज न करने के लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए विशेषतः नहीं था।

2.3.5.15 मात्राओं में विपथन का अनियमित अनुमोदन

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के परिशिष्ट-1 के अनुसार ई.ई. संविदा मदों की मात्राओं में विपथन, ठेका राशि का 15 *प्रतिशत* तक या अपने अधिकार से तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने का 50 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 22.50 लाख जो भी कम है, की संस्वीकृति कर सकता है। आगे यह निर्धारित है कि प्रतिवेदित विपथन की राशि, सभी एकल मदों की विपथन राशि के सुनिश्चित मूल्य का योग होगा।

ई.एम. (एम 251) में यह पाया गया कि शास्त्री पार्क पूर्वी दिल्ली में 200 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण कार्य में, उप शीर्षः आपूर्ति, अधिष्ठापन, वातानुकूलन की जांच व चालन तथा वातायन कार्य में, वहां मात्राओं में कुल विपथन की राशि ₹ 32.53 लाख थी। मात्राओं में विपथन का सुनिश्चित मूल्य जोड़ने पर कुल विपथन (जैसाकि घनात्मक व ऋणात्मक मूल्य दोनों) में आय के बजाय ई.ई. ने बीजगणितीय विपथन जोड़ा तथा राशि ₹ 5.16 लाख की राशि अनुमोदित की। अतः विपथन ₹ 32.53 लाख की बजाय ₹ 5.16 लाख की राशि सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना संस्वीकृत हुई जो मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि कार्यकारी अभियंता को उसकी गलत कार्रवाई के लिए चेतावनी दी जा रही है।

2.3.6 मानवीय संसाधन प्रबंधन

दो क्षेत्रों में 31 मार्च 2013 को जनशक्ति की स्थिति **तालिका 2.3.5** में चित्रित है।

तालिका 2.3.5
संस्वीकृत पद तथा तैनात व्यक्ति

		अनुरक्षण क्षेत्र–1			अनुरक्षण क्षेत्र–2			अनुरक्षण क्षेत्र–3			अनुरक्षण क्षेत्र–4		
क्रम सं.	पद का नाम	संस्वीकृत पद	तैनात व्यक्ति	कमी	संस्वीकृत पद	तैनात व्यक्ति	कमी	संस्वीकृत पद	तैनात व्यक्ति	कमी	संस्वीकृत पद	तैनात व्यक्ति	कमी
तकनीकी													
1	मुख्य अभियंता	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
2	अधीक्षण अभियंता	5	4	1	5	5	0	5	3	2	5	4	1
3	कार्यकारी अभियंता (सिविल)	17	16	1	15	15	0	16	16	0	17	15	2
4	कार्यकारी अभियंता (इलैक्ट्रीकल)	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
5	सहायक अभियंता (सिविल)	66	62	4	63	52	11	61	57	4	64	59	5

6	सहायक अभियंता (इलैक्ट्रीकल)	15	13	2	15	15	0	14	14	0	15	13	2
7	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	120	57	63	108	56	52	120	58	62	116	57	59
8	कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रीकल)	27	16	11	27	19	8	27	27	0	27	17	10
	उप–जोड़	**255**	**173**	**82**	**238**	**167**	**71**	**248**	**180**	**68**	**249**	**170**	**79**
9	गैर–तकनीकी	388	260	128	353	251	102	343	252	91	360	207	153
	कुल	**643**	**433**	**210**	**591**	**418**	**173**	**591**	**432**	**159**	**609**	**377**	**232**

तकनीकी स्टाफ की औसत कमी क्षेत्र I, क्षेत्र II, क्षेत्र III, क्षेत्र IV में क्रमशः 32 *प्रतिशत*, 30 *प्रतिशत* 27 *प्रतिशत* और 32 *प्रतिशत* थी। कनिष्ठ अभियंताओं की कमी क्षेत्र I, क्षेत्र II, क्षेत्र III, क्षेत्र IV के क्रमशः, 50.34, 44.44, 42.18, तथा 48.25 *प्रतिशत* थी।

सरकार ने कहा कि (फरवरी 2014) कि योजना पदों को रिक्त रखते हुए कम से कम दलीय पदों को अधिकतम संभव सीमा तक भरने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.3.7 विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक एकीकृत प्रक्रिया है जिससे एक संगठन यह आश्वासन प्राप्त करता है कि इसकी गतिविधियां कुशल है तथा वे अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सही दिशा में है। एक अन्तस्थ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक इकाई के दैनिक कार्यों में त्रुटियों तथा अनियमितताओं के जोखिम को कम करने के लिए अध्यादेशों के अनुपालन निर्धारित संहिताओं और मैनुअलों के प्रावधानों को सुनिश्चित करती है। आंतरिक नियंत्रणों में पाई गई कमियों को पूर्व पैराग्राफों में इंगित किया गया है।

विभाग का अपना स्वयं का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है परन्तु इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है। चयनित 23 डिविजनों में एक डिविजन की मार्च 2008 तक, आठ डिविजनों की मार्च 2009 तक, पांच डिविजनों की मार्च 2010 तक, तीन डिविजनों की मार्च 2012 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की गई और जुलाई 2012 में निर्मित छः डिविजनों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि चार[20] सिविल रोड मेनटेनेंस (सी आर एम) डिविजनों के उप डिविजनों तथा दो[21] इलैक्ट्रिकल मेनटेनेंस (ई एम) डिविजनों और एक होर्टीकल्चर डिविजन (एम-214) का निरीक्षण डिविजनल एकाऊंटेंट द्वारा कभी नहीं किया गया था। पाँच[22] सी आर एम डिविजनों तथा तीन[23] ई एम डिविजनों ने दर्शाया कि डी ए द्वारा एम.बी. को पुनरीक्षित नहीं किया गया था क्योंकि सहायक अभियंताओं ने डिविजनल कार्यालय में एम.बी. को प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त चयनित डिविजनों में बिलों का रजिस्टर तथा ठेकेदार के बहीखाते नहीं रखे गए थे।

[20] एम-111, एम-112, एम-211 व एम-313
[21] एम-151 व एम-251
[22] एम-111, एम-112, एम-113, एम-211 व एम-113
[23] एम-151, एम-153 व एम-251

2.3.8 विभाग का मॉनीटरिंग तंत्र

किसी विभाग के साथ-साथ कार्यों के सफल निष्पादन की कुशलता तथा प्रभावित्का अन्तस्थ संतुलित मॉनीटरिंग व मूल्यांकन तंत्र की विद्यमानता पर निर्भर है जो सुनिश्चित करता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों (प्रत्यक्ष तथा वित्तीय) और समय सीमाओं के प्रति कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि को आवधिक रूप से मॉनीटर तथा मूल्यांकित किया जाता है तथापि लो.नि.वि. में कुछ तथ्यों पर मॉनीटरिंग व मूल्यांकन तंत्र की कमी पाई गई जैसाकि उप-पैराग्राफों में चर्चा की गई।

2.3.8.1 कार्यों की अनुचित मॉनीटरिंग

डिविजन चालू कार्यों के विवरणों जैसे आरंभ की तिथि, समापन की तिथि, कार्यों के समापन की निर्धारित तिथि तथा स्थिति को शामिल करते हुए मासिक प्रगति प्रतिवेदन को पर्यविक्षेण अभियंता को प्रस्तुत कर रहे थे। तथापि यह देखा गया कि कार्यों में विलंब के लिए विशेष कारणों को उन प्रतिवेदनों में नहीं दिया गया जो आगे मुख्य अभियंता को भेजे गए। रिकार्ड में इन प्रतिवेदनों पर कोई अनुपालन कार्रवाई न तो मुख्य अभियंता अथवा नई पर्यवेक्षण अभियंता स्तर पर पाई गई। विलंब अथवा गत्यवरोध के लिए विशेष कारणों के न दिए जाने और उन पर आवश्यक अनुपालन कार्रवाई न होने से मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में निर्धारित मानकों के अनुपालन में दैनिक अनुशासन के अलावा कोई अन्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि कार्यों को नियमित रूप से मुख्य अभियंताओं तथा इंजीनियर इन चीफ द्वारा मॉनीटर किया गया था परन्तु बैठकों के कार्यवृत्त जारी नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समर्थित दस्तावेजों के अभाव में यह निश्चित नहीं किया जा सकता था कि कार्यों की उचित मॉनीटरिंग हो रही थी तथा प्रभावी थी।

2.3.8.2 कार्यों का निरीक्षण

विभिन्न कार्यकारियों के लिए यह आवश्यक है कि कार्यों का निरीक्षण करके ठेके में उद्धृत डिजाइनों, ड्राइंग्स तथा विशिष्टताओं के अनुसार उनके निष्पादन को सुनिश्चित करें। निरीक्षण अधिकारियों (सी.ई. तथा एस.ई.) के लिए आवश्यक है कि वह अपनी स्थल पर निरीक्षण रजिस्टर में आवश्यक अनुदेशों का रिकार्ड रखें, उपलब्धियों अथवा जारी निरीक्षण नोट पर आधारित जिनकी प्रतियॉ निरीक्षण रजिस्टर में लगानी चाहिए। पूर्व अभ्युक्तियों का तदंनतर निरीक्षणों के दौरान उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। तथापि यह देखा गया कि चयनित डिविजनों में न तो निरीक्षण अधिकारियों ने अपने अनुदेशों को अभिलेखित किया और न ही अपने निरीक्षण नोट निरीक्षण रजिस्टरों में लगए। निरीक्षण ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा आश्वासन नहीं दे सकी कि क्या निरीक्षण किए गए थे और डिविजनों द्वारा निरीक्षणों के दौरान चिन्हित कमियों पर कार्रवाई की गई थी।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे थे तथा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि निरीक्षण पुस्तिकाओं में न तो की गई प्रविष्टियां/न ही लगाए गए पृथक प्रतिवेदन उपलब्ध थे।

2.3.9 निष्कर्ष

विभाग में वित्तीय प्रबंधन वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था जैसाकि वहाँ पर पी.ए.ओ. का तथा उनके ई-ईन-सी के वित्तीय आंकड़ो में असंगतता, गैर-योजनागत व्यय को योजनागत शीर्षों में प्रभारित करना, व्यपगत जमा को सरकारी

खातों में जमा न कराना इत्यादि के बहुत उदाहरण थे। कार्यों के अनुमान, तकनीकी संस्वीकृति तथा निष्पादन में कमियाँ विभाग में कार्यों का उचित आश्वासन तथा प्रभावी मानीटरिंग प्रदान नहीं करती हैं। ठेका प्रबंधन अपर्याप्त था जैसाकि कार्य के सौंपने के पश्चात विनिर्देशनों को बदल दिया गया था, एम.ओ. आर.टी.एच. के निर्धारित विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं किया गया था तथा गैर-विनिर्दिष्ट सामग्री के उपयोग के संबंध में लागत समायोजन नहीं किया गया था। वैट, ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. के घटक जस्टीफीकेशन लागत में निविदा लागत को जस्टीफीकेशन लागत की अनुमत सीमा के भीतर रखने के लिए शामिल किए गए थे। कार्यों को पूरा करने में विलंब थे और लो.नि.वि. ने ऐसे विलंबो को न्यूनतम सुनिश्चित करने के लिए पैनल प्रावधान का उपयोग नहीं किया। नियुक्त अधिकारियों द्वारा डिविजनल कार्यालयों के आवधिक निरीक्षण और विभाग में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की सामयिक अनुपालना की अनदेखी थी।

2.3.10 सिफारिशें

विभाग विचार कर सकता है:

- विभागाध्यक्ष तथा वे. एवं ले.अ. द्वारा रखे गए खातों को समायोजित करने पर;
- वास्तविक आधार पर अनुमान तैयार करना, निर्धारित नियमों तथा सरकारी निर्देशों के अनुरूप सख्ती से कार्यों के निष्पादन हेतु ठोस प्रयास करना;
- विभिन्न स्तरों पर आवधिक तथा नियमित आधार पर कार्यों की प्रगति का ठोस पुनरीक्षण; और
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना।

2.4 दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली

2013 के मानसून के दौरान, यातायात की भीड़-भाड़ तथा जनसाधारण के दुर्भाग्यवश बहुत से क्षेत्रों में जल भराव को देखा गया था। यह निष्पादन लेखापरीक्षा दिल्ली में बाढ़ नियन्त्रण तथा निकास प्रणाली को कम करने में जुटी विभिन्न एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण तथा इन सभी के कारणों को जानने के लिए की गई है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ नीचे दी गई हैं:

विशिष्टाएं:

- *दिल्ली का अब तक का सीवेज पुनर्सुधार पर अभ्यर्पित मास्टर प्लान है। अप्राधिकृत कालोनियों को शामिल करते हुए आबादी का 46 प्रतिशत सीवेज स्ट्रोम वाटर ड्रेन्स में गिराया जाता है। स्ट्रोम वाटर ड्रेन्स में गिराए जा रहे सीवेज के प्रभाव का निर्धारण सम्बन्धित एजेन्सियाँ नहीं कर रही थीं।*

 (पैराग्राफ 2.4.3.2 तथा 2.4.7 (क))

- *2004 के पश्चात्, सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण विभाग (सिं.बा.नि.वि.) ने मानसून के कारण नदी तल की वार्षिक रुपरेखा में आए बदलावों को सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के नियमित स्थालाकृति सर्वेक्षण को कार्यान्वित नहीं किया।*

 (पैराग्राफ 2.4.3.4 (क))

- *मॉनसून के प्रारंभ से पूर्व डिसिल्टिंग तथा अन्य अनुरक्षण कार्य पूरा न होने के कारण मॉनसून के लिए एजेंसियों की तैयारी पूरी नहीं थी। जलभराव वाले खराब स्थानों की पहचान करने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र नहीं बनाया गया था। बचाव के आश्वासन की अपेक्षा विद्यमान स्थानों में पुनः जल भराव पाया गया था।*

 (पैराग्राफ 2.4.4)

- *सिं.बा.नि.वि ने मई 2011 तक किसी नए कार्य को प्रस्तावित नहीं किया, जबकि 2008, 2009 तथा 2010 में यमुना खतरे के स्तर से ऊपर आ गई थी। प्राधिकृत क्षेत्रों में ड्रेन्स की डिसिल्टिंग तथा गाद के ढेर को हटाया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया।*

 (पैराग्राफ 2.4.4.5.,2.4.4.1 तथा 2.4.4.2)

- *बाढ़ तथा ड्रेनेज अवरोधन की चिरस्थायी समस्या का सामना को करने में शामिल विभिन्न एजेंसियों में समन्वय में कमी को देखा गया था।*

 (पैराग्राफ 2.4.9)

2.4.1 प्रस्तावना

दिल्ली में, बारिश के मौसम के दौरान प्राकृतिक बाढ़ के खतरे का रुख मुख्यतः दो नदियों के कारण है- यमुना और सहिबी (नजफगढ़ नाले को पार करने वाली)। यमुना नदी दिल्ली क्षेत्र में पाला गाँव से प्रवेश करती हुई 48 कि.मी. यात्रा करने के बाद जैतपुर गाँव छोड़ती है। यह दिल्ली में दोनों रुप में, जल पूर्ति के स्रोत एवं प्राकृतिक निकास प्रणाली की तरह काम करती है। यमुना में पानी का स्तर एवं प्रवाह हरियाणा

में हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से प्रभावित होता है। कभी-कभी, विशेष रुप से मॉनसून में, इस बैराज से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी, नदी में पानी के स्तर को बढ़ा देता हैं जो शहर के नालों में उल्टे प्रवाह का कारण बनता है। दिल्ली में स्टोर्म वॉटर निकासी तन्त्र जटिल है, जिसमें पाँच निकासी कुण्ड (नजफगढ़, कंझावला, अलीपुर, शाहदरा और महरौली), बड़े प्राकृतिक नाले, स्टोर्म नाले और यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में जुड़े हुए सीवर-सह-स्टोर्म नाले भी समाविष्ट हैं। मुख्य नालियों, जुड़ी हुई नालियों तथा छोटे नालों के द्वारा जमा किए गए पानी जो कि अन्ततः यमुना में जाता है, को जमा करने के लिए दिल्ली के निकासी नेटवर्क को डिजाईन किया गया है।

दिल्ली में विद्यमान निकासी प्रणाली ''निकासी मास्टर प्लान'' पर आधारित है, 1981 में बहुत पहले अंतिम रूप दिया जा चुका था, शहर के द्रुतगामी शहरीकरण के बढ़ते हुए दवाब का सामना करने के लिए पुराना हो चुका है।

2.4.1.1 बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली हेतु सरकारी कार्यप्रणाली

'निकासी एवं तटबंध' संविधान की राज्य सूची का विषय है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। दिल्ली में बाढ़ एवं निकास प्रणाली बहुगुण एजेंसियों[24] द्वारा प्रबन्धित है।

मुख्यतः, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (सि.बा.नि.वि.), दिल्ली शहर को बाढ़ों से बचाने के लिए उत्तरदायी है। दिल्ली में निकास प्रणाली विभिन्न विभागों एवं अपने-अपने अधिकारिक क्षेत्रों में एजेंसियों द्वारा प्रबन्धित होती है लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए पाँच एजेंसियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, **अनुलग्नक 2.4.1** में दिए गए हैं:

2.4.1.2 यह निष्पादन लेखापरीक्षा क्यों?

सड़कों व कालोंनियों में बाढ़ आने की रिपोर्ट प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दी गई थी। यह निष्पादन लेखापरीक्षा विभिन्न एजेंसियों की भूमिका, पानी का भराव एवं निकास संकुलन के कारणों तथा सरकार द्वारा लिए गए सुधारक उपायों की क्षमता के विश्लेषण के लिए की गई थी।

2.4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के विस्तृत उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि क्याः

- परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक योजनाएँ बाढ़ नियंत्रण एवं स्टोर्म पानी निकासी के लिए तैयार किए गए थे एवं वे योजनाएँ और अधिक कार्यान्वयनकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं में स्पष्ट समय-सीमाओं, लक्ष्यों एवं हर विभाग एवं नागरिक एजेंसी हेतु उत्तरदायित्व के सीमांकन में विभाजित की गई थीं;
- जल भराव की समस्या को ठीक करने के लिए शहर के निकास प्रबंधन एवं आधुनिकीकरण का सिस्टम दक्ष एवं प्रभावी था;

[24] सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग (सि.बा.नि.वि.), लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.), नई दिल्ली नगर पालिका (न.दि.न.प.), दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.), दिल्ली केन्टोमेन्ट बोर्ड (दि.के.बो.), दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.), आदि।

- उपलब्ध स्रोत, अर्थात् वित्तीय, मानवशक्ति एवं सामग्री मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावी तरीके से प्रयोग लाई जा सकी; और
- आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी तन्त्र दक्ष एवं प्रभावी थे।

2.4.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा 2010-13 की अवधि को सम्मिलित करते हुए शहर में बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली के संदर्भ में चयनित पाँच सरकारी विभागों एवं एजेंसियों (सिं.बा.नि.वि., लो.नि.वि., दि.न.नि., न.दि.न.प. एवं दि.ज.बो.) की भूमिका, योजना, तत्परता एवं पहल की संवीक्षा हेतु आयोजित की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष चयनित नमूनों पर आयोजित नमूना जाँच पर आधारित है।

लेखापरीक्षा का आरंभ अगस्त 2013 में एक प्रवेश सम्मेलन से हुआ तथा फरवरी 2014 में समापन सम्मेलन में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा पर समाप्त हुआ। समापन सम्मेलन में विभाग के प्रत्युत्तर तथा सिं.बा.नि.वि. तथा लो.नि.वि. से प्राप्त प्रत्युत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए। जबकि शहरी विकास विभाग (नोडल विभाग), दि.न.नि., न.दि.न.प. तथा दि.ज.ब. से मई 2014 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

2.4.1.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रयोग किए गए लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

- विभागों द्वारा जारी किए गए बाढ़ नियंत्रण एवं मानसून आदेश;
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) नियमावली, शहरी निकास पर इंडियन रोड्स कांग्रेस (आई आर सी) दिशानिर्देश, शहरी सड़कों की नियमावली एवं सीवेज नियमावली; और
- रा.रा.क्षे.दि.स. केन्द्रीय जल आयोग, एवं माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश, निर्देश, ज्ञापन एवं आदेश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.2 वित्तीय स्थिति

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग ने बाढ़ नियत्रंण तथा निकास प्रणाली से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए पृथक बजट या विशेषतः शीर्ष लेखा प्रदान नहीं किया। परिणामस्वरूप, बाढ़ नियत्रंण तथा निकास प्रणाली पर निधियों का समेकित आवंटन तथा वास्तविक व्यय को लेखापरीक्षा में निश्चित नहीं किया जा सका।

2.4.3 योजना

2.4.3.1 निकासी के मास्टर प्लॉन का गैर-अध्यतन होना

दिल्ली के विद्यमान निकासी नेटवर्क (निकासी मास्टर प्लॉन-1981) के लिए आवश्यक था, इसे दिल्ली के मॉस्टर प्लॉन (एम.पी.डी.)-2001 के साथ एकीकृत करके इसका पुनरीक्षण किया जाना था। नवम्बर 2005 में, एम.पी.डी. 2021 प्रारूप के क्रम में निकास प्रणाली के सुधार हेतु एक एक्शन प्लॉन को तैयार करने के लिए अपेक्स कमेटी का गठन किया गया था जून 2012 में कैबिनेट के अनुमोदन के बाद सरकार ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई.आई.टी. दिल्ली के प्रमुख की नियुक्ति परामर्शदाता

के रूप में की। जुलाई 2012 में कार्य प्रारंभ होकर 18 महीनों के अंदर समाप्त होना था। विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर) बताते हैं कि निकास के लिए मास्टर प्लॉन को एम. पी.डी. 2021 के साथ, दि.ज.बो. द्वारा बनाए गए सीवेज के मास्टर प्लॉन के साथ मेल खाता होना चाहिए था। अध्ययन के उद्देश्य से सिं.बा.नि.वि. को आवश्यक डाटा जैसे उबड़-खाबड़ जमीन, बहाव की दिशा, निकास का प्रवेश परामर्शदाता को प्रदान करना था। सिं.बा.नि.वि. ने डाटा नहीं दिया। चूँकि आवश्यक डाटा दिल्ली राज्य स्पेशियल डाटा अवसंरचना प्रोजेक्ट (दि.रा.स्पे.डा.अ.प्रो.) के पास भी नहीं था इसलिए सभी सम्बन्धित एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण करें तथा दिसम्बर 2013 आईआईटी को तक डाटा प्रस्तुत करें।

सरकार द्वारा कमेटी के गठन में पाँच साल का समय लग गया तथा अन्य सात साल का समय कार्यवाही योजना को तैयार करने में परामर्शदाता की नियुक्ति और परामर्शदाता को आवश्यक डाटा कि गैर प्राप्ति दोनों ने दिल्ली में निकासी की समस्या को पर्याप्त रूपरेखा को बनाने की प्रक्रिया में विलम्ब किया। सिं.बा.वि.न. ने स्वीकार किया (मार्च 2014) कि दि.रा.स्पे.डा.अ.प्रो./जी.एस.डी.एल./शेयरधारी विभागों के साथ डाटा के अनुपलब्धता के कारण मॉस्टर प्लान बनाने में विलम्ब हुआ।

2.4.3.2 सीवरेज के मास्टर प्लॉन की तैयारी में विलम्ब

स्ट्रोम ड्रेन्स की क्षमता को कम किए जाने के बहुत से कारणों में एक कारण, शहर में अपर्याप्त सीवरेज निपटान के कारण बहुत सी आंतरिक सहायक नालों में सीवेज के साथ स्ट्रोम वाटर का मिलना है जबकि शहर में केवल दिल्ली की 54 *प्रतिशत* जनसंख्या सीवरेज नेटवर्क से जुड़ी हुई है। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि दिल्ली जल बोर्ड को ए.इ.सी.ओ.एम. तथा डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. को अप्रैल 2010 में सीवरेज की योजना के लिए ₹ 12.36 करोड़ की लागत का कार्य सौंपा गया जो कि 36 महीने यानि अप्रैल 2013 तक पूरा किया जाना था। फर्म ने अपनी पहली ड्रॉफ्ट रिपोर्ट (अप्रैल 2013) ''दिल्ली 2031 की सीवेज प्रणाली के लिए मॉस्टर प्लान'' प्रस्तुत किया जबकि दि.ज.बो. तथा सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना शेष था इस प्रकार, दि.ज.बो. की स्थापना (6 अप्रैल 1998 को) के डेढ़ दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दिल्ली सीवेज पुनर्स्थापना में समर्पित मॉस्टर प्लॉन का होना अभी शेष है।

2.4.3.3 निकास प्रणाली पर अनधिकृत कालोनियों के प्रभाव का गैर-निर्धारण एवं तीव्र शहरीकरण

दिल्ली में मुख्य सड़कों के साथ-साथ अनधिकृत कालोनियों का अनियोजित विकास तथा तीव्र कंक्रिटीकरण हुआ, जबकि यह कंक्रिटीकरण से पहले वर्षा के जल को बड़ी मात्रा में सोखने में सहायता प्रदान करता था तथा भूतल जल संग्रहण में सहायता भी करता था। अनधिकृत कालोनियों की (आईएफसीडी एवं डीएसआईआईडीसी के द्वारा विकसित) नालियों को उचित निकास बिंदु सुनिश्तित किये बगैर बड़े नाले के साथ जोड़ने से समस्या ज्यादा बढ़ गयी है। लो.नि.वि. तथा दि.न.नि. ने इन कालोनियों के प्रभाव का निर्धारण पूरे निकास प्रणाली पर नहीं किया।

आईएफसीडी ने कहा (दिसम्बर 2013) कि वह श.वि.वि. की ओर से इकलौती कार्यकारी एजेंसी थी और उसने इन कालोनियों में ''जैसा और जहां है के आधार पर'' सड़कों के फुटपाथ तथा प्राकृतिक मिट्टी के स्तर पर सड़क के किनारे की नालियां उपलब्ध करायी। नलियों के लिये निकास उपलब्ध कराना हमेशा संभव नही है। क्योंकि यह निकास बिंदु के स्तर की तुलना में निचले स्तर पर हो सकता है। अतः निकास प्रणाली पर अनधिकृत कालोनियों के बेतरतीब विकास के प्रभाव को निकास अवसंरचना की योजना बनाते समय ध्यान में नही लिया गया।

2.4.3.4 आवश्यक डाटाबेस की अनुपस्थिति

केन्द्रीय जल आयोग के निर्देशों के अनुसार, तटबन्धन, तल पर प्लास्टर, निकासी तथा चैनल सुधार कार्य की योजना में टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलोजिकल तथा मेट्रोलोजिकल डाटा, पिछली बाढ़ों का इतिहास, तटबंध का क्षरण तथा नालियों में अवरोधन भी सम्मिलित होता है।

यद्यपि, यह देखा गया कि विभागों के पास ये प्लानिंग के लिए आवश्यक ऐसे डाटा नहीं थे जैसा कि आगामी पैराग्राफों में वर्णित है।

(क) यमुना नदी का ट्रोपोग्राफिकल सर्वेक्षण

अक्टूबर के मध्य में जब मानसून लौट जाता है, तब पिछले चार महीनों में भारी-वर्षा के कारण नदी तल क्षेत्र के वार्षिक वैशिष्ट में आए परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सिं.बा.नि.वि. द्वारा ट्रोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कराया जाता है ताकि अगले मानसून के शुरू होने से पहले उपचारी कार्रवाई प्रारंभ एवं पूर्ण की जा सके।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि सिं.बा.नि.वि. नियमित रूप से वर्ष 2004 तक यमुना नदी का वार्षिक ट्रोपोग्राफिकल सर्वे कराया, किंतु इसने वर्ष 2005-2011 के मध्य प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं सर्वेयर की कमी के कारण कोई सर्वे नहीं कराया, वर्ष 2008 को छोड़कर जब एक प्राइवेट फर्म को ₹ 33.20 लाख की लागत पर काम पर लगाया। वर्ष 2012 का सर्वे पुनः ₹ 40.70 लाख पर आउटसोर्स किया। 2008 के सर्वे की अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2011 में प्राप्त हुई, जबकि वर्ष 2012 की रिपोर्ट दिसम्बर 2013 तक प्रतीक्षित थी। इस प्रकार, सर्वे को अनुपस्थिति में सिं.बा.नि.वि. इस अवधि के दौरान क्षरणरोधी कार्यों को कराने हेतु पूर्णतः सक्षम नहीं था।

अपने उत्तर में (मार्च 2014) सिं.बा.नि.वि. ने कहा कि यमुना नदी का ट्रोपोग्राफिकल सर्वे यह तय करने के लिए किया जाता है कि नदी के मार्ग में कितना परिवर्तन आया है। यमुना नदी के दोनों किनारों पर तटबंध का निर्माण शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किया जाता है जिसे कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मरम्मत/रखरखाव किया जाता है। नदी तल के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व दि.वि.प्रा. के पास है। यद्यपि, कर्मचारियों अथवा किसी निजी एजेंसी से समय पर तकनीकी सर्वे नहीं कराए जाने के बाद, सिं.बा.नि.वि. उपरोक्त अवधि के दौरान बाढ़ तथा निकास की समस्या का हल करने हेतु पूर्णतः नहीं था।

(ख) हाइड्रोजिकल डाटा

लो.नि.वि. द्वारा प्रदत्त रिकार्डों तथा डाटा से पता चला कि इसके पास कुल उत्सर्जन की निकासी के लिए सूचना नहीं थी जिससे नालियों की दिशाएँ तर्कपूर्ण तरीके से तय नहीं की जा सकी। लो.नि.वि. ने स्वीकारा (अक्टूबर 2013) कि उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में तीव्र प्रवाह वाले नालों की क्षमता तथा प्रवाह की गति के मद्देनजर इनके डिजाइन की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया। मार्च 2014 में, उन्होंने आगे कहा कि सिं.बा.नि.वि. ने दिल्ली के समस्त निकास प्रणाली के अध्ययन का कार्य आई.आई.टी. दिल्ली को सौंप दिया, अतः जलविज्ञान संबंधी अध्ययन करना व्यर्थ तथा निष्फल कार्य होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास दिल्ली शहर की आवश्यकता का निर्धारण करने तथा तदनुरूप योजना बनाने तथा कार्य कराने हेतु आँकड़े नहीं थे विशेषकर तब जबकि प्रत्येक नाले का स्पष्ट हाइड्रोलोजिकल तथा ट्रोपोग्राफिकल विशेषताएँ हैं।

इसी प्रकार, एनडीएमसी, उत्तर एमसीडी तथा एसडीएमसी ने अपने अधिकार में आने वाले नालों के संबंध में कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया।

2.4.4 मानसून के लिए अपर्याप्त तैयारी

मई 1995 में संस्थापित "प्रचालन अभियान" के अनुसार तीव्र प्रवाह नालियां तथा सीवरों की डिसिल्टिंग का कार्य मानसून की तैयारी के एक भाग के रूप में, मानसून से पूर्व (30 जून) पूरा किया जाना था। अभियान में यह भी आवश्यक था कि सभी एजेंन्सियों द्वारा श.वि.वि. को यह प्रमाणपत्र कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी निकासी/सीवर डिसिल्टेड हैं तथा पूर्ण रूप से प्रचालित हो गये हैं, प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने चयनित एजेंन्सियों की लेखापरीक्षा का मूल्यांकन किया तथा पाया कि मानसून से पूर्व निकासी तथा सीवरेज़ अवरोधन तथा जल-जमाव के निवारण में एजेंन्सियों की तैयारी प्रचालन अभियान द्वारा निर्धारित मानकों से मेल नहीं खाती तथा पाई गई कमियों का उल्लेख आगामी पैराग्राफों में किया गया है:

2.4.4.1 नालियों की डिसिल्टिंग में कमियाँ

(i) यह देखा गया कि सिं.बा.नि.वि. ने प्रत्येक वर्ष मानसून से पूर्व डिसिल्टिंग/अनुरक्षण कार्य के निकास तथा इस कार्य को पूरा करने में सौंपे गये कार्य की सामयिक अवधि का निर्धारण नहीं किया गया था जैसाकि प्रचालन अभियान के निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक था। सिं.बा.नि.वि. के दो डिवीजनों (सी.डी.VI तथा सी.डी.IV) में डिसिल्टिंग तथा नालियों की सफाई के 58 कार्यों को 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान सौंपा गया था इनमें से 27 कार्य मानसून के प्रारंभ के बाद निर्धारित तिथि के पूर्ण होने के बाद ठीक हुए। जैसाकि **अनुलग्नक 2.4.2** में दिया गया है। यह दर्शाता है कि सिं.बा.नि.वि. मानसून के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था।

(ii) सिं.वा.नि.दि. तीन लगातार वर्षों 2010, 2011 तथा 2012 में नसीरपुर नाले की सफाई मानसून से पहले कराने में असफल रहा। 2010 में, सौंपे गये डिसिल्टिंग के कार्य पर अक्टूबर में प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में असफल रहा। 2011 में, नालियों की सफाई का कार्य अप्रैल 2012 में निरस्त कर दिया गया क्योंकि नवम्बर 2011 तक ठेकेदार नालियों के किनारों से मलबा/कूड़े को हटाने के कार्य में असफल रहा। 2012 में भी, ठेकेदार अगस्त 2012 तक नालियों में अवरोधन को साफ करने में असफल रहा तथा कार्य दिसम्बर 2012 में ही पूरा हुआ। कार्यकारी अभियंता (सीडी-1) ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि अब (2013) नाले की गाद निकाल दी गई है तथा कचरा भी साफ कर दिया गया है।

(iii) लो.नि.वि. द्वारा लिए निर्णय के अनुसार, का.अ. को निविदा उपयुक्त पैकेज में समय पर खोली एवं सौंपी जानी चाहिए ताकि नालियों से गाद निकालने के कार्य की समयपूर्वक समाप्ति सुनिश्चित की जा सके। तैयार एक्शन प्लान के अनुसार, सभी कार्य 5 मई 2012 तक सौंपे जाने चाहिए एवं 31 मई 2012 तक निपटाए जाने चाहिए।

लो.नि.वि. के सभी चार जोनों के रिकार्डों एवं सूचनाओं की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारित समयसीमा का या तो पालन नहीं किया गया अथवा स्टेट्स रिपोर्ट में कार्य की समाप्ति की वास्तविक तिथि दर्ज नहीं की गई, जैसा कि **अनुलग्नक 2.4.3** में वर्णित है।

अपने उत्तर में लो.नि.वि. ने कहा (नवंबर 2013) कि दि.न.नि. से हस्तान्तरित सड़कों तथा नालियों के जुड़ने के कारण लो.नि.वि. को बड़े पैमाने पर गाद निकालने का

कार्य करना पड़ा तथा कार्य अंतिम समयसीमा के अनुसार समाप्त किया जाना था, जोकि आमंत्रित निवदाओं के मानकों का पालन करते हुए कभी कभी परिवर्तन किया गया। इन्होंने आगे कहा (मार्च 2014) कि किसी अन्य आकस्मिकता का सामना करने के लिए मानसून पहुंचने से 30 दिन पहले का लक्ष्य रखा गया। यद्यपि, लो.नि.वि. चयनित संवेदनशील स्थानों के मामले में गाद निकालने के कार्य की वास्तविक समाप्ति के समर्थन में निरीक्षण रिपोर्ट को शामिल करते हुए कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके द्वारा गाद निकालने तथा जल जमाव के प्रति संवेदनशील स्थानों की सफाई के बारे में दि.न.नि. से प्राप्त शिकायतों के संबंध में कोई विवरण नहीं दे सका जबकि ये माँगे गए थे।

(iv) दि.न.नि. के एक्शन प्लान के अनुसार सभी नालियों से मानसून के प्रारंभ से पहले गाद हटाई जानी चाहिए। यद्यपि एस.डी.एम.सी. के केन्द्रीय जोन के एम-1 डिवीजन में यह देखा गया कि शीघ्रता की प्रार्थना पर कुशक नाला के गाद निकालने का कार्य जून 2012 तथा जनवरी 2013 में ₹ 88.54 लाख में अल्पसूचना निविदा आमंत्रित कर सौंपा गया। लेखापरीक्षा में चयनित 13 कार्यों में से केवल एक कार्य गाद निकालने के उद्देश्य को परास्त करते हुए जुलाई 2012 के अंत में पूरा हुआ। विभाग ने देरी का कारण (अक्टूबर 2013) नाले की लंबाई (8 कि.मी.) बताया तथा आश्वासन दिया कि क्षतिपूर्ति की राशि बिलों को अंतिम रुप देने के समय वसूली जाएगी।

(v) शहरी सड़क मैनुअल के अनुसार, प्रत्येक नाले में गाद का अनुमान निकाले गाद के नमूने पर आधारित होना चाहिए। यद्यपि, इन मानकों का लो.नि.वि. के चयनित चार डिवीजनों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था तथा नाले में गाद के अनुमानित स्तर के आधार पर कार्य सौंपा गया था अपने उत्तर (मार्च 2014) में, लो. नि.वि. ने कहा कि दि.न.नि. ने 2012 में सड़क हस्तांतरण के बाद नालियों में पूर्वअनुमानित गाद पर किसी सूचना को शेयर नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि नालियों का निरीक्षण फील्ड यूनिटों द्वारा गाद की अनुमानित मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है। गाद की मात्रा वर्ष-दर-वर्ष बदल रही थी तथा किन्हीं दो नालियों की अनुमानित गाद की मात्रा की तुलना हेतु ये वास्तविक नहीं थी। वास्तव में उत्तर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण से सहमत है कि नमूना गाद निकालना सबसे आवश्यक है क्योंकि किन्हीं दो नालियों में गाद की मात्रा एक जैसी नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, चयनित फील्ड यूनिट गाद के अनुमान के समर्थन में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहे।

2.4.4.2 निकाले गए गाद पदार्थों का निराकरण न करना

नालियों में जल अथवा निस्सरण के स्वतंत्र प्रवाह को बनाए रखने के लिए नालियों से गाद तथा अवरोधों जैसे नियमित रूप से घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा-करकट, मलबा, पालीथीन बैग इत्यादि जैसे अवरोधनों का हटाया जाना तथा इन हटाए गए गाद पदार्थों का तत्काल निपटान किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर आखिर में यह निकास को घना बना देता है क्योंकि गाद मलबा इत्यादि यदि मानसून प्रारंभ होने से पहले नहीं हटाए गए तो इनके नालियों में लौटने की सम्भावना रहती है। इस क्षेत्र में नमूना जाँच मामलों में निम्नलिखित प्राप्तियाँ पायी गईं:

(क) आई.एफ.सी.डी. में, यांत्रिक संभाग (एम.डी.) नालियों से गाद हटाने का कार्य करता है जबकि उत्खनित गाद, मलबा, मिट्टी इत्यादि के हटाए जाने का कार्य सिविल संभाग (सीडी) के द्वारा किया जाता है। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2010-13 के दौरान, यांत्रिक संभाग ने (एम.डी.) सीडी-I, सीडी-III एवं सीडी-

IV के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नजफगढ़ नाला तथा ट्रंक नाला के भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपनी मशीनों को लगाया था। उस अवधि के दौरान संबंधित सीडीज के द्वारा उत्खनित एवं हटायी गई गाद की मात्रा का विवरण नीचे **तालिका 2.4.1** में दिया गया है:

तलिका 2.4.1
गाद के उत्खनन तथा हटाए जाने के ब्यौरे

संभाग	अवधि	उत्खंनित गाद (क्यूबिक मीटर)	हटायी गई गाद (क्यूबिक मीटर)
सीडी – I	01.01.10 से 31.03.13	2,09,555	शून्य
सीडी – III	01.01.10 से 31.03.13	1,95,035	52,100
सीडी – IV	01.01.10 से 31.03.13	4,24,615	46,626
कुल		**8,29,205**	**98,726**

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, ₹ 7.34 करोड़ की लागत पर ₹ 8.29 लाख क्यूबिक मीटर गाद के उत्खनन में से ₹ 0.98 लाख क्यूबिक मी. को हटाया गया था, शेष गाद ड्रेन्स के किनारों पर रह गई थी। सिं.बा.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि किनारों पर रह गई गाद की बहुत बड़ी मात्रा को सिं.बा.नि.वि. ने विभागीय मशीनों द्वारा हटा कर समायोजित किया तथा गाद मानसून के दौरान ड्रेन में वापिस नहीं गिर सकती थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है मुख्य सचिव तथा सचिव (रा.वि.वि.) के फरवरी 2013 के निर्देशों की दृष्टि से गाद को हटाए जाने तथा उसके निपटान का कार्य48 घंटो में किया जाना चाहिए था।

(ख) यह देखा गया कि लो.नि.वि. को 15 जून 2013 से यह प्रमाण पत्र दिया कि सभी ड्रेन्स से गाद निकालने का कार्य समाप्त हो गया और ड्रेन में गाद नहीं थी। यद्यपि लो.नि.वि. ने 10 सितम्बर 2013 को ड्रेन्स में गाद निकालने पर स्थिति रिपोर्ट में दर्शाया कि सड़क के किनारे स्थित नालियों की 80.077 कि.मी. लम्बाई से गाद/मलबा को नहीं हटाया गया था तथा 157.688 कि.मी. लम्बाई से केवल अंशतः मलबा हटाया गया था, जबकि लोक निर्माण विभाग के पास सड़क के किनारे स्थित नालियों की 40.78 कि.मी. लम्बाई हेतु कोई सूचना नहीं थीं। अपने जवाब में लो.नि. वि. (मार्च 2014) ने कहा कि मानसून से पूर्व गाद हटाने का कार्य 20 जून 2013 तक पूरा कर लिया था तथा कहा कि बड़ी संख्या से ड्रेन्स जोकि सीवरेज तथा लगातार गिराई गई गाद की निकासी करते है से सम्बन्धित रिपोर्ट दैनिक अथवा साप्ताहिक रुप से बनाई जा रही है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट की स्थिति, स्पष्ट रुप से मई 2013 तक सभी मामलों में 100 *प्रतिशत* उपलबधि को दर्शाती है।

2.4.4.3 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए तंत्र का अभाव

1995 में शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) द्वारा 'आपरेशन मिशन' तैयार किया गया, अन्य बातों के साथ-साथ इसने जल जमाव हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान का प्रयास किया। सिं.बा.नि.वि. तथा लो.नि.वि. के पास सर्वे करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए उचित तंत्र नहीं था। सिं.बा.नि.वि. में फील्ड कर्मचारियों द्वारा जब भी जरूरत हो कार्यस्थलों के निरीक्षणों द्वारा स्थानों की संवेदनशीलता तय की जाती हैए जबकि लो.नि.वि. तथा उत्तरी एम.सी.डी. मुख्यतः ट्रेफिक पुलिस द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर निर्भर थे। इसी प्रकार, एनडीएमसी के पास अपने क्षेत्रों में जल-जमाव वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई मानदंड तय नहीं किया था। जबकि एसडीएमसी ने सर्वे

के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कीए ई.डी.एम.सी. में, यह जनता, जनप्रतिनिधियों, ट्रैफिक पुलिस तथा इंजीनियरिंग स्टॉफ के निरीक्षणों पर आधारित थी।

अपने उत्तर में लो.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि इसके पास फील्ड यूनिटों के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए अपना तंत्र था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई संवेदनशील क्षेत्रों की सूची काफी विस्तृत थी तथा पिछले अनुभवों पर आधारित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लो.नि.वि. के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की सूची 2010 में 60 से 2012 में 103 हो गई जोकि विभाग द्वारा अपने मूल्यांकन में संवेदनसील क्षेत्रों की पहचान हेतु प्रयासों की कमी को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, जुलाई तथा अगस्त 2013 में वर्षा के दौरान, **अनुलग्नक 2.4.4** में वर्णित 82 नए क्षेत्रों में जल जमाव देखा गया।

2.4.4.4 उचित सीवरेज़ प्रबंधन का न होना

लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ज.बो. में सीवरेज़ का नियमित तथा उपचारी अनुरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। चयनित आठ डिविजनों में से पांच डिविजनों के रिकॉर्डों की समीक्षा दर्शाती है कि सीवर लाइन तथा मेनहॉल्स के बहाव की मरम्मत, बनी हुई सीवर लाइनों को बदलने तथा टूटी हुई सीवर लाइनों की मरम्मत के निर्माण का कार्य क्षेत्र के संसद सदस्यों की प्रार्थना या निवासियों की शिकायत पर ही किया गया था। शिकायतों की प्राप्ति पर, संबंधित डिविजन कार्य के पालन करने के लिए प्रारंभिक प्रस्तावों तथा कारणों का पता लगाता था। लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ज.बो., ऐसे मामलों में भी जहां मानसून के दौरान या उससे ठीक पहले त्रुटियॉ पता लगा ली गई हैं वहां डिसिल्टिंग/सीवर लाइन कार्य में सुधार के कार्य को प्रदान करने में भी शीघ्रता नहीं दर्शाता था। 26 मामलों की नमूना जांच में से 15 कार्य मानसून से पूर्व पूरे नहीं हुए थे क्योंकि दि.ज.बो. ने कार्य सौंपने में 49 से 335 दिन का समय लिया था जैसा कि **अनुलग्नक-2.4.5** में उल्लिखित है।

2.4.4.5 बाढ़ नियंत्रण कार्यों को शुरू नहीं किया जाना

बाढ़ नियंत्रण आदेशों के अनुसार, पुराने रेलवे ब्रिज के पास यमुना में 204.83 मी. (672 फीट) जलस्तर के खतरे का निशान माना जाता है। इसके अतिरिक्त, जब यह स्तर 206.04 मी तक पँहुच जाता है तो बाढ़ का प्रभाव नजफगढ़ नाले में बैक फ्लो के रुप में दिखाई पड़ता है। 2008, 2009 तथा 2010 में नदी को खतरे के निशान से क्रमशः 1.17, 0.5 तथा 2.28 मी. ऊपर आ गई तथा सिं.बा.नि.वि. ने 16 जुलाई 2008 से 9 मई 2011 तक बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों से संबंधित कोई नया कार्य प्रारंभ नही किया। अपने उत्तर में, सिं.बा.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि क्या नदी प्रशिक्षण कार्य केवल आवश्यकता के अनुसार ही प्रस्तावित किए जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिं.बा.नि.वि. ने कोई नया कार्य प्रस्तावित नहीं किया जबकि यमुना 2008, 2009 तथा 2010 में खतरे के निशान को पार कर गई थी।

2.4.5 संबंधित एजेंसियों द्वारा जल-जमाव को रोकने हेतु अपर्याप्त कार्रवाई

(क) 2012 तथा 2013 के मानसून से संबंधित जल-जमाव, विभिन्न स्थलों पर जल जमाव की घटना को रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा ट्रैफिक पुलिस/मीडिया रिपोर्ट तथा विभाग के रिकॉर्डों की नमूना जाँच की गई। पुलिस तथा मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए मुख्य स्थान जहाँ जल-जमाव होते हैं, अनुवर्ती पैराग्राफों में वर्णित है।

(i) पुराना किला रोड तथा मथुरा रोड, न्यायधीशों के बंगलों को शामिल करते हुए- अगस्त 2009 में भारी वर्षा के दौरान, उच्च न्यायालय के न्यायधीशों

के घर पूर्णतः जलमग्न हो गए। उच्च न्यायलय के माननीय न्यायधीशों की एक समिति ने अगस्त 2009 में संबंधित एजेंसियों की एक बैठक बुलाई तथा एनडीएमसी को इस समस्या का समाधान करने को कहा। एनडीएमसी ने आई. आई.टी. दिल्ली से एक परामर्शदाता नियुक्त किया जिसने नवम्बर 2010 में सुझाव दिया कि इस समस्या के समाधान हेतु नाली संख्या 14 का पुननिर्माण किया जाए। जनवरी 2011 में रिपोर्ट दि.न.नि. तथा सिं.बा.नि.वि. को अग्रेषित की गई तथा उन्हें कहा गया कि परामर्शदाता द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संबंधित एजेंसियों से कार्य कराए। चूँकि नाली का पुनरनिर्माण केवल दि.न.नि. के क्षेत्र में आवश्यक था अतः उन्हें आवश्यक कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने को कहा गया। दूसरी एजेंसियों जैसे सिं.बा.नि.वि. से तथा वन-विभाग से वृक्षों की कटाई के लिए अनुमति प्राप्त करने में देरी के कारण कार्य में देरी हो गई। कार्य अंतिम रूप से मार्च 2013 में सौंपा जा सका तथा सितम्बर 2014 तक पूरा होना निश्चित हुआ है। यद्यपि जनवरी 2014 तक केवल 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ।

न्यायधीशों की समिति लगातार उपरोक्त कार्य की प्रगति तथा साथ ही 2009 से अल्पावधि कार्य जैसे नालियों से गाद निकालकर, पंप सेट इत्यादि का अधिष्ठापन की स्वयं निगरानी कर रही थी ताकि जल-जमाव की घटनाओं की रोकथाम की जा सके। यद्यपि, इस निगरानी तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा अल्पावधि कार्य के विषय में आश्वासन के बावजूद जुलाई 2013 में तीन बार मथुरा रोड/पुराना किला रोड पर जल-जमाव देखा गया। इस प्रकार, 2009 से 2013 तक जल-जमाव की समस्या जारी रही।

(ii) तिब्बत बाजार- 2010 के मानसून के दौरान, यमुना की बाढ़ में तिब्बत बाजार डूब गया तथा सिं.बा.नि.वि. ने ₹ 10.61 करोड़ की लागत पर 'चंदगीराम अखाड़ा तथा कुदसिया घाट के मध्य यमुना के दाएँ तट पर दीवार बनाने' की योजना तैयार की गई। (जनवरी-2011)। यद्यपि, योजना पुनःपरीक्षण के लिए आस्थगित हो गई क्योंकि स्थानीय एमएलए ने बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (बा.नि.बो.) के समक्ष आपत्ति की कि तिब्बत-कॉलोनी में जल-जमाव तथा बाढ़ सीवर जल के रूकने से हुई थी ना कि बाढ़ के कारण। बा.नि.बो. द्वारा जुलाई 2013 में अंतिम रूप से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कार्य अभी सौंपा जाना था (फरवरी 2014)। इस प्रकार, बा.नि.बो. द्वारा देरी से निर्णय लिए जाने के कारण दो भारी वर्षाकाल के दौरान (2011 तथा 2013) तिब्बत बाजार बाढ़ग्रस्त हो गया। विभाग ने कहा (मार्च 2014) कि यमुना स्टैडिंग कमेटी (बाईएससी) से क्लीयरेंस की प्राप्ति प्रक्रियारत थी जिसके बाद कार्य सौंपा जाएगा।

(iii) अरबिदों मार्ग पर अधचीनी टी पाइंट- मानसून 2012 के दौरान इस स्थान में बार-बार जल-जमाव हुआ। लो.नि.वि. ने इसका कारण उचित निकास की अनुपस्थिति को बताया तथा अल्पकालिक कार्रवाई के तौर पर जल को पोर्टबल पंपों द्वारा बाहर निकाला गया। आगे, स्थायी समाधान के रुप में, सड़क संख्या 11 में एक नए नाले का निर्माण (जनवरी-2013) अधचीनी की तरफ आने वाले वर्षा जल के लिए कराए जाने के लिए कहा गया। जनवरी तथा जुलाई 2013 में लो.नि.वि. द्वारा आश्वासन देने के बावजूद 2013 में जल-भराव था। संबंधित विभाग सिं.बा.नि.वि. द्वारा दिए अवक्षेपण-डाटा के आधार पर दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएँ तैयार करने का कार्य किसी एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया में थे ताकि समस्या को स्थायी रुप से हल करते हुए समन्वय समिति के निर्देशों (नवम्बर 2012) की अनुपालना हो।

(iv) अनुव्रत मार्ग-अनुव्रत मार्ग में जल-जमाव की समस्या समुचित निकास प्रणाली की अनुपस्थिति में थी। अप्रैल 2012 में 100 फुट टी-प्वांईट के पास एक छिद्र तैयार किया गया ताकि यहाँ जलजमाव नहीं हो। यद्यपि, 2012 तथा 2013 में जल-जमाव पुन: देखा गया। लो.नि.वि. ने कहा कि समन्वय समिति के निर्देशों की अनुपलना में वे क्षेत्र में जल-जमाव रोकने के लिए सिं.बा.नि.वि. द्वारा दिए गए अवक्षेपण डाटा के आधार पर दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना बनाने हेतु एक एजेंसी को कार्य पर लगाने की प्रक्रिया में है।

(v) आश्रम चौक-लो.नि.वि. के अनुसार, 2012 में इस स्थान पर जल-जमाव बेल-माउथ की चोकिंग की वजह से हुई थी जिसके बारे में कहा गया था कि यह साफ कर लिया गया है। यद्यपि, ट्रैफिक पुलिस की 2013 की रिपोर्टों के अनुसार इस स्थान पर निकास अपरोधन कि संभावना थी क्योंकि जुलाई अगस्त 2013 में कई बार यहाँ जल-जमाव देखा गया।

(vi) आई.टी.ओ / तिलक ब्रिज / आई.पी.फ्लाईओवर के नीचे-2012 में इन स्थानों पर जल-जमाव के कारण आउटफाल्स पर कम अपवहन, नालियों की चोकिंग तथा पंपो का टूटना थे। लो.नि.वि. द्वारा नालियों की सफाई तथा पंपो की मरम्मत के बारे में आश्वासन दिया गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 2013 के दौरान स्थिति वैसी ही रही तथा इन स्थानों पर कई बार जल-जमाव देखा गया।

(vii) मोती बाग-ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार यह भी संवेदनशील स्थानों में से एक है। लो.नि.वि. ने 2012 में जल-जमाव का कारण बेल माउथ जाली के पाईपों में अवरोधन को बताया तथा आश्वासन दिया कि बेल माउथ की सफाई कर दी गई है तथा नाली की पाईप को बदल दिया गया। यद्यपि, ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्टों के अनुसार 2013 में इस स्थान पर अभी भी जल-जमाव की संभावना थी।

आगे यह भी देखा गया कि लो.नि.वि. ने शहरी विकास विभाग के जनवरी तथा जुलाई 2013 में आश्वासन दिया कि उपरोक्त क्रम संख्या (iii) से (vii) के संवेदनशील स्थानों के विषय में इन स्थानों पर जल-जमाव को रोकने के लिए पर्याप्त उपचारी कार्रवाई की गई है यद्यपि इन तथा अन्य स्थानों पर जैसा कि **अनुलग्नक 2.4.6** मे वर्णित है बार-बार जल-जमाव पाया गया।

सचिव (श.वि.) ने भी इन रिपोर्टों का संज्ञान किया तथा (अगस्त 2013) सचिव (ले.नि.व.) को 11 मुख्य स्थानों[25] पर जल-जमाव के कारणों का विश्लेषण करने के बाद उत्तरदायित्व तय करने को कहा। यद्यपि, श.वि.वि. तथा लो.नि.वि. के प्रत्युत्तर मार्च 2014 तक प्रतीक्षित थे।

जैसा कि देखा जा सकता है कि मुख्य रुप से अल्पकालीन मानदण्ड प्रभावित जगहों से पानी को पंप द्वारा बाहर निकालने के लिए किए गए। यद्यपि लो.नि.वि. ने

[25] मिंटो ब्रिज, आई.टी.ओ. मूल चंद, धौला कुँआ, आश्रण चौक, शांतिवन चौक, अरविंदो मार्ग, युसुफ सराय, अधचीनी से पीटीएस मालवीय नगर, सरिता विहार फ्लाईओवर तथा डी सी ऑफिस (एम.बी. रोड)

विद्यमान पंपिंग स्टेशनों का आवश्यकता के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतन नहीं कराया।

(ख) भारतीय मौसम विभाग (भा.मौ.वि.) को प्रतिदिन वर्षा रिपोर्ट की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि जिन दिनों में वर्षा की तीव्रता मध्यम थी तथा यमुना नदी में जल स्तर खतरे के निशान से नीचे थी, ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर जल-जमाव की सूचना दी गई जैसा कि **अनुलग्नक 2.4.7** में वर्णित है। दिल्ली के तीव्र बहाव वाले नाले आई.आर.सी. के प्रति घंटे 62.5 मि.मी. दर से 30 मिनट की अवधि को वर्षा तीव्रता की डिजाइन क्षमता के सुझाव के प्रति एक घंटे में 25 मि.मी. जल के बहाव (वर्षा) को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो कि क्षमता अवरोधन को दिखाते हैं उस मामले ने जबकि अवरोधन दिए गए समय में बढ़ता हो जो यह इंगित करता है कि समस्या को कम करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

यद्यपि इंगित किए जाने पर लो.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि फील्ड स्टॉफ को पूर्वानुमान तथा चेतावनी दूरभाष पर दे दी गई थी ताकि वे सजग एवं जागरूक रहे किन्तु इसने माना कि वर्षा की तीव्रता के संदर्भ में बदलते वातावरण के साथ सामंजस्य हेतु इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने 2010-13 के दौरान भा.मौ.वि. के पर्यवेक्षण के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों के मामले में किए गए उपायों पर कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। आगे, किसी चयनित डिवीजन के पास संवेदनशील स्थानों से संबंधित अवक्षेपण डाटा नहीं थे, उस दिन के भी नहीं जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा जल-जमाव की सूचना दी गई। नोडल विभागों जैसे श.वि.वि. से मार्च 2014 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

2.4.6 निर्माण कार्य प्रबंधन में कमियाँ

(i) लो.नि.वि., जब अनुमानों को बना रहा था, उन्होंने निर्णय किया कि प्रतिदिन एक-एक ट्रक के लिए केवल दो ट्रिप लगाने सम्भव होंगे क्योंकि दि.न.नि. के प्राधिकृत डम्पिंग ग्राउण्ड पर प्रतीक्षा करने के कारण समय बीत जाता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि दो डिवीजनों में ट्रकों ने निर्धारित सीमा से अधिक 4 से 7 ट्रिप लगाई जबकि यह संदेहास्पद था कि वास्तविक रुप से मलबा का निपटान किया गया है। अपने जवाब मे लो.नि.वि. ने जवाब (मार्च 2014) दिया कि ट्रिप लगाए जाने की संख्या कार्य क्षेत्र के डम्पिंग ग्राउण्ड की निकटता पर निर्भर करता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमानों को बनाते समय लो.नि.वि. को निर्धारित दूरी की जानकारी थी तथा इन सब पर विचार करने के पश्चात लगाई गई ट्रिपों की संख्या को निर्धारित किया जाता है।

सिं.बा.नि.वि. ने भी, गाद हटाए जाने के दौरान वास्तविक रुप से उत्खनित किए गए गाद की मात्रा को निर्धारित किए जाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सिं.बा.नि. वि. ने बताया कि मात्रा को करार के नियम तथा शर्तों के अनुसार मापा जाता था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करार के अनुसार भुगतान को प्राथमिकता तथा निपटान की अन्तिम अनुप्रस्थ काट के आधार पर कर दिया गया था, परन्तु इसके ब्यौरों को लॉग बुक में नहीं दिया गया था। सिं.बा.नि.वि. ने बताया (मार्च 2014) कि ठेकेदार द्वारा कार्य कर दिया गया था गाद को हटाए जाने के लिए गाद की मात्रा को उसकी प्राथमिकता तथा सतह द्वारा माप लिया गया था तथा विभागीय मशीनों द्वारा कार्य कर दिया गया था तथा गाद की मात्रा बाल्टी के साईज को कार्य के घंटो से गुणा करके अनुमानित किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि करार के मामलों में, इस प्रकार के ब्यौरों को लॉग बुक में नहीं दिया गया था तथा

विभागीय मशीनों के मामलों में, उत्खनित गाद की मात्रा के संबंध में सम्बन्धित डिविजनों के पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे।

(ii) जब लिंक ड्रेन-II की पुरानी आर.आर. मैसूबरी आउटफॉल की संरचना बनाई जा रही थी, उसमें एक रिसाव को देखा गया, तथा लिंक ड्रेन-II के लिए आउटफॉल स्ट्रक्चर के साथ रैगुलेटर के निर्माण का कार्य ₹ 67.71 लाख पर सौंपा (मई 2012) गया, जिसे अक्तूबर 2012 तक पूरा किया जाना था। हालांकि अक्तूबर 2013 तक केवल 75 *प्रतिशत* कार्य पूरा किया गया था। जिसमें आगामी दो मानसूनों (2012 तथा 2013) के दौरान चल रही खराबियों को भी अनुमत किया गया था। सिं.बा.नि.वि. ने बताया (जनवरी 2014) कि दि.ज.बो. की वर्तमान वाटर लाईन के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन बाधाओं को कार्य सौंपे जाने तथा आरम्भ करने से पूर्व पता नहीं लगाया गया तथा किया गया भुगतान निष्फल रहा।

(iii) यमुना के किनारे के पास स्टोन फिल्ड वायर क्रेटस को उपलब्ध कराए जाने तथा बिछाए जाने का निर्माण कार्य तीन स्थानों पर होना था (मई 2012 में दो तथा सितम्बर 2012 में एक सौंपा गया) जिसे क्रमश: 23 अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 तक पूरा किया जाना चाहिए था। दिसम्बर 2013 तक पूरा नहीं किया गया था। चूँकि इन स्कीमों को मानसून 2011 के बाद बनाया गया था, उसे 2012 के मानसून समाप्त होने से पहले समाप्त किया जाना था। सिं.बा.नि.वि. ने बताया (मार्च 2014) कि कुछ काम पूरा होना बाकी था जोकि विभाग के नियन्त्रण से बाहर था; हालांकि वह अब पूरा हो चुका था, जबकि जवाब वर्तमान की सही स्थिति बताता है कि वह क्यों चुप्पी साधे हुए था कि कार्य की योजना क्यों नहीं बनाई तथा उसे आगामी मानसून की समाप्ति से पूर्व समाप्त क्यों नहीं किया गया।

(iv) जैसाकि बुराड़ी बांध के पास लिंक ड्रेन II के किनारों की ढलान के ढहने से उसकी बहने की क्षमता कम हो गई थी। आर.डी. 495 मी. से आर.डी. 1130 मी. तक आर.सी.सी. ड्रेन का निर्माण कार्य ₹ 128.08 लाख पर सौंपा गया (मई 2009) था जिसे नवम्बर 2009 तक पूरा किया जाना था। इस कार्य को किये जाने से ड्रेन की बहने की क्षमता 10.00 क्यूसेक से 24.50 क्यूसेक तक बढ़ गई थी, जिससे, संगम विहार बुराड़ी की जल-भराव की समस्या कम हो गई। हालांकि कार्य 30 जून 2011 तक पूरा नहीं किया जा सकता था। ₹ 89.16 लाख के भुगतान के पश्चात 60*प्रतिशत* कार्य पूरा हो गया तथा जुलाई 2011 में कार्य बंद हो गया। शेष कार्य का ठेका 11 जुलाई 2013 तक समाप्त किए जाने की अनुबंधित दिनांक के साथ दिसम्बर 2012 में ₹ 38.88 लाख पर सौंप दिया गया था। हालांकि जुलाई 2013 तक केवल दो *प्रतिशत* कार्य समाप्त किया गया था। विभाग ने तथ्य को स्वीकार (जनवरी 2014) किया कि जगह की खराब दशा कि कारण कार्य बंद कर दिया गया था।

(v) नालियों में जन साधारण द्वारा कूड़ा-करकट फेंकने तथा निर्बाध रुप से सब कुछ बहाए जाने से नालियों को बचाने के लिए, सिं.बा.नि.वि. ने उन नालियों पर चारदिवारी के निर्माण के लिए 11 निर्माण कार्यों की पहल की। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन निर्माण कार्यों को करने में विलम्ब के कारण, उनमें से आठ निर्माण कार्य बंद कर दिये गये। इन निर्माण कार्यों को विलम्ब से किए जाने के कारण तथा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को सम्मिलित करते हुए ब्यौरों को **अनुलग्नक 2.4.8** में दिया गया है।

(vi) किराड़ी सुलेमान नगर की नालियों का पुनःनिर्माण/सुधार का कार्य आर.डी. 3700 मी. से आर.डी. 6090 मी. तक मार्च 2010 में ₹ 742.25 लाख पर सौंपा गया जिसे

मार्च 2012 तक पूरा किया जाना था। अवरोध मुक्त स्थल की गैर-उपलब्धता के कारण नवम्बर 2013 तक केवल 67 *प्रतिशत* कार्य पूरा किया गया था जिसके लिए विभाग ने ₹ 665.17 लाख का भुगतान किया गया था। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

(vii) यद्यपि अक्तूबर 2007 में आर.डी 3700 मी. से आर.डी 2445 मी. किराड़ी सुलेमान नगर ड्रेन के पुर्ननिर्माण के लिए अक्तूबर 2007 में ₹ 458.00 लाख की मंजूरी जारी की गई थी, जैसाकि योग्य ठेकेदारों से बोलियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं आवश्यक मानदण्डों में शिथिलता करने के पश्चात् केवल अक्तूबर 2012 में कार्य सौंपा जा सकता था। कार्य को अक्तूबर 2013 तक समाप्त किया जाना था परन्तु नवम्बर 2013 तक केवल 26 *प्रतिशत* कार्य समाप्त हुआ था जिसके लिए विभाग ने ₹ 170.74 लाख का भुगतान किया था।

सिं.बा.नि.वि. ने बताया (दिसम्बर 2013) कि प्रशासन द्वारा निर्णय लिए जाने में देरी का कारण ठेकेदार का निम्न श्रेणी वर्ग तथा मुख्य रुप से अवरोध युक्त स्थल तथा स्थान की कमी का होना था। जवाब विभाग द्वारा ठेकेदार को बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध कराए जाए की अयोग्यता को दर्शाता है।

(viii) नरेला काम्पलैक्स के अन्तर्गत लगभग 2866 हेक्टेयर भूमि से नाली सं. 6 के पुनःनिर्माण की योजना बनाई गई जिससे बहाव को बढ़ाया जा सके। ₹ 744 लाख की अनुमानित लागत को अक्टूबर 2007 में अनुमोदित किया गया। कार्य को अक्टूबर 2009 तक पूरा किया जाना था। यहाँ तक कि अनुमोदन के छः वर्षों पश्चात, ₹ 625.87 लाख के व्यय के प्रति जून 2013 तक स्कीम की प्रगति प्रत्यक्ष रुप से केवल 55 प्रतिशत हुई। विभाग ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेल के कारण बजट की कमी विलम्ब का कारण थी तथा जिसे दिसम्बर 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। 2.4.7 निकास प्रणाली पर सीवेज का प्रभाव

(क) निकास प्रणाली में गिर रहे सीवेज के प्रभाव का गैर-निर्धारण

यद्यपि ले.नि.वि. जानती थी कि उनके तीव्र प्रवाहित नालों में लगभग 324 किमी. सीवेज बह रहा है, उन्होने तीव्र प्रवाहित नालों में गिराए जा रहे सीवेज की मात्रा के निर्धारण का कोई कार्यान्वयन (सितम्बर 2013 तक) नहीं किया। यहाँ तक कि वह जिन नालियों में सीवेज प्रवाहित हो रहा था। उसके ब्यौरे भी उपलब्ध कराने में असफल रही। इसी प्रकार, दि.न.नि. ने अपने तीव्र प्रवाहित नालों में गिराए जा रहे असंसाधित सीवेज की मात्रा के सर्वेक्षण के विश्लेषण का कोई प्रबन्ध नहीं किया।

अपने जवाब में लो.नि.वि. ने कहा (मार्च 2014) कि, लो.नि.वि. की बहुत बड़ी मात्रा में नालियों में सीवेज जाता है तथा विभाग बार-बार केवल नालियों में गाद हटाए जाने, सफाई तथा अनुरक्षण का कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त रा.रा.क्षे.दि.स., ने पहले से ही आई.आई.टी. दिल्ली को गाद प्रवाहित नालियों पर जाँच के लिए कार्य पर लगा रखा था। जवाब स्वीकार्यन नहीं है क्योंकि आई.आई.टी के आबन्ध होने से, लो.नि.वि. बारम्बार गाद हटाए जाने की जरूरत पर विचार किए जाने के लिए अपने आवश्यक डाटाबेस के अनुरक्षण की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती थी।

(ख) उपयुक्त सीवरेज प्रबन्धन तथा उसके अनुवीक्षण का अभाव

दि.ज.बो. द्वारा सीवरेज के अनुरक्षण में कमी को लेखा परीक्षा मे देखा गया, जैसा कि नीचे ब्यौरे दिए गए हैं, जिनके कारण निकास प्रणाली में सीवेज गिराया जा रहा था:

(i) दि.ज.बो. द्वारा 2012-13 के दौरान सीवेज नेटवर्क की कार्यशैली को संचालित किया गया था, कि जांच का मूल्यांकन नहीं किया गया। यहाँ तक कि चयनित डिविजनों में सीवेज नेटवर्क के नक्शे तथा ब्लू प्रिंट उपलब्ध नहीं थे।

(ii) दि.ज.बो. के केन्द्रीय-I तथा उत्तरी-I के अधीन कुछ क्षेत्रों[26] के सीवर तथा तीव्र प्रवाहित नाले आपस में जुड़े हुए थे। जैसाकि सीवर्स केवल सीवेज के तात्पर्य से बनाए गये थे, वे वर्षा के दौरान पानी के तेज धार को समायोजित करने में असफल, जोकि करीब के निम्न स्तर क्षेत्रों में जा कर एकत्रित हो गए तथा जल-भराव का कारण बने।

2.4.8 नगरपालिका के ठोस एवं निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट के लिए पर्याप्त डम्पिंग स्थलों की अनुपलब्धता

दिल्ली में प्रतिदिन 5000 टन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (नि.एवं.वि.) जनित होता है, जबकि इस के पास बुराड़ी में 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला केवल एक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट संसाधन संयंत्र है। मौजूदा कचरा भराई स्थलों में से अधिकांश अपनी क्षमता से अधिक समय तक टिके हैं, अपशिष्ट का सड़कों के किनारे खुले स्थान और यमुना के किनारे डम्पिंग आम बात है। इसके परिणामस्वरूप प्रवेशिकाएं अवरूद्ध अथवा नालियां बन्द हो जाती हैं। कुछ मामलों पर आगे के अनुच्छेदों में विचार विमर्श किया गयाहै।

(क) एन.डी.एम.सी. के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, मलबा, गाद इत्यादि का निपटान गाजीपुर डम्पिंग स्थल पर किया जाना था। हालांकि, एस डब्ल्यू डी के सड़क डिविजनों के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि एन.डी.एम.सी. ने 16 से 20 किमी की दूरी हेतु निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट/मलबा के 6578.54 क्यूबिक मीटर के निराकरण के लिए 17 मामलों में ₹ 11.25 लाख का भुगतान बिना यह सुनिश्चित किए ही कर दिया था कि अपशिष्ट का निपटान वास्तव में केवल प्राधिकृत कचरा-भराई स्थल पर ही किया गया था।

इसके जवाब में, एन.डी.एम.सी. ने कहा (जनवरी 2014) कि वास्तविकता यह थी कि ठेकेदारों ने इसके क्षेत्र में मलबा डम्प नहीं किया था। अन्य प्राधिकृत डम्पिंग क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसने ठेकेदारों को कार्यों में सुविचारित दूरी के अनुसार भुगतान किया था। इनका जबाव संदर्भ से परे है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एनडीएमसी की केवल प्राधिकृत स्थल पर मलबा के निपटान को सुनिश्चित करने की विफलता पर था।

इसी तरह सि.बा.नि.वि. तथा लो.नि.वि. में भी कोई एकरूप तथा प्रमाणित तंत्र यह सुनिश्चित करने हेतु नहीं था कि केवल प्राधिकृत स्थान पर निकाले गए कीचड़ तथा मलबे का निपटान हो गया है। लो.नि.वि. ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में 2012 के दौरान निपटान प्रणाली के गैर-मानकीकरण को स्वीकार किया। आगे यह कहा कि दि.न.नि. पर्याप्त डम्पिंग स्थल उपलब्ध नहीं करा रहा था तथा 2013 में जब निर्धारित निविदाओं की केवल प्राधिकृत स्थलों पर डम्पिंग की गई, बोलियां नहीं आ रही थी। विभाग ने तथापि सभी ई.ई को दि.न.नि. के डम्पिंग भू-स्थलों पर गादी हटाने के लिए सामान के निपटान के मानक व्यवहार का अनुपालन करने के अनुदेश दिए। सि.एवं बा.नि.वि. ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि पहले गाद वाला मलबा नीचे बने क्षेत्रों में इकट्ठा किया जा रहा था और चालू वर्ष से गाद वाले मलबे को प्राधिकृत दि.न.नि. स्थल में इक्ट्ठे करने का प्रस्ताव किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि नीचे

[26] कश्मीरी गेट और मजनू का टीला, जामा मस्जिद और चाँदनी चौक, मिन्टो रोड और तुर्कमान गेट, कूंचा पंडित और बाजार सीताराम, ईदगाह और बल्लीमारन, नवी करीम और कसाब पूरा और मल्का गंज

बने क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मात्रा को केवल एक डिविजन (सीडी-IV) द्वारा दावित किया गया तथा इसके अतिरिक्त मात्राएं बहुत कम जैसे लगभग 10*प्रतिशत* है।

(ख) एन.आई.टी. शर्तें तथा भा.स. की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुसार सीवर लाइन की गाद का दि.न.नि. के सैनेटरी लैंटफिल क्षेत्र अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत किसी क्षेत्र/स्थान में निपटान किया जाना चाहिए। दि.ज.बो. की सात[27] डिविजनों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2010-13 के दौरान 103 गाद हटाने वाले कार्यों में 24389.18 क्यू.मी. गाद के निपटान को प्रलेखित किया गया था। जैसाकि प्राधिकृत लैंडफिल स्थान में गाद के निरापद निपटान को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

डम्पिंग स्थल में पर्याप्त स्थान की गैर-उपलब्धता के मामले को समापन सम्मलेन में चयनित एजेन्सियों द्वारा अपशिष्ट सामान की अप्राधिकृत डंपिग के लिए एक मुख्य कारण अभिस्वीकार किया गया। आगे यह कहा गया कि दि.वि.प्रा. नये डम्पिंग स्थालों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रहा था।

2.4.9 एजेन्सियों की बहुलता तथा समन्वय का अभाव

बाढ़ एवं अपवहन-तंत्र संकुलन की परिवार्षिक समस्याओं का स्वीकार्य समाधान केवल तभी संभव है जब सभी संबंध एजेंसियों का प्रयास इन समस्याओं का समकालिक दृष्टि से सामना करने के लिए समन्वित हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव था, जैसा कि आगे के अनुच्छेदों में बताया गया है।

(i) आई आई टी, दिल्ली ने सुझाव दिया कि इसके अध्ययन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा नामांकित/मनोनीत दो सदस्यों को शामिल करना चाहिए। प्रधान सचिव, आई एफ सीडी के अधीन बुलाई गई बैठक (अगस्त 2012) में यह निर्णय लिया गया था कि इस उद्देश्य हेतु संबंधित विभाग 2-3 स्नातक अभियंताओं को नामांकित कर सकते हैं। तथापि एस डी एम सी सी तथा एन डी एम सी ने दिसम्बर 2013 तक अधिकारियों को नामांकित किया था।

(ii) वर्षा के दौरान ई.डी.एम.सी. क्षेत्र से प्रवाहित होकर सिं. एवं. बा. नि. वि तथा लो.नि.वि. नालियों को जोड़ने के असमर्थता के मामले पर ई डी एम सी ने कहा कि इस मुद्दे पर भिन्न-2 एजेंसियों के द्वारा मानसून आने से पूर्व एवं मानसून के दौरान समुचित कदम उठाने हेतु विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण यह है कि केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय लोक निर्माण विभाग अथवा आई एफ सी डी की नालियों की वहन क्षमता स्थायी रुप से बढ़ाने हेतु समान्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) लोक निर्माण विभाग को अप्रैल 2012 में सड़कों को हस्तान्तरित करने से पहले, दिल्ली नगर निगम अपने एवं लो.नि.वि. के स्वामित्व वाले सभी तीव्र बहाव वाली नालियों से गाद हटाने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि दिल्ली नगर निगम के द्वारा 2010 एवं 2011 के दौरान इसके सड़क के किनारे स्थित नालियों से हटाए गए गाद की स्थिति पर रिपोर्ट न तो लो.नि.वि. के मुख्यालय और न ही क्षेत्रीय संभागों

[27] पूर्व-II, पश्चिम-III, केन्द्रीय-I, पूर्व-II, उत्तर-I, उत्तर-पश्चिम-II, दक्षिण-VI

के पास थी लो.नि.वि. ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में संतोष प्रकट किया कि दि.न.नि. ने इसे लगातार समन्वित किया और इसका अनुपालन किया परंतु यह निष्फल था। सड़कों के मालिक होने के कारण लो.नि.वि. द्वारा गाद हटाने के कार्य की अंतिम स्थिति नियत करने को मॉनीटर किया जाना चाहिए।

(iv) वर्ष 2012-13 के दौरान, दिल्ली जल बोर्ड ने लेखापरीक्षा के द्वारा चयनित आठ में से सात डिविजनों में पाया कि इसकी ट्रंक सीवर लाइनें 272 स्थानों पर अवैध रुप से छिद्रित थीं, जहाँ दि.न.नि. तथा लो.नि.वि. की तीव्र बहाव वाली नालियाँ सीवर लाइन से जुड़ी थीं जिससे संकेत होता है कि दि.न.नि. तथा लो.नि.वि. की तीव्र बहाव वाली नालियों के नेटवर्क में उचित निकासी बिन्दु नहीं थे।

2.4.10 आन्तरिक नियंत्रण ढाँचा तथा मॉनीटरिंग तंत्र

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रबंधन उपकरण है जिसको यह आश्वासन देने के लिए उपयोग किया गया कि उद्देश्य योजना के अनुसार प्राप्त किए जा रहे थे। पूर्व पैराग्राफों में इंगित आंतरिक नियंत्रणों में पाई गई कमियों के अतिरिक्त पाई गई अन्य कमियों को निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लिखित किया गया है।

2.4.10.1 निकास प्रणाली की निगरानी में विद्यमान तंत्र की विफलता

सि.एवं बा.नि.वि., दि.वि.प्रा., लो.नि.व. एन डी एम सी एवं डी.जे.बी के सदस्यों के साथ इंजीनियर-इन-चार्ज के अधीन मई 1995 में एक 'आपरेशन मिशन' का गठन तीव्र बहाव वाली नालियों एवं सीवरों में से गाद हटाए जाने, मॉनीटर करने, आपवहन-तंत्र संकुलन की समस्या का सामना करने तथा तीव्र बहाव वाली नालियों से सीवरों को अलग करने हेतु किया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार को अल्पावधि उपायों को कार्यन्वित करने के लिए तथा नए सिरे से संकलित सूचना के आधार पर मानकों को तैयार करने हेतु फिर से बैठक बुलानी पड़ी थी। इससे नियंत्रण आदेशों एवं अन्य निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु निगरानी एवं आन्तरिक नियंत्रण क्रियाविधि की अदक्षता प्रतिविम्बित होती है। इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था।

2.4.10.2 रिपोर्टिंग तंत्र में विसंगतियाँ

(क) लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 5 अगस्त 2013 को यद्यपि डिविजन एम-413 ने छ: स्थानों में अर्थात निजामुद्दीन ब्रिज टी-प्वाइंट, आई जी स्टेडियम के पास आई पी फ्लाईओवर, गांधी दर्शन के पास, लोठियन ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज और भैरो रोड प्लाजा में जल भराव की सूचना दी, सूचना लो.नि.वि. के मुख्य सचिव और लो. नि.वि. के सचिव को प्रेषित की गई, जो इन प्रतिवेदनों में बताए किसी जल भराव को नहीं दर्शाती, अत: अविश्वसनीय है। लो.नि.वि. ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2014) कि दलीय इकाईयों को केवल उन स्थानों के लिए वर्षा के दिनों पर रिपोर्ट देने के अनुदेश दिए गए जहाँ जल भराव वर्षा के बाद निकासी की सामान्य समय सीमा के पश्चात् भी बना रहता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल भराव हो गया था जबकि इसे निरंतर निकाला गया था। उत्तर में स्टोर्म वाटर निकासी पर सेवा स्तर बैंचमार्क की हैंडबुक में दिए सुझावो को भी ध्यान में कम लाया गया जिसमें व्यवस्था है कि आंकड़े, उपाय की विश्वसनीयता के लिए बाढ़ के समय, तिथि, स्थान तथा सीमा तक लिए जाने चाहिए।

(**ख**) नमूना जाँच प्रतिवेदनों में यह पाया गया कि ट्रैफिक पुलिस **(अनुलग्नक 2.4.9)** द्वारा बताए गए जल भराव के कुछ उदाहरणों को उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करते हुए लो.नि.वि. के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था।

(ग) जैसा कि आपरेशन मिशन के अन्तर्गत अपेक्षित था, सि.एवं बा.नि.वि (सिवाय 2013 के दौरान) और लो.नि.वि. ने शहरी विकास विभाग को उस कार्य जो लक्षित था कि 2010-13 के लिए गाद हटा ली गई थी और उसका निपटान कर दिया गया था के अपेक्षित प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया था।

(घ) नालियों में से गाद हटाए जाने, जलावरोधन एवं बाढ़ के रिपोर्टों एवं विवरणों को उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किए जाने पर, जैसा कि प्रभागों के द्वारा अधीक्षण अभियंता को, अधीक्षण अभियंता के द्वारा इंजीनीयर-इन-चीफ इत्यादि को सौंपा गया था, ई डी एम सी ने कहा (दिसम्बर 2013) कि गाद हटाए जाने की रिपोर्ट टेलीफोन अथवा मेल के माध्यम से संग्रहीत की जाती थी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के भिन्न-2 स्तरों पर आयोजित विभिन्न बैठकों में उनकी समीक्षा की जाती थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवधिक रिपोर्टिंग की उचित प्रणाली को वरियता में प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकित किये जाने की आवश्यकता है ताकि गतिविधियों की उचित मॉनीटरिंग को सुनिश्चित किया जा सके।

(ड) उसी प्रकार, दिल्ली जल बोर्ड के मामले में, प्रभागों के द्वारा उच्चतर अधिकारियों को सीवेज रख-रखाव के समर्थन में कोई आवधिक विवरण नहीं सौपा गया था।

2.4.10.3 अपर्याप्त समीक्षा बैठकें एवं निरीक्षण

लोक निर्माण विभाग के मानसून आदेश में उपबंध है कि मानसून से संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु व्यवस्था बनाने के लिए इंजीनियर-इन-चीफ एवं प्रधान सचिव तक के स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों एवं निरीक्षणों का आयोजन किया जाना चाहिए। यद्यपि निवेदन किया गया था, फिर भी लोक निर्माण विभाग ने की गई बैंठको में किए गए निरीक्षणों के विवरण तथा जारी आदेश, ऐसी बैठकों/निरीक्षणों के परिणाम उपलब्ध नहीं कराए। इसके अतिरिक्त मानकों के अनुसार डिविजन स्तर पर निरीक्षण भी नहीं किए गए थे। इसी प्रकार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तथा प्रभावी मॉनीटरिंग के बारे में आश्वासन लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

लो.नि.वि. ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में कहा कि 20 जुलाई 2013 को जल भराव की सूचना 152 मे से 34 स्थानों पर दी गई जिसमें यह संकेत था कि इसकी प्रणाली प्रभावी थी। आगे यह कहा गया कि निरीक्षण नियमित ढंग से किए गए थे। उत्तर इस प्रसंग से परे था क्योंकि यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नहीं बताता। इसके अतिरिक्त विभाग इस विचार के समर्थन में निरीक्षण प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विफल रहा।

2.4.11 जन शिकायत सुधारक प्रणाली

मुख्य सचिव द्वारा 17 जून 2013 को बुलाई गए बैठक में यह निर्णीत किया गया कि सभी एजेनसियाँ शीघ्रता से प्रेस विज्ञापन/सूचनाएँ दे तथा अपनी वेब-साइट की सुधारक प्रणाली पर सूचना अपलोड़ करें, तथा पदस्थ कर्मचारियों के नाम व फोन नम्बर भी दें। जबकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि लो.नि.वि. ने कोई विज्ञापन देकर अपनी शिकायत सुधारक प्रणाली के बारे मे सामान्य सभा को सूचित नहीं किया। लो. नि.वि. ने बताया (मार्च 2014) की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य की अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया।

दि.न.नि. के नियंत्रण कक्ष में, निकासी समस्याओं से सम्बन्धित शिकायतों के लिए पृथक पंजिका नहीं रखी गई थी। सभी विवध शिकायतो जैसे कुत्तों का खतरा,

सड़कों पर कूड़ा करकट, मृत जानवर इत्यादि को एक पंजिका में दर्ज कर रखा गया था। न तो शिकायतों को डिवीजन-वार श्रेणीगत किया गया था न ही यह जानने के लिए विश्लेषित किया गया था कि कही उन्ही क्षेत्रों ये शिकायते बार-2 तो नही हो रही। यहां तक कि शिकायतों से संबंधित सार प्रतिवेदनों को उच्च प्राधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा था।

दि.ज.बो. में जबकि शिकायत पंजिकाएं रखी गई थी, उनके सुधार के लिए सुधारक कार्रवाई के पूरे ब्यौरो को दर्ज नही किया गया था। पंजिका में शिकायतों की प्रविष्टि प्रति केवल 'शिकायत पर कार्रवाई हो चुकी थी' दर्शाया गया था।

नियंत्रण कक्ष ने केवल शिकायतों के दर्ज करने तथा उनके सुधार का कार्य किया था। यहाँ बाढ़ आने तथा जल भराव की शिकायतों को विश्लेषित करने की कोई विद्यमान विशेष प्रणाली नहीं थी जिससे संभाव्य संवेदनशील बिन्दुओं को पहचाना जाए तथा आवश्यक निवारक उपाय किए जाए।

2.4.12 निष्कर्ष

निकास प्रणाली के रखरखाव तथा अद्यतन के लिये पृथक से निधियां चिन्हित नही की गयी थी। ड्रेनेज-1981 का मास्टर प्लान का अद्यतन नहीं किया जा सका था क्योंकि सरकार परामर्शदाता को वांछित डाटा देने में असफल रही थी। ड्रेनेज नेटवर्क को लगातार जारी रखने का यह परिणाम हुआ कि यह वर्तमान मांगो को पूरा किए जाने में अपर्याप्त तथा असक्षम रहा। इसी प्रकार, दिल्ली के पास सीवरेज से संबंधित कोई मास्टर प्लान नही था जिसके कारण अनाधिकृत कालोनियो को सम्मलित करते हुये 46 *प्रतिशत* जनसंख्या सीवरेज के नेटवर्क से वंचित रही जिसके परिणामस्वरूप स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्षेत्र में सम्मलित होने वाले सीवेज के कारण नालियों में अवरोधन उत्पन्न हो गया। अनाधिकृत कालोनियों की नालियों में उचित निकासी बिंदु नहीं थे तथा संबंधित एजेंसियों ने इन कालोनियों पर स्टॉर्म वाटर निकासी नेटवर्क के प्रभाव के निर्धारण के लिये कोई प्रयास नही किये। आई.एफ.सी.डी. ने मानसून से पहले अपने आप को तैयार करने के लिये प्रत्येक वर्ष यमुना नदी का टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण नही कराया। निरीक्षण के आधार पर उठाये गये बाढ़ नियंत्रण के उपाय अपर्याप्त थे। निकासी में अवरोधन तथा जल भराव की समस्या से निपटने के लिए एजेंसियां पूरी तरह तैयार नहीं थी। विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिये पर्याप्त क्रियाविधि नही विकसित की गयी, जोकि जल भराव तथा निकासी में अवरोधन के मामले में हल करने में कमियों को दर्शाता है। आश्वासन के बाद भी जल भराव की समस्या बार-बार देखी गयी। इसको रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई। डिसिल्टिंग तथा डि-सिल्ट सामग्री के निपटान के संदर्भ में नालियों के रखरखाव में कमियां पायी गयी। शहर के सीवरेज प्रणाली के रखरखाव में कमियां पायी गयी। विभिन्न विभागो/एजेंसियों के मध्य समन्वय की कमी तथा कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा मानिटरिंग प्रणाली ने समस्या को अधिक बढ़ा दिया, जिसके कारण वर्ष दर वर्ष नालो में अवरोधन तथा जल भराव की समस्या होती रही।

2.4.13 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिए:

- शहरी स्थानीय निकायों के लिये 13 वें वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के सन्दर्भ में प्रत्येक वर्ष ड्रेनेज तथा सीवरेज सेवायें के लिये सेवाओं के मानदण्ड के न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने के लिये बेंचमार्क निर्धारित करना चाहिए। सेवाओं के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए अलग से निधि भी होनी चाहिए;

- निकासी के मास्टर प्लान को दिल्ली विकास प्राधिकरण के दिल्ली 2021 और दिल्ली सीवेज पुनर्स्थापना के लिये मास्टर प्लान के साथ अद्यतन किया जाना चाहिये।
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा बाढ़ नियंत्रण तथा ड्रेनेज/चैनल सुधार कार्य से संबंधित क्रियाकलाप की योजना बनाने हेतु नियमित आधार पर आवश्यक सर्वेक्षण करवाने चाहिये;
- मानसून के दौरान नालियों में अनुकूलतम वहन क्षमता को सुनिश्चित करने के लिये डी-सिल्टिड की मानिटंरिग को मजबूत करे तथा सी एण्ड डी वेस्ट, मलबा तथा सिल्ट इत्यादि की डंपिंग के लिये पर्याप्त स्थान का प्रावधान हो। संबंधित एजेंसियो को नालियो की सफाई तथा डि-सिल्टिंग की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिये आर.डब्ल्यू.ए. को भी सम्मलित करना चाहिये;
- विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य समन्वय को दिल्ली में निकास प्रणाली के सीवनहीन एकीकरण के लिये सुधार करना चाहिये।

लेखापरीक्षा उपलब्धियों को जनवरी 2014 में सरकार को प्रेषित कर दिया गया था। लो.नि.वि. तथा आई एफ सी डी के उत्तर मार्च 2014 में प्राप्त हुये तथा दि.न.नि.,न.दि. न.नि. तथा दि.ज.बो. के उत्तर फरवरी 2014 तक प्रतीक्षित है।

2.5 रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. एवं ले. क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण की सूचना तकनीकी लेखापरीक्षा तथा विनियोग एवं वित्त लेखों को तैयार करना

सूचना प्रोद्योगिकी लेखापरीक्षा वे. व ले. कार्यालयों के सार कार्यों तथा विनियोग एवं वित्त लेखों की तैयारी के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा संगठन में कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण हेतु किया गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

मुख्य बातें

- *काम्पैक्ट पीएओ 2000 रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा कार्यों के लिए औचित्य अध्ययन के बिना अपनाया गया तथा एक पूराना सिस्टम जहां लेखांकन के महत्वपूर्ण कार्य मैनुअली किये जा रहे है जारी था ।*

 (पैराग्राफ 2.5.7.1)

- *कान्टेक्ट सॉफ्टवेयर में बजट तथा व्यय नियंत्रण के लिए कोई सुविधा नहीं थी कान्टेक्ट ऑकड़ों से विनियोग तथा वित्त लेखों को तैयार करने की प्रक्रिया मैनुअल थी और वहां मुख्य वित्तीय सूचना के वास्तविक समय आधार पर किए गए एकत्रण, प्रस्तुतिकरण तथा उपयोग के लिए शेयरधारियों के बीच कोई सामान्य अंतरापृष्ठ नहीं था जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब था ।*

 (पैराग्राफ 2.5.7.1)

- *यूजर मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल व सिस्टम मैनुअल की अनुपस्थिति तथा प्रशिक्षित स्टॉफ की सामान्य कमी, काम्पेक्ट का श्रेष्ठतम उपयोग नहीं किया जा सका। वे.व.ले. कार्यालय अपने मैनुअल अभिलेखों अथवा एम.आई.एस. उद्देश्यों के लिए एमएस एक्सल पर उपलब्ध आंकड़ों के समेकन पर अधिक निर्भर रहे।*

 (पैराग्राफ 2.5.7.3 व 2.5.7.4)

- *विभाग में डाटा बैक–अप लेने की आवृति, इसके संग्रहण की अवस्थिति तथा पुनरूद्धार दर्शाने वाला कोई डिसास्टर रिकवरी प्लान नहीं था।*

 (पैराग्राफ 2.5.7.7)

- *आंकड़ों के विश्लेषण से आंकड़ों की असंगति के मामलों दिखे जोकि आंकड़ों की विश्वसनीयता का विस्तार दर्शाता था।*

 (पैराग्राफ 2.5.8.1)

2.5.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रधान लेखा कार्यालय (प्र.ले.का.) प्रत्येक वर्ष रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे तैयार करता हैं। वह लोक लेखों तथा सेवानिवृत्त व पेंशन के लाभों से संबंधित केन्द्रीय लेनदेनों की विवरणी तैयार करता है जोकि भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक (सी.जी.ए.), वित्त मंत्रालय (वि.मं.) को केन्द्रीय लेखों में शामिल किए जाने हेतु भेजे जाते हैं।

1980 के बाद में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) ने डीबेस में कांटेक्ट सॉफ्टवेयर सी.जी.ए. कार्यालय वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श में विकसित किया और यह प्र.ले.का. के उपयोग के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के लेखा संगठन में प्रस्तुत किया गया। एन.आई.सी. ने नि.म.ले., वित्त मंत्रालय की सलाह के साथ विजुअल बेसिक 6.0 के अगले हिस्से और एस.क्यू.एल. सर्वर 7.0 के पिछले हिस्से के साथ विंडो एन.टी.वर्जन-4 एनवायरमेन्ट में काम्पेक्ट (विस्तृत वेतन एवं लेखा) पी.ए.ओ 2000 विकसित किया और वर्ष 2002-03 में रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. व ले.का. के सभी मुख्य लेखा कार्यो जैसे पूर्वजांच, लेखों का संकलन, जी.पी.एफ., बजट तथा पेन्शन को कंप्यूट्रीकृत किया गया। काम्पेक्ट के अभिष्ट उद्देश्य रिपोर्ट और पूछताछ की क्षमता को बढाना, अधिक प्रबन्धन सूचना, लेखों के संकलन को कम समय में करना, कान्टेक्ट के लिए सक्षम फार्म में विभिन्न रिपोर्टों और विवरणियों को सृजित करना, वे. व ले.का. के विभिन्न अनुभागों को एकीकृत करना, ऐतिहासिक डाटा रखना इत्यादि।

2.5.2 संगठनात्मक ढांचा

दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेखा संगठन मुख्य सचिव, (रा.रा.क्षे.दि.स.) के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है जिसके सहायक प्रधान सचिव (वित्त), सचिव (वित्त), लेखा नियंत्रण, उप लेखा नियंत्रक तथा 25 वेतन एवं लेखा अधिकारी होते हैं।

प्र.ले.का. 1650 आहरण एवं वितरण अधिकारियों (आ.व स.अ.) को कवर करते हुए 23 वे.व.ले.का. से मासिक लेखे प्राप्त करता हैं। इसके अतिरिक्त 37 आ.व स.का. को कवर करते हुए दो वे. व ले.का. (IV व XVI) दिल्ली पुलिस के लेखों का कार्य करते हैं तथा भा.स. के गृह मंत्रालय के प्र.ले.का. को ई-लेखा पर ऑनलाइन अथवा केन्द्रीय सरकारी लेखों में उनके सम्मिलिन द्वारा सीधे तौर से मासिक लेखे प्रस्तुत करते हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. की वर्तमान प्रणाली के अनुसार एक वे. व ले.का. बहु-संख्यक विभागों के कार्य करता हैं और विभिन्न वे. व ले.का. एक विभाग की देख-रेख करते हैं। तथापि इन 25 वे. व ले.का. के बीच प्रचालन हेतु कोई अंतर-संपर्क नहीं है और प्रत्येक वे. व ले.का. के कार्य इसको सौंपे गए आ.व स.का. के लिए पृथक हैं।

2.5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सू.प्रौ. लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था क्या

- सू.प्रौ. प्रक्रियाओं का आरम्भ तथा मानवीय प्रक्रियाओं का समाप्ति का सामांजस्य ठीक तथा उचित है, और
- सिस्टम के प्रचालन से उत्पन्न आंकडे विश्वसनीय है।

2.5.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र व कार्यप्रणाली

सू.प्रौ. लेखापरीक्षा में पुनरीक्षण सम्मिलित हैः

- 2002-03 से आरंभ कम्प्यूटरीकरण का लागू होना,

- वर्ष 2012-13 में बनाए गए मैनुअल अभिलेखों के साथ काम्पेक्ट किए और 2000 सॉफ्टवेयर में रा.रा.क्षे.दि.स. के छः[28] चयनित वे. एवं ले.का. द्वारा लेखा कार्य किया जाना,
- वर्ष 2012-13 में प्र.ले.का. में कांटेक्ट साफ्टवेयर में ऑकड़ों की अपलोडिंग व प्रक्रिया तथा इसे आगे भा.स. के सी.जी.ए, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु भारत सरकार के लोक लेखों व समेकित निधि से संबंधित लेनदेनों का पृथक्करण,
- वर्ष 2012-13 के प्रधान लेखा कार्यालय में रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम आऊटपुट अर्थात विनियोग लेखे व वित्त लेखे।

एक प्रारूप प्रतिवेदन नवम्बर 2013 में प्रधान सचिव (वित्त) को प्रतिवेदन पर सरकार के विचार प्राप्त करने हेतु जारी किया गया। प्र.ले.का. तथा वे. व ले.का. के जवाब सम्बन्धित पैराग्राफ में सम्मिलित किए जा चुके है।

2.5.5 लेखापरीक्षा कसौटी

लेखापरीक्षा कसौटी को निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया थाः

- सिविल लेखा मैनुअल, प्राप्ति एवं भुगतान नियम तथा सामान्य वित्त नियमों के प्रावधान,
- मैनुअल, कार्यक्रम पद्धतियां अथवा नीतियां तथा सू.प्रौ. सिस्टम की प्रक्रियाओं की प्रस्तावना और कार्यान्वयन, और
- सामान्यतः एक सू.प्रौ. सिस्टम की उत्तम पद्धतियों को स्वीकार करना जैसे कोबिट।

2.5.6 कार्य गति चार्ट

वे. एवं ले. का. में बिलों की प्रक्रिया तथा उनके लेखांकन के लिए कार्य गति चार्ट और विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे तैयार करना **अनुलग्नक-2.5.1 व अनुलग्नक-2.5.2** में दर्शाया गया है।

[28] वे.व.ले.का –IV,VI,IX,XV,XXI,XIII (आ.व स.का. की संख्या पर आधारित आ.व स.का. की अधिकतम संख्या के दो वे.व.ले.का. अर्थात वे.व.ले.का.Ix तथा वे.व.ले.का. XXIII, आ.व स.का. की मध्यम संख्या का एक वे.व.ले.का.xv, आ.व स.का. की न्यूनतम संख्या का एक वे.व.ले.का.vi दिल्ली पुलिस के साथ कार्य करने वाला एक वे.व.ले.का. तथा लेखों को सीधे वित्त मंत्रालय के लेखा नियंत्रक अर्थात वे.व.ले.का.IV को प्रस्तुत करना और एक वे.व.ले.का. को प्राप्तियॉ अर्थात वे.व.ले.का. XXI के साथ कार्य करता है)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.5.7 सामान्य सू.प्रौ. नियंत्रणों की कमी

2.5.7.1 व्यापार नियमों व आवश्यकताओं के साथ सामाधान का सामंजस्य

(अ) काम्पैक्ट

काम्पैक्ट रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. एवं ले. का. मुख्य लेखाकंन कार्य को कम्प्यूट्राईज करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जैसेकि पूर्व-जांच, लेखों का संकलन, जी.पी.एफ., बजट तथा पेन्शन कम्प्यूट्राईजेशन प्रक्रिया की संवीक्षा में कमियॉ पाई जिसकी आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(क) वे. एवं ले. का. के कार्य पैरामीटरों के अनुरूप काम्पैक्ट को न अपनानाः काम्पैक्ट पीएओ 2000 सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा केवल केन्द्र सरकार के वे.व.ले.का. की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था। यह रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. व ले.का. के लिए 2002-03 में अपनाया गया था, यघपि वहां रा.रा.क्षे.दि.स. के विशेष लेखाकंन कार्य जैसे लोक लेखों से संबंधित लेनदेन तथा सेवानिवृत्ति, पेंशनरी लाभों तथा लेखाकंन कार्य का आबंटन) थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने काम्पैक्ट को अपनाने से पहले औचित्य अध्ययन नहीं किया और इन विशिष्ठ कार्यो को काम्पैक्ट में नही जोडा, जिससे कि पूरे लेखा कार्य केवल काम्पैक्ट में किए जाते है।

इसके लागू होने के 10 वर्ष पश्चात भी, काम्पैक्ट में पृथक केन्द्र तथा राज्य प्राप्तियों व व्यय प्रतिवेदनों के लिए आवश्यक तरीकें/समाधान उपलबध नहीं थे। ई-लेखा पर पीएओस काम्पेक्ट आंकड़ों के समेकन हेतु प्र.ले.का. के प्रयासों को भी लेखों के पृथ्क्कीकरण न होने के कारण मूर्त रूप नहीं दिया गया।

लेखा नियंत्रक ने स्वीकार किया (जनवरी 2014) कि रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. व ले.का. में काम्पैक्ट को बिना उचित औचित्य अध्ययन के संचालित किए लागू किया गया। काम्पैक्ट तथा ई-लेखा के द्वारा लेखों को तैयार करना तथा संकलित करना उनकी लेखों को संचित निधि और लोक लेखों में बॉटने में अयोग्य होने के कारण नही हो सका।

(ख) एकमात्र सिस्टमः काम्पेक्ट सॉफ्टवेयर 25 वे. एवं ले.का. में एकमात्र सर्वरस पर चलाया जा रहा था। वहां प्रचालनों के लिए इन 25 वे. एवं ले.का. के बीच कोई संबंध नहीं था। इन वे. एवं ले.का. द्वारा बनाए गए प्रतिवेदन वसूल की गई प्राप्तियों और उनके आ.व स.का. द्वारा एक विशेष शीर्ष के अंतर्गत किए गए व्यय पर केवल सूचना उपलब्ध करा सका और वह भी मासिक आधार पर जब उस माह के लेखे संकलित किए गए। वे. व ले.का. अथवा प्रधान ले.प.का. केवल आ.व स.का. वार प्राप्तियों तथा व्यय की सूचना उपलब्ध करा सकते थे। वहां पर विभाग के प्रगामी व्यय अथवा प्राप्तियों पर कोई प्रतिवेदन बनाने के लिए कोई तंत्र नहीं था। व्यय की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु विशेष लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रगामी व्यय अथवा प्राप्तियों पर कोई वास्तविक समय सूचना भी उपलब्ध नहीं थी।

उपर्युक्त सीमाओं के अतिरिक्त विद्यमान एकमात्र सिस्टमों ने कुछ ऐसे व्यवहारों को भी बढ़वा दिया जो सिस्टम के समापन के लिए स्पष्ट थे। ऐसे व्यवहारों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि स.ले.प.अ. तथा वे. एवं ले.अ. बिलों की मैनुअली छँटनी कर रहे थे और बिलों के ऊपर ही अपनी टिप्पणी देते थे। फिर भी काम्पेक्ट के पूर्व जांच मॉडयूल में बिलों के पास करने को डीलिंग हैंड/सहायक प्रोग्रार्मस के ऊपर छोड़ दिया गया जिसने स.ले.प.अ. तथा वे.व ले.अ. के पासवर्ड का उपयोग करते हुए इन बिलों को बहुतायत (बल्क) में पास किया। यह देखा गया कि काम्पेक्ट के पूर्व-जांच मॉडयूल में पास हुए 3074 बिल **(अनुलग्नक-2.5.3)** डीलिंग हैंड, स.ले.प. अ. तथा वे.व ले.अ. के तीन स्तरों के जरिए पाँच मिनट की अल्पावधि के भीतर पास किए गए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ऐसे मामलें दर्शाता है जहां बिलों पर स.ले.प.अ. अथवा वे. व ले.अ. द्वारा मैनुअली टिप्पणी की गई जबकि वे काम्पेक्ट के पूर्व जांच मॉडयूल से पास किए गए थे। सिस्टम में ऐसे बिलों पर चैक संख्याएं निर्धारित करते समय ही त्रुटियां ध्यान में आई। सिस्टम के अनुसार काम्पेक्ट से एक बार बिल पास हो जाने पर उस पर चैक संख्या डाली जाती है तथापि गलत ढंग से पास हुए बिलों पर चैक संख्याएं नहीं दी गई। इस समस्या को हल करने के लिए इन बिलों को नकली चैक संख्या दी गई तथा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर द्वारा प्रति निकाली गई इसके पश्चात नकली चैक संख्याओं के निरस्तीकरण की प्रविष्टयों को काम्पेक्ट में पास किया गया तथा बजट रखा गया। जब सही बिल अगले समय पर आया, इसे आगे संख्या डालकर कुछ सुधार के साथ सिस्टम में प्रविष्ट किया गया तथा अगले समय में पास किया।

2012-13 के काम्पेक्ट डॉटा की जांच दर्शाता है कि 31 मार्च 2013 को बकाया चैकों की सूची में ₹ 5.20 करोड़ वाले 228[29] डम्मी चैक नम्बर थे। **(अनुलग्नक-2.5.4)** जिसका अर्थ डम्मी नम्बर निस्तारित नहीं हुए थे, एक कमजोर बजटीय नियन्त्रण दर्शाता है।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी डम्मी चैकों को निरस्त कर दिया गया था तथा व्यय वापस प्राप्त हो गए थे। जवाब तथ्यपरक असत्य है जैसाकि वहां 228 निर्दिष्ट मामले थे जहां डम्मी चैक 31 मार्च 2013 तक निरस्त नहीं थे।

(ii) पांच में से चार[30] चुने गऐ वे. व ले. का. द्वारा प्राप्ति का ब्यौरा काम्पेक्ट में नहीं डाला गया और प्राप्ति से संबंधित सारा रिकॉर्ड मैनुअल था। वे. एवं ले.का.-IV द्वारा प्राप्ति लेखा-शीर्ष अनुसार एकमुश्त काम्पेक्ट में डाली जा रही थी जबकि चालान-वार डाली जानी थी जैसा कि पब्लिक सैक्टर बैंकों से प्राप्त हुई थी।

वे. एवं ले.का.-VI, के मामले में, रिफण्ड के चैक काम्पेक्ट के द्वारा नहीं जारी किए गऐ, ऐसे ही मैनुअली जारी किए गऐ, इस कारण इन चैकों से संबंधित डाटा काम्पेक्ट में नहीं डाला जा सका। अर्थात काम्पेक्ट के माध्यम से प्राप्ति एवं रिफण्ड के कार्य पर नियंत्रण सही नहीं था।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि मामला प्रत्यायित बैंको के साथ प्राप्ति स्क्रोल की सॉफ्टकॉपी में आपूर्ति करने के लिए किया जा रहा था जिसे सीधे काम्पेक्ट में सम्मिलित किया जा सके।

[29] (वे. व ले.का.-XXIII: 101 चैक जिनकि कुल राशि है ₹ 17710639 तथा वे.व ले.का.-IV: 127 चैके कि कुल राशि ₹ 34294080)।

[30] वे.व ले.का.-VI,IX,XV एवं XXIII

(iii) सभी चयनित पांच देय वे. एवं ले.का. में से कुछ मामले चैक मैन्युली जारी करने के थे। लेखापरीक्षा में पाया कि 2132 चैक, चार चयनित वे.व ले.का.[31] को जारी चैकों की प्राधिकृत सूची में शामिल थे, कम्पेक्ट में जारी चैकों की सूची में नहीं पाये गए। इस कारण चैकों के एनसर्कलिंग का कार्य तथा बैंक स्क्रोल से मिलान का कार्य जो कि काम्पेक्ट के द्वारा किया गया, समझौता था। इस कारण दो मुख्य शीर्षों 8658ः सस्पैन्स पी.एस.बी. शेष तथा 8670ः चैक एवं बिलों तथा बकाया चैकों का बयौरा जो काम्पेक्ट में है वह विश्वसनीय नहीं था।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि मात्र विरले अवसरों पर ही हार्डवेयर के कार्य न करने के कारण काम्पेक्ट में मैनुअली जारी चैकों का डाटा दर्ज नहीं था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसेकि वहां 2132 मामले थे जहां डाटा काम्पैक्ट में दर्ज नहीं था जिसका अर्थ कि काम्पैक्ट में डाटा पूर्ण व विश्वसनीय नहीं था।

(iv) काम्पेक्ट के बजट मॉडयूल में वार्षिक बजट आ.व स.का. एवं शीर्ष वार मैनुअली डाला गया। विशेष प्रकार के लेखा शीर्षों के अधीन आ.व स.का. के खर्चे जो कि आबंटित बजट के द्वारा नियंत्रित हैं। तथापि कुछ भुगतान जैसे पेंशन, अवकाश नकदीकरण, उपदान इत्यादि भारत की समेकित निधि के एम एच 2071 पर भारित थे क्योकि इन भुगतानों का राज्य बजट में कोई प्रावधान नहीं हैं। ऐसे प्रत्येक भुगतान के लिए बजट में अनुपस्थिति के लिए सिस्टम लाल सिंग्नल बजट की कम या अनुपलब्धता दशाते हुए प्रदिप्त करता है परन्तु ये भुगतान काफी हद तक नियमित रूप से वे. व ले.का. के यूज़र आई.डी. से किए गऐ चूंकि काम्पेक्ट में वे.व ले.का. द्वारा बजट से अधिक भुगतान रद्द कर सकने का प्रावधान था।

तथापि, यह पाया गया कि आधिक्य के बिलों की सूची में अन्य औबजैक्ट शीर्षों के अन्तर्गत भुगतान जैसे वेतन, कार्यालय खर्च, चिकित्सा तथा अन्य भुगतान पर किया गया था जिसका अर्थ है कि वे. व ले.का. ने निश्चित बिलों के भुगतान की अनुमति बजट की उपलब्धता के बिना बजट की ओवरराईडिंग सुविधा का प्रयोग करते हुए दी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि निश्चित मामलों में बिल वित्त विभाग (एफ.डी.) से संशोधित अनुमान (आर.ई.) स्तर पर बजट के लम्बित आबंटन के प्राधिकृत होने पर वे. व ले.का. लेवल पर काम्पेक्ट में प्रदान बजट की ओवरराईडिंग सुविधा का प्रयोग करके, जमा किये थे। तथापि उत्तर एफ.डी. से प्राधिकृत दिखाए प्रलेखों का समर्थन नहीं करता।

(ग) कारोबारी नियमों की नॉन-मैपिंगः लेखापरीक्षा में पाया गया कि काम्पेक्ट साफ्टवेयर में पास किए बिल की जांच करने का सिस्टम नहीं था (केन्द्रीय लेखा मैन्युअल, जी.एफ.आर, प्राप्ति भुगतान नियम के साथ लाईन में)। यह डीलिंग हैंड, स. ले.प.अ. और वे.व ले.का. द्वारा मैनुअली किया जा रहा था। इसलिए वहां समान प्रकृति के बिल समान कमी के साथ विवेकाधिकार और कार्रवाई अधिकारी के संबंधित नियम के बारे में जानकारी के आधार पर पास या रिजेक्ट किए जाते रहे थे तथा इस क्षेत्र में काम्पेक्ट कोई रोल नही निभा रहा था।

[31] वे. व ले.का.-IV, VI, XV एवं XXIII. वे.व ले.का.-IX ने 2012-13 के दौरान प्रयोग चैको की प्राधिकृत सूची नहीं दी।

(घ) **सामान्य भविष्य निधि माडयूल का अनुरूप न होना:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि काम्पेक्ट साफ्टवेयर का जी.पी.एफ. माडयूल रा.रा.क्षे.दि.स. के वे. व ले.का. द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा था इस प्रकार यह उनकी व्यवहारिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों के जी.पी.एफ. खातों के अनुरक्षण के लिए वे.व ले.का. नया जी.पी.एफ. साफ्टवेयर 'जी.पी.एफ.' सूचना तंत्र प्रयोग कर रहे थे जो एन.आई.सी. द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार विकसित था।

(ड़) **काम्पेक्ट में निश्चित लेखांकन कार्यों का प्रावधान न होना:** काम्पेक्ट में निम्नलिखित कार्यों का प्रावधान नहीं था:

- मूल्यवान प्रविष्टि को क्लिअर करना जब बैंको में उन्हें जमा कर देता, उस रीति से वर्ष के अन्त में ये प्रविष्टियॉ सिस्टम में बकाया रह जाती थी,
- लम्बे समय तक की कटौतियॉ जैसे कि एच.बी.ए. और एम.सी.ए. की निगरानी, और
- ए.सी.अग्रिम के अगले बैच की अनुमति से पहले ए.सी.बिलों के विरूद्ध डी.सी. बिलों को प्रस्तुत करने पर निगरानी।

(च) **आ. एवं स. अ. के संयोजन स्थान्तरण अथवा विलोप के तिथि वार आंकड़ों की अनुपलब्धता:** प्रचलित व्यवस्था के अनुसार, वे. एवं ले.का. आ. एवं स. अ. पर क्षेत्रानुसार क्षेत्राधिकार रखते हैं इस प्रकार उनकी स्थिति के आधार पर उन्हें वे. व ले.का. का आबंटन किया जाता है। प्रशासनिक कारणों एवं नए आ.व स.का. के बनने से आ.व स.का. के स्थानान्तरण, संयोजन एवं विलोप के मामले वे. व ले.का. को सौंपे गए थे। काम्पेक्ट साफ्टवेयर पर आ. एवं स.अ. इन परिवर्तनों के तिथिवार ऑकडें इक्कठा नहीं करता था अतः एक निश्चित वे. एवं ले.का. से आ. एवं स.अ. के स्थानान्तरण तथा संयोजन की प्रभावी तिथि काम्पेक्ट साफ्टवेयर द्वारा सुनिश्चित नही की जा सकती।

(ब) कान्टेक्ट

काम्पेक्ट साफ्टवेयर द्वारा जनित भारत का समेकित निधि एवं राज्य का समेकित निधि व लोक लेखे के संयुक्त लेखे कान्टेक्ट साफ्टवेयर सरलता से द्विभाजित नहीं करता। इसीलिए वे.व. ले.का. को भारत के समेकित निधि तथा राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखा के लेन-देन का अलग डाटा अलग से एम-एस एक्सैल में तैयार करना पड़ता है। वे. व ले. का. के प्रतिनिधि मासिक आधार पर प्र.ले.का. जाकर अपने एम.एस एक्सैल आँकड़े कॉम्पेक्ट पर एक अलग कम्प्युटर में राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखे तथा भारत की समेकित निधि के लिए अलग से क्रमशः सी ड्राठव (राज्य) तथा डी ड्राईव (केन्द्र) में मैनुअली डालते है तदनुसार सारे आँकड़ों को समेकित किया जाता है। कान्टैक्ट अलग से वित्तिय वर्ष के लिए राज्य की समेकिन निधि के लिए वार्षिक क्रमिक समेकित लेखे जनित करता है जिससे रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग व वित्त लेखे तैयार किए जाते हैं। कान्टैक्ट लोक लेखा एवं भारत की समेकित निधि के लिए एक टैकस्ट फाईल भी जनित करता है, जिसे प्रत्येक माह केन्द्र सरकार के लेखों में समाविष्ट करने के लिए ई-लेखा में चढ़ाया जाता है।

विनियोग तथा वित्त लेखें तैयार करने की उपरोक्त प्रक्रिया में कमियों की आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(क) **बजट के विरूद्ध खर्चे पर नियंत्रण के कार्यान्वयन का प्रावधान न होना:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि वहां कान्टेक्ट साफ्टवेयर में अनुदानों के लिए ब्यौरा मॉग (डी.डी.जी.) के अनुसार बजट के आंकड़े शीर्षवार चढाने या पोषित करने का

प्रावधान नहीं था। और इसलिए इसने बजट के साथ साथ व्यय पर प्रभारी नियंत्रण करने के लिए सही लेखा-शीर्षों में बुकिंग या एक निश्चित लेखा शीर्ष में उपलब्ध बजट से अधिक की बुकिंग के सत्यापन की सुविधा प्रदान नहीं की। इसलिए प्र.ले.का. को यह कार्य डी.डी.जी., अनुदानों के लिए पूरक मांग (एस.डी.जी.), पुनःविनियोजन और समर्पण आदेश इत्यादि की सहायता से मैनुअली करना पड़ा है।

(ख) गलत वर्गीकरण की त्रुटियों का पता लगाने की कमजोर प्रणालीः बजट के विरूद्ध अधिक व्यय पर नियन्त्रण करने, गलत वर्गीकरण की त्रुटियों को सही करने, व्यय या प्राप्तियों की कम/ज्यादा बुकिंग की सामने लाई मैनुअल कार्रवाई के पश्चात प्र.ले.का. कॉन्टैक्ट साफ्टवेयर में दिए गए प्रगतिशील समेकित लेखों में सही व संकलित ऑकडे विभिन्न वे. व ले.का. को त्रैमासिक आधार पर मिलान हेतु अग्रेषित करता है। अप्रैल के महिने में वित्तिय वर्ष के लिए अलग से प्रगतिशील समेकित लेखे बनाए जाते हैं राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखा तथा भारत की सकेकित निधि के लिए वार्षिक खातों के सहीं सुनिश्चित होने की जांच कि एम.एच 8450 के अन्तर्गत बुक प्राप्तियों एवं व्यय का अंकिय संतुलन तथा लोक लेखों तथा भारत की समेकित निधि के लिए मिलान होता है।

यद्यपि लेखों का मिलान व संतुलन हो जाए, वे.व ले.का. सपलीमेन्टरी-I खातों को तैयार करते हैं, गलत वर्गीकरण की त्रुटी सही करने के पश्चात वार्षिक समेंकित लेखों से जो उनके द्वारा आ.व स.का. से मिलान के परिणामस्वरूप है, सप्लीमेन्टरी-I को तैयार करने के पश्चात, प्र.ले.का. सपलीमेन्टरी-I साथ ही साथ मैनुअल अभिलेख (जैसेकि डी.डी.जी., एस.डी.जी., व्यय की वसूली, पुनःविनियोजन और समर्पण आदेश इत्यादि) तथा प्र.ले.का. द्वारा ध्यान लाई गई गलत वर्गीकरण की त्रुटियॉ सही करने के पश्चात सपलीमेन्टरी-II (यदि आवश्यक हो तो सपलीमेन्टरी-III या IV) तैयार किऐ जाते हैं। अंतिम सही प्रति एस 042-अनुपूरक लेखों के रूप में जाने जाते है।

लेखापरीक्षा में पाया कि वर्गीकरण की त्रुटियों को खोजने का तथा उसे सही करने की उपरी प्रणाली जिसमें वे. व ले.का. ऑकडों की मैन्युअल रिकॉर्ड के साथ तुलना उन लेखा शीर्षो तक सीमित थी जिनमें बुकिंग की त्रुटि लेखा शीर्ष में शुन्य प्रावधान या आबंटित बजट की तुलना में अधिक बुकिंग के कारण दिखाई दी थी। यह प्रणाली लेखा शीर्षों में गलत वर्गीकरण के मामले जहां बचत थी, पता नहीं लगा सकती थी और इसलिए बुक किए व्यय आबंटित बजट बढ़ने से प्रभावित नही थे। इसका ताप्पर्य यह है कि विभिन्न स्तरों पर मिलान के बाद भी वहां बिना सूचित गलत वर्गीकरण हो जाने की संभावना थी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा वे.व ले.का.-XV तथा वे. व ले.का.-XXIII (पैराग्राफ 2.5.8.2 में चर्चा की गई है) के मामले में पाया था या पूँजीगत व्यय की बुकिंग राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत नीचे चर्चा की गई हैः

वित्तीय शक्ति हस्तान्तरण नियम 1978 के नियम 8 के अनुसार आबजैक्ट शीर्ष जैसे 51-मोटर वाहन, 52-मशीनरी व उपकरण तथा 53-मुख्य कार्य, वस्तु वर्ग–6 के अन्तर्गत आते हैं (पूँजीगत सम्पतियों का अधिग्रहण तथा अन्य पूँजीगत व्यय)। तथापि वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक व्यय के कॉन्टैक्ट सॉफ्टवेयर डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि 91 मामलों में एक औसतन व्यय जो ₹ 87.67करोड़ त्रुटिपूर्ण राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत हुआ, पूँजीगत व्यय के बजाय जैसाकि विवरण नीचे **तालिका 2.5.1** में हैः-

तालिका 2.5.1
राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किए गए पूँजीगत प्रकृति के व्यय

(रूपये में)

क्र.सं.	वस्तु शीर्ष	मामलों की संख्या	राशि
1.	51-मोटर वाहन	25	63045493
2.	52-मशीन व उपकरण	64	730541849
3.	53-मुख्य कार्य	02	83139776
	कुल	**91**	**876727118**

(ग) **विनियोग तथा वित्तीय लेखा बनाने में कॉन्टैक्ट का सीमित प्रयोगः** केन्द्रीय लेन-देन का विवरण (सी.एस.टी) होता है जो कि राज्य की समेकित निधि के लिए तथा लोक लेखा के लिए तथा भारत की समेकित निधि के लिए अलग बनाया जाता है जिसमें केवल वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्ययों का लघु शीर्षवार डाटा दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोग तथा वित्तिय लेखों के निर्माण की प्रक्रिया एम.एस.एक्सैल पर निर्धारित प्रपत्र में कार्यान्वित थी। इस प्रक्रिया में वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का डाटा जो कान्टेक्ट द्वारा प्रदान किया गया है लघु शीर्षों में परिवर्तित कर मैनुअल शामिल किया गया। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक अन्य डाटा अन्य स्रोतों जैसे डी.डी.जी., एस.डी.जी., पुर्नविनियोजन तथा समर्पण आदेश इत्यादि से लिया गया। प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली है और इसलिए जो समय - सीमा विनियोजन लेखें तथा वित्तिय लेखें बनाने के लिए दी गई से कभी नही जुडा जा सकता। उदाहरण के लिए वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित तिथि 16 जुलाई 2013 थी परन्तु यह लेखें 16 सितम्बर 2013 तक पूर्ण हुए थे।

(घ) **योजना एवं वित्त विभागों को अपर्याप्त सूचना की आपूर्तिः** लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना एवं वित्त विभाग को हार्ड-कॉपी के रूप में मासिक आधार पर डाटा की आपूर्ति होती थी, जिसमें प्रप्तियों एवं व्यय का ब्यौरा केवल शीर्ष-वार था न कि विभाग-वार। इन विभागों के पास व्ययों पर वास्तविक बजट नियन्त्रण के लिए सही समय डाटा उपलब्ध नही था।

(ङ) **समेकन के दौरान डाटा स्रोत की हानिः** वहां कॉन्टैक्ट में एक बन्धन था, जब और जैसे वे.व ले.का. के ऑकड़ों का मासिक समेकित लेखें या प्रगतिशील समेकित लेखें बनाने हेतु विलय किया गया वे.व ले.का. वार रखा गया डाटा प्रक्रिया में लुप्त हो जाता है तथा ऑकडों के संग्रह से समेंकन की प्रक्रिया के पश्चात के मासिक समेकित तथा प्रगतिशील लेखों को बचाया जा सकता था इसलिए, वे. व ले. का. वार ऑकडों के प्रिंटआउट को रिकार्ड रखना पडता था क्योंकि कॉन्टैक्ट से साफ्टकॉपी को नहीं बचाया जा सकता था।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि खांचा रहित वित्त और विनियोजन लेखों को तैयार करने तथा योजना व वित्त विभाग को वास्तविक समय ऑकडों की उपलब्धता के लिए प्रावधान एकीकृत वित्तिय लेखांकन तथा प्रबन्धन सिस्टम (आई.एफ.एएम.एस.) में लाने हेतु प्रस्ताव अनुसूचित है।

2.5.7.2 कोर कमेटी (सू.प्रौ.) का रोल

यह देखा गया कि एक कोर कमेटी सितम्बर 2003 में लेखा नियंत्रण की अध्यक्षता में, लेखा संगठन के कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग प्रगति का मॉनिटर करने के लिए

बनाई गई। तथापि कमेटी की बैठकों के एजेंडा, बैठक के कार्यवृत्तों इत्यादि से संबंधित सूचनाएं 2003–04 के बाद से रिकार्ड में नहीं पाई गई जिसमें यह सुझाव था कि काम्पेक्ट के पाठयक्रम में बदलाव, सुधार तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अपलोडिंग को किसी कमेटी द्वारा मॉनीटर किया जा रहा था। इस प्रकार सू.प्रौ. निर्देशन के स्टीयरिग में तथा संगठनात्मक उद्देश्यो को प्राप्त करने में कमेटी के रोल को लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं किया जा सका।

2.5.7.3 डाक्युमेन्टेशन प्रणाली

एक संगठन को सभी कम्प्यूटर सिस्टमों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को प्रलेखित करना चाहिए जिससे प्रचालनों में उनकी शुद्धता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तथापि वे. व ले.का. तथा प्र.ले.का. की छः नमूना जांचों में कान्टेक्ट के संबंध में यूजर मैनुअल, आपरेशन मैनुअल तथा सिस्टम मैनुअल एस ओ पीस के अंश के रूप में उपलब्ध नहीं थे।

2.5.7.4 प्रशिक्षण

रा.रा.क्षे.दि.स. के सू.प्रौ. विभाग ने प्र.ले.का. में ₹ 39 लाख की अनुमानित लागत से एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण लैब की स्थापना का प्रस्ताव तकनीकी रूप से पास किया (मार्च 2006)। तथापि उसके बाद कोई प्रशिक्षण आधारभूत ढांचा नहीं निर्मित हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोई प्रशिक्षण कैलेंडर नहीं था परन्तु जब कभी अधिकारियों के लिए आवश्यक लगा 'इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रमों' का प्रबंध किया गया। सभी छः चयनित वे.व ले.का. ने कहा (जून 2013) कि सहायक प्रोगामर[32] सहित उनके स्टॉफ को काम्पेक्ट पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वे.व ले.का. तथा प्र.ले. का. का स्टाफ नियमित रूप से स्थानांतरित हुए और नये आने वालों को 'ऑन द जॉब' सीखना पड़ा था क्योंकि प्रशिक्षण की कोई सुविधा नहीं थी।

2.5.7.5 प्रबन्धन प्रक्रिया में बदनाव नहीं किया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.आई.सी. द्वारा कॉम्पैक्ट साफ्टवेयर का प्रथम रूपांतर (1.0) 17 सितम्बर 2001 तथा नवीनतम रूपांतर (6.01) 12 फरवरी, 2010 को निकाला गया। एन.आई.सी. द्वारा सिस्टम में बदलाव नवीनतम परिवर्तन को थोड़ा-थोड़ा करके लाया गया।

एन.आई.सी. ने काम्पेक्ट साफ्टवेयर में नि.महा.ले., वित्त मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किया। बदलाव/नवीनतम रूपांतर के कोई अभिलेख नहीं रखे गये और उनका प्राधिकरण रा.रा.क्षे.दि.स. के स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रखा गया। पॉलिसी अथवा प्रक्रिया के रिकार्ड की कमी के कारण, प्रबन्धन यह निश्चित करने में अयोग्य था कि (i) साफ्टवेयर के नवीनतम रूपांतर को रा.रा.क्षे.दि.स के विभिन्न वे एवं ले. कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित करने में मुशकिलों का सामना करना पडा और (ii) साथ ही साथ सभी स्तरों पर साफ्टवेयर का नवीनतम रूपांतर प्रयोग किया जा रहा था। यह डाटा के अप्राधिकृत नवीनतम रूपांतर क्रियात्मक के अप्राधिकृत बदलाव के जोखिम को बढाता है या आवश्यक बदलाव प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

[32] 14 सहायक प्रोग्रामर रा.रा.क्षे.दि.स. के 25 वे. व ले.का. की सू.प्रौ. आवश्यकताओ को देखने हेतु एड-हॉक/ठेका आधारपर नियुक्त किए थे (हार्डवेयर और साफ्टवेयर दोनो)।

2.5.7.6 सू.प्रौ. सिस्टम की सुरक्षा

(क) **प्रत्यक्ष प्रवेश नियंत्रणः** प्रत्यक्ष प्रवेश नियंत्रण का उद्देश्य अप्राधिकृत प्रवेश तथा सू.प्रौ. सेवाओं में हस्तक्षेप को रोकना है। सू.प्रौ. की परिसंपत्तियों की आग, पानी, आद्रता, भूकंप, विद्युत पॉवर के उतार-चढ़ाव, लोड रौड इत्यादि से होने वाली पर्यावरणिक क्षति से सुरक्षा की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वे. व ले. का. में सू.प्रौ. प्रचालनों के लिए पृथक सैल उपलब्ध नहीं था जिससे अप्राधिकृत व्यक्तियों के सू.प्रौ. सिस्टमों तक प्रत्यक्ष प्रवेश प्रतिबंध को सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी वे. व ले.का. में प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित कारणों से सुरक्षा के प्रर्यावरणिक नियंत्रणों हेतु कोई प्रबंध भी नहीं पाए गए थे। पॉवर फेलयर के कारण डाटा के खराब या अशुद्ध होने से बचने के लिए कम्प्यूटर मशीन की तुलना में पर्याप्त संख्या में बैटरी बैक-अप के साथ यू.पी.एस. स्थापित नहीं किए गए।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि बाहर वालों की पहुँच से परे वे. व ले.अ. के कमरे में सरवर लगा दिये गये थे और इस प्रकार सुरक्षित थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरवर के लिए अलग कमरे नहीं थे। इसके अतिरिक्त वे. व ले. अधिकारी लोक व्यवहार अधिकारी है, बाहर वालों के लिए आगमन प्रतिबन्धित नहीं है।

(ख) **तार्किक प्रवेश नियंत्रणः** तार्किक प्रवेश नियंत्रण अप्राधिकृत प्रवेश तथा नवीनतम रूपांतर के प्रति कम्प्यूटर संसाधनों (डाटा और प्रोग्राम) को बचाने में सहायता करते हैं। नियंत्रण प्रक्रियाएं जैसे यूजर प्रवेश प्रबन्धन तथा पासवर्ड, पहचान करने, प्रमाणीकरण तथा गैर-प्रत्यापन में मदद करते हैं। लेखापरीक्षा ने प्रवेश नियंत्रण में कमजोरियॉ पाई जिनकी चर्चा नीचे दी गई हैः

- काम्पेक्ट में एक साथ विभिन्न कलाइंट मशीनों में एक समान यूजर आई डी से लॉगइन किया जा सकता था जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में त्रुटिपूर्ण प्रवेश नियंत्रण तथा इन-बिल्ट यूजर जवाबदेही की कमी थी,
- प्रशिक्षण के अभाव में वे. व ले.का. ने पूर्व जांच तथा डीलिंग हैंड के लिए मास्टर मोडयूल अथवा सहायक प्रोग्रामर्स के संबंध में उनके विशेष अधिकार निर्धारित किए थे जिसके परिणाम में प्राधिकरण के स्तर को कम कर दिया,
- काम्पेक्ट में एक यूजर बिना किसी प्रतिबंध के बहुत बार लॉग-इन कर सकता था वहां यूजर द्वारा निर्धारित,
- डीलिंग हैंड द्वारा सिस्टम में की गई प्रविष्टियों का वे.व ले.का. द्वारा सुधार किया जा सकता है परन्तु सिस्टम में ऐसे सुधारों का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया,
- यदि सिस्टम का लम्बे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा तो यूजर्स के लॉगइन सैशन की स्वतः समाप्ति का प्रावधान काम्पेक्ट में शामिल नहीं किया गया था,
- वे.व ले.का. में पासवर्ड पॉलिसी विद्यमान थी परन्तु वहां आवधिक पासवर्ड बदलाव पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। सिस्टम को 15 दिनों से अधिक से उपयोग में लाए जा रहे उसी पासवर्ड को स्क्रीन पर मैसेज दिखाकर जारी रखा गया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि एन.आई.सी. प्रवेश नियंत्रणों में कमजोरी के विरूद्ध सुरक्षा के प्रावधान बनाने हेतु प्रस्ताव करेगा।

2.5.7.7 बिजनस कंटीन्यूटी तथा डिसास्टर रिकवरी प्लान

प्र.ले.का. तथा वे. व ले.का. के पास कम्प्यूटर सुविधा की अस्थायी अथवा स्थायी हानि होने के डिसास्टर के मामले में सामयिक कार्रवाई के लिए कोई प्रलेखित आई टी

पॉलिसी, बिजनेस कन्टीन्यूटी तथा डिसास्टर रिक्वरी प्लान नहीं थे। बैक-अप प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कमियाँ थीं:

- आंकड़ों के बैक-अप को किसी सुनिश्चित स्थान पर नहीं रखा गया था बल्कि सहायक प्रोग्रामर की सुरक्षा में मौसम तथा अग्नि से सुरक्षित स्थान पर रखने की बजाए खुले दराज में रखा गया था,
- चयनित वे. व ले.का. में वहां एन्टी वायरस नहीं थे और यह उद्यचित नहीं था,
- वहां पर बैक-अप कार्यविधि, इसको रखने की अवधि बैक-अप तंत्र, जमा किए गए साधनों की अवधि के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी।

2.5.8 इनपुट प्रक्रिया तथा आऊटपुट नियंत्रणों की अपर्याप्तता

2.5.8.1 काम्पेक्ट में डाटा की असंगतता

लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, चुने गए पांच वे. एवं ले.का.[33] अप्रेल 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए काम्पेक्ट का बेकार हुए डाटा को (एन.आई.सी. के अनुमोदन सहित) एक सिस्टम की सतह पर रीड ओनली रूप में तथा त्रुटिपूर्णता, असंगतता और असाधरणता की परीक्षण जांच के लिए रिस्टोर किया था। परीक्षण जांच निम्नलिखित प्रर्दशित करता है:

- वहां जारी किए चैको तथा बैंक स्क्रोल भिन्नता थी, इसप्रकार 4651 चैक बैंक-स्क्रोल में दिखे जोकि वे. व ले.का. के जारी चैक ऑकडों के अनुसार जारी नहीं थे,
 विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि कई बार काम्पैक्ट में डाले गये चैकों की संख्या मैनुअली डालने के कारण बैंक से प्राप्त स्क्रोल से भिन्न होती है। लेकिन उन्हे चैक करते समय सही कर दिया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि लेखापरीक्षा ने यह मुद्दा उठाया कि चैक करने की कार्रवाई के बावजूद वहां असंगतता रह जाती है।
- 639 जारी चैकों की राशी बैंक स्क्रोलों में दिखाई राशि के साथ मिलान नहीं करती थी,
- जारी चैको के आंकडों में, 12 चैक दो बार जारी किए पाए गए थे और 1723 चैकों की संख्या अधूरी या जारी चैको की अधिकृत सूची[34] में नहीं थे,
- वित्त वर्ष 2012-13 के अन्त में 12407 चैक बकाया दिखलाए गऐ, न तो वर्ष 2013-14 में उनका नगदीकरण हुआ और न ही बकाया के रूप में दिखाऐ गए,
- वित्त वर्ष 2012-13 के अन्त में तीन चैक बकाया दिखाऐ गऐ, वर्ष 2013-14 में नकदीकृत दिखाऐ गए परन्तु राशि में विभिन्नता थी,

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि चैक की वैधता तीन महीने की थी। वित्त वर्ष के जनवरी और मार्च के दौरान जारी किये गये चैक प्रस्तुत नहीं किये गये और उन्हें

[33] वे. व ले.का.-IV और IX का बैक-अप डाटा वर्ष 2012-13 के लिए पूर्व-जॉच मॉडयूल का डाटा एकत्रित नहीं करता

[34] वर्ष 2012-13 के दौरान प्रयोग चैको की प्राधिकृत सूची वे.व ले.का.-IX अभी तक प्रतीक्षित है।

अगले वित्त वर्ष में नकद करा लिया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि अप्रैल के मार्च की अवधि के दौरान जारी तथा प्राप्त चैको में अंतर आ गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि लेखापरीक्षा में मुद्दे उठाये गयेः (i) राशि का मिलान नहीं हुआ (ii) दोहरी चैक संख्या प्रयोग हुई (iii) वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया चैक न तो नकद कराये गये न ही अगले वित्तीय वर्ष में बकाया दिखाये गये।

- कुछ मामलों में (वे.व ले.का.–IV, IX तथा XV) टोकन जो उत्पन्न एवं जारी किए गए बिलों की प्राप्ति की पावती के रूप में, व्यय नियन्त्रण पंजिका में नकारात्मक संख्याओं के साथ पाए गऐ,
- व्यय नियंत्रण पंजिका में, वहां 162 मामलें आबंटित बजट के अधिक बजट शेष रहने के थे,
- छः मामलों में, बिलों की तारीख टोकन की तारीख से बाद की थी,
- 101 मामलों में, बिना औचित्यता अभिलेखित किए वे. एवं ले.का. ने उस राशि का बिल पास किया था जोकि डीलिंग हैन्ड द्वारा पास की गई राशि से ज्यादा थी।

अतः काम्पेक्ट का डाटा विश्वास की कमी तथा असंगततापूर्ण था।

2.5.8.2 मासिक लेखों के संकलन-नियंत्रण की कमी

जैसा कि पहले भी विचार विमर्श किया है, वे. व ले.का. ने (वे. व ले.का.-IV तथा XVI के अलावा) मासिक लेखों का संकलन काम्पेक्ट पर नहीं एम.एस. एक्सैल पर किया। काम्पेक्ट पर प्री-चैक खण्ड से प्राप्ति बाद, एक महीने के पास किए हुए बिलों को डीलिंग हैन्ड्स में बांटा गया। जहां इसे मैनुअली से आबंटित आ.व स.का. तथा लेखा शीर्षों के विरूद्ध एम.एस. एक्सेल में प्रविष्टि किए जाते है। उसके पश्चात आंकड़ों का संकलन मासिक लेखों के निर्माण, एम.एच. 8658-पी.एस.बी., सस्पैन्स (प्राप्ति एवं भुगतान), 8658-वे.व ले.का. सस्पैन्स तथा 8670-सस्पैन्स चैक तथा बिल्स में पडी राशि लेखों में लेने के पश्चात प्राप्तियों व व्ययो (केन्द्र व राज्य दोनो) का सन्तुलन करने के लिए किया जाता है। लेखों का बराबर व्यय तथा प्राप्ति शेषों से मिलान होता है। प्राप्तियों व व्यय का मिलान हुआ मासिक लेखा प्र.ले.का. के कान्टैक्ट साफ्टवेयर में विनियोग तथा वित्त लेखों में समाहित करने के लिए प्रविष्ट किया जाता है।

यह पाया गया कि डीलिंग हैन्डस व्यय की राशि लेखा शीर्ष के अन्तर्गत आ.व स.का. द्वारा अभिलेखित बिलों की सूचना के अनुसार प्रविष्ट करता है। यह पाया गया कि आ.व.स.का. द्वारा बिलों के मुख पर जो लेखा शीर्ष अभिलेखित किए संस्वीकृति पत्रों पर से अलग थे। यद्यपि डीलींग हैण्ड द्वारा एकसलशीट में की शुरूआती प्राविष्टि के बाद डाटा प्रोसेस अन्त में स.ले.प.अ; (संकलन) को किया जाता था, पर बाद में मात्र व्यय की सकल राशि को मिलान व जांच काम्पेक्ट तथा एम.एस. एक्सैल के अनुसार करता था तथा प्रत्येक-प्रत्येक प्रविष्टि की जांच नहीं करता था। जैसाकि अगर संबंधित काम करने वाला व्यक्ति व्यय को लेखे के गलत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर लेता है तो यह स.ले.प.अ./वे. व .ले.अ. के स्तर पर पला लगे बिना होने का जोखिम है। अतः वहां प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया निष्पादन के लिए लेखापरीक्षा जवाबदेही निर्धारण हेतु लेखापरीक्षा ट्रेल की कमी था।

मासिक खातों का संकलन करते समय, वे.व ले.का. का संबंधित आ.व स.का. के साथ मिलान ट्रासंफर प्रविष्टि इत्यादि से भिन्नता या अनियमितता को सही करने हेतू लाया गया। तथापि मार्च 2013 के माह के लिए लेखापरीक्षा द्वारा बिलों का एक क्रास सत्यापन किया गया, जो चयनित आ.व स.का. से संबंधित डीलींग हैन्डस द्वारा वे. व

ले.का. में एम-एस एक्सैल शीट में बनाई प्रविष्ठियों के साथ दर्शाता है कि चार मामलें जहां बुक हुए लेखा शीर्षों में आ.व.स.का. द्वारा प्रस्तुत बिलों के अनुसार, भिन्नता थी। संस्वीकृति आदेश, तथा वास्तविक बुक किए गऐ वे. व ले.का. में (**अनुलग्नक**-2.5.5), जिसकी संबंधित वे. व ले.का.[35] पुष्टि कर चुका था। वे. व ले.का.-VI ने लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख क्रास सत्यापन के लिए प्रदान नही किए।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि विद्यमान संस्वीकृति प्रक्रिया तथा एक्सल में बिल इन्द्राज मैनुअल है और यह ऐसा था कि निश्चित गलतियॉ की गई थी जो बाद में लेखों के मिलान पर सही कर दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि उपरोक्त चार मामलों में गलत वर्गीकरण की गलती लेखों के मिलान पर भी पता नहीं चल सकी।

2.5.9 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे.दि.स. की लेखा इकाई में काम्पेक्ट के द्वारा कम्प्यूटरीकरण की प्रस्तुति के 10 वर्ष से ज्यादा बीत जाने पर भी व्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता से कार्यरत नहीं थी। जो सॉफ्टवेयर प्रयोग में था वे. व ले.का. की प्रायोगिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं था। अनुप्रयोग द्वारा जनित ऑकडों की सीमाए तथा व्यवस्था में कमियॉ, परिणामस्वरूप वैकल्पिक मैनुअल अनुप्रयोगो का विकास तथा बहुत अधिक मात्रा में कार्य मैनुअली होता रहा। मूल रूप में लेखापरीक्षा की कमी साथ ही साथ वैकल्पिक विकसित मैनुअल अनुप्रयोगों ने प्रयोगकर्ताओं के द्वारा निष्पादित कार्यवाही हेतु उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना कठिन बना। वहां बैक-अप, आपदा रिकवरी तथा व्यापार निरन्तरता, परिवर्तित प्रबन्धन, सूचना प्रौद्यौगिकी सम्पदा तक भौतिक तथा तार्किक पहुंच इत्यादि के संबंध में कोई दस्तावेजी नीति नहीं थी।

2.5.10 सिफारिशें

विभाग को प्रयास करने चाहिए:

- प्र.ले.का. की आवश्यकताओं के अनुसार तथा लेखों के द्विभाजन के आधार पर कॉन्टैक्ट सॉफ्टवेयर के लिए काम्पेक्ट सॉफ्टवेयर से विषयक फाईल उत्पन्न करना,
- पब्लिक सैक्टर बैंक से प्राप्ति-स्क्रोल की सॉफ्ट कॉपी उत्पन्न करना ताकि प्राप्ति के आंकड़ें काम्पेक्ट पर अपलोड किए जा सकें,
- सभी व्यापार नियमों का मानचित्रकरण सुनिश्चित करना कम्प्यूटरीकृत वातावरण में तथा काम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में बाकि बचे हुए लक्षणों का कम्प्यूटरीकरण करना ताकि कम से कम मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक हो,
- सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों से संबंधित ऑकडों की काम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में आवश्यक तौर पर प्रविष्टी,
- वे. व ले.का. के स्टॉफ तथा सहायक प्रोग्रामरों प्रयोग में सॉफ्टवेयर के सभी लक्षणों का प्रभावी प्रयोग हेतु नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना, और
- ऑकडों के बैक-अप, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, आपदा रिकवरी तथा आंकडों के बदलने या व नष्ट करने तथा अप्राधिकृत पहुँच रोकने हेतु सुदृढ़ भौतिक पहुँच तथा तार्किक पहुँच नियंत्रणों के लिए सुगठित नीति तैयार करना।

लेखापरीक्षा उपलब्धियों को नवम्बर 2013 में सरकार के पास भेजा गया, उनके जवाब प्राप्त नहीं हुए (फरवरी 2014)।

[35] वे. व ले.का- XV एवं वे. व ले.का.- XXIII